

जौनसारी समाज के तीन उपसमूहों में अन्तर्सम्बन्ध

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सामाजिक मानव विज्ञान विषय में


डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध सर



शोधकर्ता :

इन्दु प्रकाश



पर्यवेक्षक :

प्रो० डॉ० ए० आर० एन० श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष

सामाजिक मानव विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

1992



UNH LIBRARY
Acc. No. 103375
Acc. by 6
Date 6
Class by 6
Sub. Heading by 6
Enter by 6
Transcribed by 6

सारांश

जौनसार -बावर § देहरादून §, जौनपुर §टेहरी गढ़वाल § तथा खाई § उत्तरकाशी § द्वारा घिरे हुये क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जौनसारी कहते हैं जौनसारी समाज तीन उप-समूहों में विभक्त किया जाता है : बासा, शिल्पकार, तथा कोल्टा । बासा समुदाय या तो राजपूत अथवा ब्राह्मण होता है जो इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या के आधार पर तत्त्वों से मिलजुल गई है अथवा उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है । शिल्पकार समाज के अन्तर्गत लोहार, सुनार बाइडी § बढई§ बाजगी, जोगरा, नाथ इत्यादि सम्मिलित किये जाते हैं। सबसे निम्न वर्ग कोल्टा अथवा डोम कहे कहे मोची, शो या कोलियों का होता है जिन्हें अप्रति समझा जाता है । इस प्रकार सामाजिक विभेद परम्परागत हिन्दू जाति प्रथा से मेल खाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जौनसारी समाज को जन जाति को संज्ञा क्यों प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक समान नहीं मान लेना चाहिए । मानव विज्ञानियों ने जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया है ।

* जनजाति एक ऐसा विशेष जन समूह होता है इसकी अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी होने के साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। अतः सम्पूर्ण जौनसारी समाज को

कार्यप्रणाली प्रतिरूप अथवा उसके विभिन्न उपसमूहों को कार्य प्रणाली को ज्ञात करने के लिए उसको विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन अत्यावश्यक रूपसे किया गया है।

जिस प्रकार की जाति प्रथा मैदानी भागों में प्रचलित है वैसे प्रथा जौनसारो जाति के नहीं पायी जाती । किन्तु उनके यहाँ जनसंख्या दो वर्गों में विभक्त की जाती है एक ऐसा वर्ग जिसके पास अधिकार है दूसरा ऐसा वर्ग जिसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है । जमींदार वर्ग धनी होता है तथा इस वर्ग के लोग उच्च समूहों में आते हैं। शेष लोग निर्धन कहे जाते हैं । जौनसारो समाज का सबसे निचला वर्ग स्थायी नियमों § तस्तर-उल-अमल § के अनुसार भूमि का स्थायित्व वह नहीं प्राप्त कर सकता था । उन्हें तो अपने मालिकों के लिए काम करना पड़ता था जो खास कहे जाते हैं । जौनसारो समाज में इस वर्ग के अछूत समझा जाता है इसी जनजातीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के भूस्वामी बनने का अधिकार प्राप्त होता है, किन्तु वर्ण व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व सर्वाधिक प्रभावशाली जाति के पास होता है । और उनका आर्थिक संगठन ऐसा होता है जिसमें अन्य जातियाँ खेतो करने अथवा फसल के एक भाग को प्राप्त करने को अधिकार के बदले सेवा कार्य करती हैं। यदि हम उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जौनसारो जनजाति जाति के आधार पर विभाजित है ।

श्री वी० एन० मजूमदार ने "इकानामो आफ खास-ए पालियेन्ड्स पोपुल ऑफ दो सिस-हिमाययाज" नामक ग्रन्थ में कहा कि बदलते हुए आर्थिक जीवन में जौनसारी जनजातियों में काफी बेचैनी और असन्तोष व्यक्त कर दिया है इस असन्तोष का सबसे बड़ा कारण जमींदारों द्वारा बनाये गये कोल्टाओं के प्रति प्रशासन का बदलता हुआ दृष्टिकोण है।

इस प्रकार असन्तोष के फलस्वरूप जौनसारी जनजाति के विभिन्न उपसमूहों के पारस्परिक सम्बन्धों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाये गये हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं -

- §अ§ इस बात का पता लगाना कि जनजाति को परिभाषा में जौनसारी समाज कितना मेल खाता है।
- §ब§ जौनसारी समाज के पारम्परिक सामाजिक संगठन में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना।
- §स§ इस बात का पता लगाना कि जौनसारी समाज के तीनों उपसमूहों में कितना अन्योन्याश्रय है।

प्रस्तुत शोध का कार्य क्षेत्र ग्राम लुधेरा एवं ग्राम चिल्ला §जौनसार, बावत, बिला- देहरादून § - ग्राम सुमन क्यारी एवं नैन बाग बाजार §जौनपुर - जिला देहरी गढ़वाल § तथा ग्राम ठकराडो एवं ग्राम पुजेलो § खाई जिला- उत्तरकाशी § है। यह ऐसे ग्राम हैं जहाँ जनजातीय समूह बहुतायत में रहते हैं। गावों का चयन यादृच्छिक चयन विधि द्वारा किया गया है।

प्रणाली विज्ञान के अन्तर्गत शोध कर्ता को रूप रेखा का सूत्रीकरण तथा अनुप्रयोग इस प्रकार किया गया है कि आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण की दशाओं से प्रस्तुत अध्ययन के लक्ष्यों को पूर्ति के सन्दर्भ उठाये गये विशिष्ट प्रश्नों के सन्तोष प्रद उत्तर ढूँढने में सहायता मिले ।

विभिन्न जातियों को विशेषताओं का वर्णन करने के लिए अत्यधिक मात्रा में सामाजिक शोध कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी समाज के प्राणियों का अध्ययन किया जा सकता है अथवा उसकी सामाजिक संरचना का विवरण दिया जा सकता है। वर्णनात्मक शोध का सम्बन्ध परिस्थितियों अथवा अन्तर सम्बन्धों से होता है। रीति, रिवाजों, विश्वासात्मक मान्यताओं अथवा उन मनोवृत्तियों से होता है जो समाज में पायी जाती हैं। शोध कार्य की रूपरेखा में आंकड़ों का एकत्रीकरण उनका संश्लेषण तथा विश्लेषण आदि सम्मिलित किया गया है।

वर्णनात्मक शोध आंकड़ों के एकत्रीकरण का किसी एक विधि तक सीमित नहीं रहता । यद्यपि ऐसे शोध कार्य में अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि शोध का लक्ष्य पूर्ण और यथार्थ सूचना प्राप्त करना होता है अतः शोध कार्य की रूपरेखा रखी गई है कि जिसमें पूर्वाग्रह से पूर्णरूप से बचा जा सके । अतः प्रस्तुत शोध में क्षेत्र निरोधन साक्षात्कार प्रश्नावली आदि विधियों का प्रयोग किया गया है। सामाजिक आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रमुख विधि है निरोधन । निरोधन में स्वयं

भागीदारी को गई निरोधन विधि का प्रयोग करने का एक प्रमुख कारण यह है कि जनजातियों के आचरण प्रतिरूप का सर्वाधिक ज्ञान इसी से होता है ।


साक्षात्कार और प्रश्नावली उपागम में व्यक्ति के अनुभवों और प्रेरणाओं के सम्बन्धी में सूचना प्राप्त करने के लिए उनके मौखिक रिपोर्ट पर अत्याधिक मात्रा में अवलम्बित रखा जाता है, प्रश्नावली में सम्मिलित किये गये प्रश्नों और साक्षात्कारों का लक्ष्य अतीत और वर्तमान के आचरण परकेन्द्रित है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता जौनसारी जनजाति के बीच उपसमूहों के विषय में विवरण प्रस्तुत करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। प्रतिदर्श। काययन इस प्रकार से रखा गया है कि उस पर आधारित निष्कर्ष सम्पूर्ण जनसमुदाय के अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों से मेल खाता है।

प्रस्तुत शोध का मूल उद्देश्य जौनसारी जनजाति के तीन उपसमूहों के अन्योन्योन्वयन को सीमा का पता लगाना होने के कारण इसके द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत आधार पर सूचना एकत्रित की गई है। सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक संगठन के सम्बन्ध में सूचना व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा सहभागी अवलोकन के द्वारा प्राप्त की गई है।

विश्लेषण की प्रक्रिया में साधात्कार द्वारा प्राप्त उत्तारों को कोडिंग, निरोक्षणों को कोडिंग, अंकडों का सारणीयन सांख्यिकीय परिकलन किया गया है। अंकडों के विश्लेषण का एक मात्र लक्ष्य एकत्रित अंकडों को इस प्रकार संक्षिप्त करना है। जिसे शोध कार्य के लिए प्रेरित करने वाले सभी सम्भव प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके।

INNU LIBRARY
Acc. No.
Acc. No. 103375
Date..... 4-6-05
Class by.....
Sub. heading by.....
Enter by.....
Prescribed by.....





जीनसारी समाज के तीन उपसमूहों में अन्तर्सम्बन्ध

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सामाजिक मानव विज्ञान विषय में

डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध



शोधकर्ता :

इन्दु प्रकाश

पर्यवेक्षक :

प्रो० डॉ० ए० आर० एन० श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष

सामाजिक मानव विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

1992

SOC
BUS

प्रिय तनु को

Certified that the candidate Indu Prakash has fulfilled all the requirements for the submission of his Thesis "Jaunsari Samaj Ke Teen-Up Shamuh Me Anter Shambandh" for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Social Anthropology of the University of Allahabad.

Date :

Prof. Dr. A.R.N. Srivastava
Research Supervisor
Social Anthropology Department
Allahabad University.

NEHU LIBRARY
Acc. No. 103375
Acc. No. 103375
Date Recd. 27.6.2015
Class. by 2015
Sub. heading by 2015
Enter by 2015
Transcribed by 2015

आभारोक्ति

सर्वप्रथम, मैं अपना आभार उस परम ब्रह्म, परमेश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ, जिसने नाना प्रकार के विविध रूपों में सर्वत्र अपनी लीला रची। उस गिरिराज हिमालय को सत प्रणाम जिसने अपने गोद में मेरे विषय क्षेत्र को संरक्षण दिया।

साथ-साथ मैं अपने विभाग के अध्यक्ष प्रो० ए०जी०एस०श्रीवास्तव जी को भी मेरे शोध निरीक्षण जी है, जिनके बिना मेरे कार्य इतने सरल न हो पाते, कि मैं अपना कार्य पूरा कर पाता। उनके प्रति जितना भी आभार प्रकट कर सकूँ ही होगा। अपने परम पूज्य गुरुवर की बार-बार वन्दना करता हूँ।

अपने अध्ययन क्षेत्र के ग्राम लुधेरा के श्री नारायण सिंह तोमर, ग्राम घिल्ला के श्री अतर सिंह चौहान नैनबाग बजार के स्व० श्री० धारणधर, श्री० राम ठकराणी के लाखी सिंह रावत, साबू कोल्टा, दुर्ग कोल्टा तथा खेन्तु दास चमार, एवं मुलुक बाजगी, ग्राम पुजली के पुजारी श्री हरिकृष्ण नौडियाल के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता। जिनकी सहायता के बिना यह दुष्कर कार्य सम्भव न हो पाता।

ओ०एस०जी०सी० देहरादून के महा प्रबन्धक सुरक्षा, श्री जी०एस०श्रीवास्तव आई०पी०एस का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अपने अति मूल्यवान समय में कुछ समय निकाल कर मेरी शोधकार्य में यथेष्ट सहायता की एवं उनके परिवार के प्रति मैं भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हर सम्भव सहायता प्रदान की, अपने विभागीय मित्रों एवं सहयोगियों में सर्वप्रथम श्री समीर राय § शोधछात्र § तथा श्री आलोक सहाल, परियोजना अधिकारी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय यथा सम्भव मेरी सहायता करके यह दुष्कर कार्य अत्यन्त सरल कर दिया

अपने प्रिय मित्र शशि भूषण शर्मा के प्रति आभार प्रकट करना उसे गाली देने जैसा लगता है क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त सहायता अतुलनीय है, शशि के द्वारा दी सहायता इस प्रकार की है कि मानो मरते हुये व्यक्ति को संजीवनी बूटी एवं सूतप्राय व्यक्ति में प्राणों का संचार मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शशिभूषण के इस ऋण से कभी उच्छ्वसन हो सकूँगा ।

मैं अपनी प्रेरणा तनु को न तो आभार प्रकट करने की स्थिति में हूँ न ही उसके द्वारा प्रदत्त मानसिक सहायता को शब्दों की सीमाओं में अभिव्यक्त करने की क्योंकि उसके द्वारा प्रदत्त मानसिक उर्जा एवं प्रेरणा ही इस शोध कार्य को पूर्व रूपेण सम्पादित कराने में सफल रही अतः यह शोध प्रबन्ध भी मैं उसी को समर्पित करता हूँ ।

अपनी परमपूज्य माता एवं पिता श्री डीएस०लाल, जिनके अथक प्रयासों से मैं यह शोध प्रबन्ध लिखने एवं पूरा करने योग्य बना तथा आज वस्तुतः समाज में जो कुछ हूँ उन्हीं की देन हूँ अतः अन्ततः परमपूज्य पिता एवं माता की धरणी की बारम्बार वन्दना करता हूँ ।

अपने सभी मित्रों एवं कंधन सिंह तथा सभी सहयोगियों जिन्होंने समय-समय पर क्या सम्भव सहायता प्रदान करके मुझे मानसिक उत्साह प्रदान किया जिसके फलस्वरूप यह शोध कार्य पूरा हो सका उन सबको धन्यवाद । मसान निवासी श्री भायन भावान शिशु जी वन्दना करते हुये मैं शोध प्रबन्ध को उन्हीं के धरणी में समर्पित करता हुआ अपने को कृत्य-कृत्य अनुभूति कर रहा हूँ ।

"त्वदीयं वस्तु गोविन्दम तुम्यमेव समर्पयामि "

मंगलवार
15-12-92
इलाहाबाद

शोध कर्ता
इ-3 यम
इन्दु प्रकाश

विषयानुक्रम

अध्याय-		परी स्वय	पेज नम्बर
	1		
	1.1	क्षेत्र	1 14
	1.2	निवासी	15 24
	1.3	अध्ययन में बर्णित समस्या का उपागम	25 28
	1.4	शोध सम्बन्धी पूर्ववर्ती अध्ययनों की समीक्षा	29 33
अध्याय-	2	जौनसरी जनजाति की प्रमुख संस्थाये	34 63
अध्याय-	3	शोधकी कार्यविधि	
			64 71
	3.1	प्रस्तुत अध्ययन का महत्व	64 71
	3.2	कार्य प्रणाली एवं शोध क्रियाविधि	72 77
	3.3	एकत्रीकरण, सारणीयन तथा आंकड़ों का विश्लेषण	78 105
	3.4	शोध के परिणाम	106 110
अध्याय-4	निष्कर्ष		111 127
दस्तूर-उल-आल			128 152
अध्याय-5	सन्दर्भसूची		153 163

चित्रो स्व मान चित्रो की सुची

- 1- भारत मे जन जातिये प्रतिशत
- 2- चक्राता तहसी का मानचित्र
- 3- ग्राम लुधरा का दृश्य
- 4- भौगोलिक क्षेत्र
- 5- मछली का शिकार
- 6- कोल्टा बच्चो का समूह
- 7- दो पीढ़ियो के बीच का शोध करता
- 8- जौनसारी चिल्हा
- 9- सयुक्त खासा परिवार
- 10- कोल्टा परिवार
- 11- खासा बच्चे स्व बेटी कार्यरत
- 12- कृषिकारत महिला
- 13- जौनसारी टोकी खां
- 14- लाखाण्डल का मंदिर
- 15- जौनसारी वाद यन्त्र
- 16- यातायात का साधन
- 17- शीत जालीन ग्राम का दृश्य
- 18- सोहार्द स्थापन
- 19- मेला
- 20- जौनसारी बांध {निमपिधीन}
- 21- जोड़ा वृत्त
- 22- ताप मान विभिन्नता

परिचय

जौनसार -बावर § देहरादून §, जौनपुर §टेहरी गढ़वाल § तथा खाई § उत्तरकाशी § द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जौनसारी कहते हैं जौनसारी समाज तीन उप-समूहों में विभक्त किया जाता है : खासा, शिल्पकार, तथा कोल्टा । खासा समुदाय या तो राजपूत अथवा ब्राह्मण होता है जो इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या के आधार भूत तत्वों से मिलजुल गई है अथवा उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है । शिल्पकार समाज के अन्तर्गत लोहार, सुनार बाइंडी § बट्टई § बाजगी, जोगरा, नाथ इत्यादि सम्मिलित किये जाते हैं। सबसे निम्न वर्ग कोल्टा अथवा डोम कहो कहो मोची भी या कोलियों का होता है जिन्हें अछूत समझा जाता है । इस प्रकार सामाजिक विभेद परम्परागत हिन्दू जाति प्रभा से मेल खाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जौनसारी समाज को जन जाति को संज्ञा क्यों प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक समान नहीं मान लेना चाहिए । मानव विज्ञानियों ने जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया है ।

" जनजाति एक ऐसा विशेष जन समूह होता है, इसको अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी होने के साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। अतः सम्पूर्ण जौनसारी समाज को

कार्यप्रणाली प्रतिरूप अथवा उसके विभिन्न उपसमूहों को कार्य प्रणाली को ज्ञात करने के लिए उसको विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन अत्यावश्यक रूपसे किया गया है।

जिस प्रकार की जाति प्रथा मैदानी भागों में प्रचलित है वैसी प्रथा जौनसारी जाति के नहीं पायी जाती। किन्तु उनके यहाँ जनसंख्या दो वर्गों में विभक्त की जाती है एक ऐसा वर्ग जिसके पास अधिकार है दूसरा ऐसा वर्ग जिसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। जमींदार वर्ग धनी होता है तथा इस वर्ग के लोग उच्च समूहों में आते हैं। श्रेष्ठ लोग निर्धन कहे जाते हैं। जौनसारी समाज का सबसे निचला वर्ग स्थानीय नियमों § दस्तूर-उल-अमल § के अनुसार भूमि का स्थायित्व वह नहीं प्राप्त कर सकता था। उन्हें तो अपने मालिकों के लिए काम करना पड़ता था जो खास कहे जाते हैं। जौनसारी समाज में इस वर्ग के अछूत समझा जाता है इसी जनजातीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के भूस्वामी बनने का अधिकार प्राप्त होता है, किन्तु वर्ण व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व सर्वाधिक प्रभावशाली जाति के पास होता है। और उनका आर्थिक संगठन ऐसा होता है जिसमें अन्य जातियाँ खेती करने अथवा फसल के एक भाग को प्राप्त करने को अधिकार के बदले सेवा कार्य करती हैं। यदि हम उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जौनसारी जनजाति जाति के आधार पर विभाजित है।

श्री वी० एन० मजूमदार ने "इकानामो आफ खास-ए पालियेन्ड्स पोपुल ऑफ दो सिस-हिमाययाज" नामक ग्रन्थ में कहा कि बदलते हुए आर्थिक जीवन में जौनसारी जनजातियों में काफी बेचैनो और असन्तोष व्यक्त कर दिया है इस असन्तोष का सबसे बड़ा कारण जमींदारों द्वारा बनाये गये कोल्टाओं के प्रति प्रशासन का बदलता हुआ दृष्टिकोण है।

इस प्रकार असन्तोष के फलस्वरूप जौनसारी जनजाति के विभिन्न उपसमूहों के पारस्परिक सम्बन्धों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाये गये हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं -

- §अ§ इस बात का पता लगाना कि जनजाति को परिभाषा से जौनसारी समाज कितना मेल खाता है।
- §ब§ जौनसारी समाज के पारम्परिक सामाजिक संगठन में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना।
- §स§ इस बात का पता लगाना कि जौनसारी समाज के तीनों उपसमूहों में कितना अन्योन्याश्रय है।

प्रस्तुत शोध का कार्य क्षेत्र ग्राम लुधेरा एवं ग्राम चिल्ला §जौनसारी, बावत, बिला- देहरादून § - ग्राम सुमन क्यारी एवं नैन बाग बाजार §जौनपुर - जिला टेहरों गढ़वाल § तथा ग्राम ठकराडो एवं ग्राम पुजेली § खाई जिला- उत्तरकाशी § है। यह ऐसे ग्राम हैं जहाँ जनजातीय समूह बहुतायत में रहते हैं। गावों का चयन यादृच्छिक चयन विधि द्वारा किया गया है।

प्रणाली विज्ञान के अन्तर्गत शोध कर्ता को स्पष्ट रेखा का सूत्रोकरण तथा अनुप्रयोग इस प्रकार किया गया है कि आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण की दशाओं से प्रस्तुत अध्ययन के लक्ष्यों को पूर्ति के सन्दर्भ उठाये गये विशिष्ट प्रश्नों के सन्तोष प्रद उत्तर ढूँढने में सहायता मिले ।

विभिन्न जातियों की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए अत्यधिक मात्रा में सामाजिक शोध कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी समाज के प्राणियों का अध्ययन किया जा सकता है अथवा उसकी सामाजिक संरचना का विवरण दिया जा सकता है। वर्णनात्मक शोध का सम्बन्ध परिस्थितियों अथवा अन्तर सम्बन्धों से होता है। रीति, रिवाजों, विश्वासों मान्यताओं अथवा उन मनोवृत्तियों से होता है जो समाज में पायी जाती हैं। शोध कार्य को स्पष्टरेखा में आंकड़ों का एकत्रीकरण उनका विश्लेषण व्याख्या तथा विश्लेषण आदि सम्मिलित किया गया है।

वर्णनात्मक शोध आंकड़ों के एकत्रीकरण का किसी एक विधि तक सीमित नहीं रहता । यद्यपि ऐसे शोध कार्य में अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि शोध का लक्ष्य पूर्ण और पथार्थ सूचना प्राप्त करना होता है अतः शोध कार्य को स्पष्टरेखा रखी गई है कि जिसमें पूर्वाग्रह से पूर्णरूप से बचा जा सके । अतः प्रस्तुत शोध में क्षेत्र निरोधन साक्षात्कार प्रश्नावली आदि विधियों का प्रयोग किया गया है। सामाजिक आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रमुख विधि है निरोधन । निरोधन में स्वयं

भागोदारी को गई निरोक्षण विधि का प्रयोग करने का एक प्रमुख कारण यह है कि जनजातियों के आचरण प्रतिरूप का सर्वाधिक ज्ञान इसी से होता है ।


साक्षात्कार और प्रश्नावली उपागम में व्यक्ति के अनुभवों और प्रेरणाओं के सम्बन्धी में सूचना प्राप्त करने के लिए उनके मौखिक रिपोर्ट पर अत्यधिक मात्रा में अवलम्बित रहा जाता है, प्रश्नावली में सम्मिलित किये गये प्रश्नों और साक्षात्कारों का लक्ष्य अतीत और वर्तमान के आचरण परकेन्द्रित है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता जौनसारी जनजाति के बीच उपसमूहों के विषय में विवरण प्रस्तुत करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। प्रतिदर्श। कायमन इस प्रकार से रखा गया है कि उस पर आधारित निष्कर्ष सम्पूर्ण जनसमुदाय के अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों से मेल खाता है।

प्रस्तुत शोध का मूल उद्देश्य जौनसारी जनजाति के तीन उपसमूहों के अन्वेषण को सीमा का पता लगाना होने के कारण इसके द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत आधार पर सूचना एकत्रित की गई है। सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक संगठन के सम्बन्ध में सूचना व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा सहभागो अवलोकन के द्वारा प्राप्त की गई है।


विश्लेषण की प्रक्रिया में साक्षात्कार द्वारा प्राप्त उत्तरों की कोडिंग, निरोधणों की कोडिंग, आंकड़ों का तारणोपन सांख्यिकीय परिकलन किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण का एक मात्र लक्ष्य एकत्रित आंकड़ों को इस प्रकार संक्षिप्त करना है। जिससे शोध कार्य के लिए प्रेरित करने वाले सभी सम्भव प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके।

PERCENTAGE OF SCHEDULED TRIBES TO TOTAL POPULATION



अध्याय - एक

परिचय



MAP OF
TEHSIL CHAKRATA
DIST. DEHRADUN



भौगोलिक क्षेत्र

1.। उत्तर प्रदेश के जोन्सास्वावर § देहरादून § जौनपुर § टेहरो गढ़वाल§ तथा खाइन§उत्तरकाशी§ द्वारा घिरे हुये क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते है । जिन्हे सामूहिक रूप से जौनसारी कहते है इन क्षेत्रो को भौगोलिक क्षेत्र लिखी - स्थिति इस प्रकार है -

बहुं पच हिमालयस्य कथिता


नेपाल - कुमाँ चलो

केदारोडथ जलंधरोडथ रुचिह

कश्मीर - संज्ञोडन्तिमः

परम्परागत रूप से हिमालय को पाँच खण्डों में विभक्त किया माना है । नेपाल, कुमाँचिल कुमाँऊ, केदार §गढ़वाल§ तथा गढ़वाल के पश्चिम में जलन्धर खण्ड स्पष्ट था ऐसी अवस्था में देहरादेन का पहाड़ी इलाका एवं जौनसार गढ़वाल में था।

देहरादून जिले के स्पष्ट रूप से दो भाग है उत्तर में जमुना के पार जौनसार बाबर का पहाड़ी इलाका एवं दक्षिण में वाह्य हिमालय और शिवालिक के बीच में इनको समतल सो भूमि अनुसूचित जाजातीय क्षेत्र जौनसार- बाबर यद्यपि देहरादून जिले का ही अंश है किन्तु नृत्त्वोय एवं प्राकृतिक दृष्टि से देहरादून से बिल्कुल स्वतंत्र है जौनसार बाबर देहरादून जिले का एक सख डिविजन तहसील है जो कि $77^{\circ} 42''$ देशान्तर से 78° देशान्तर के बीच एवं $30^{\circ} 31''$ अक्षांश से लेकर $31^{\circ} 2''$ अक्षांश के मध्य स्थित



है , यह आकृति में अण्डाकार है जिसका अक्ष उत्तर और दक्षिण को है -
जौनसार बावर को प्राकृतिक सीमाये निश्चित है उत्तर पूर्व से टोंस
पहाड़ोँ चलकर इसको सीमा निर्धारित करती हुई पश्चिमी सीमा बनाती
हुई कालसी के पास जमुना में मिलती है , टोंस उत्तर में देहरी के खाँड
परगने के अलग करती है पश्चिम में जुब्बल और सिरमौर पुरानी रियासतोँ
को यही विभाजक है । पूर्व में जमुना अपनी शाखा रिकनरागाढ़ को लिये
इसे पहले देहरी से और दक्षिण में इनसे अलग करती है, जौनसार बावर
परगना अर्थात् चकराता तहसिल का पश्चिमोत्तर छोर थोड़ा सा टोंस के
दाहिने किनारे पर है - जौनसार बावर के पहले दो परगने है और तीन
प्राकृतिक उपविभाग - 1. जौनसार वह भू भाग है, जिसके उत्तर में लोखन्डो
, पूर्व में जमुना, पश्चिम में उसके संगम तक टोंस है इस प्रकार यह आकृति
में त्रिकोनाकार है सिका शिखर शकटाकार है, जिसका निम्न मात्र कालोस
के पास उत्तर में दक्षिण अठारह मील का है 2. दूसरा लोखन्डो काइलाका
है जो कि जौनसार परगने को चौड़ाई के ऊपर पूर्व से पश्चिम पाँच मील
लम्बा है लोखन्डो भी पुराने जौनसार परगने का ही एक मात्र है 3.
शेष दस मील लम्बा उत्तरी भाग बावर है। टोंस के पार वालादेवघर का
इलाका इसी में पड़ता है जौनसार- बावर बिल्कुल पाहड़ी और खड्डोँ की
भूमि है जमुना टोंस की जल विभाजक श्रेणी कालसी के पास हरीपुर व्यास
से शुरू होकर चकराल देववन के पश्चिम में होती हुई उत्तर पूर्व की ओर घूमकर

लोकर के ऊपर से करम्यबा की चोटियों पर पहुँचती है बेराटे में दूसरी चकराता सड़क पर्वत दण्ड से आ मिलती है। यहाँ पर 7399 फुट उँची एक चोटो है जिससे और उत्तर में क्याबा के पास एक दूसरी चोटो 6559 फुट उँची है, फिर देववन 9331 फुट, एक दूसरी चोटो 8730 फुट जहाँ से पर्वत दण्ड उत्तर पूर्व की ओर मुझता है और बजामाटी में 9537 फुट तथा दूसरी 9200, 9555, 10075, की चोटियों को लेते देहरो जिले में घुसकर बन्दरपूँछ {जमुनोत्री शिखर} की बाहियों में मिल जाता है। इसी मुख्य पर्वत दण्ड से बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ निकल कर गंजा और यमुना की घाटाओं की ओर जाती है, जिनसे फिर कितनी ही बाहियों निकलती हैं। जौनसार बावर की भूमि इसी प्रधान पर्वत दण्ड और उसकी उप श्रेणियों से ढकी है जिनमें जमुना और टेंस की शाखाओं ने खोदकर अपने लिये स्थान बनाया है। खड्डों के सीधे उतरने तथा जमीन के पथरीली होने के कारण खेत बनाना अज्ञान नहीं है। पत्थर यहाँ अधिक तर चूना पत्थर है। यहाँ जंगल कम और नंगी शिलाये अधिक है। बहुत से स्थानों में तोहरी घास बरसात में ही देखने में आती है।


हिमालय तथा शिवालिक दो पर्वत जिन पर जौनसारो जनजाती निवास करती है इसी क्षेत्र में पड़ते है -

शिवालिक { सापद ल्हा } यह सबालाख से बना है जो इस पहाड़ी को बहुसंख्यकता को प्रदर्शित करता है शिवालिक हिमालयके दक्षिण

द्विजा में कश्मीर से आसाम तक सर्वत्र विविधकृत अवस्था में व्याप्त है गंगा हरिद्वार के पास इसी शिवालिक श्रेणी को काटकर मैदान में आती है यहाँ शिवालिक का नाम मोती चोर है जौनसार बावर में जिस तरह एक मुख्य पर्वत दण्ड और फिर बहुत सारी श्रेणियाँ बाहिया उनसे निकलती देखी जाती वही बात शिवालिक में नहीं पायी जाती । यहाँ बहुत सी ऊँची एवं लम्बी पर्वत श्रेणियाँ चारों ओर चली गयी है शिवालिक की निम्न ढलानों में साल के घने जंगल, ऊपर की ओर थोड़े बहुत चोड़ के वृक्ष पाये जाते है शिवालिक में अधिकतर बालुआ पत्थर पाया जाता है जो अत्यन्त नरम होता है शिवालिक से करोड़ों वर्ष पुराने प्राणियों की प्रस्तरीकृत हड्डियाँ भी मिलती है ।

मंसूरी से देहरादून की तरफ निकलती हुई पर्वत श्रेणी वाह्य हिमालय श्रेणी है यह श्रेणी 7459 फुट तथा 8565 फुट पर जाकर समाप्त हो जाती है। 7459 लालाटिब्बा, 8565 फुट तोपिटिब्बा पहाड की घाटों में बसे गावों के आस - पास के जुगल जलाकर कोल में बना दिये गये लेकिन ऊपर के भागों के जंगल मनुष्यों द्वारा लगातार नष्ट किये जाने के बाद भी बनाये हुये है पाँच हजार फुट के ऊपर वांज और बुरांस केजंगल मिलते है ।

इस जन्जातीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से तीन नदियों , यमुना, टोंस एवं रिखनाड इसकी सीमाओं पर प्रवाह करती है एवं क्षेत्र के अन्दर



छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ इनसे मिला करती है -




टेहरी जिले के वन्दरपूछ या यमुनोत्री से निकल कर देववन से सोढ़े बारह मील ठीक पूर्व लौडरखार में यमुना इस क्षेत्र में दाखिल होती है यही पर इसमें रिखनार गढ़ की एक छोटी सी नदी आ मिलती है जिसे रिखनाड नदी भी कहते हैं जो कि बावर को टेहरी जिले के खार्ह परगने के राधासैराय पट्टी से अलग करती है, यहाँ से आठ मील नीचे से मोहना और बावर खार से होकर आने वाली खुटनगाढ़ दाहिनी ओर से आकर यमुना में मिलती है, यही से प्रायः 20 मील यमुना दाक्षिण वाहिनी हो जाती है और चकराता तहसील के दक्षिण पूर्व के कोने पर पहुँचकर एकदम पश्चिम की ओर मुड़ कर चकराता तहसील की दक्षिणी सीमा बनाती है। यहाँ से सात मील बाद देववन पहाड़ से निकलकर अगलावा नदी उत्तर से आकर इसमें मिलती है। दो मील पश्चिम जाने पर चकराता मार्ग पर बने पुल के कुछ नीचे टोंस इसमें सम्मिलित होता है यह टोंस यमुना की एक प्रधान शाखा उससे एकदम अलग है इसकी मुख्य शाखा सुपिन यमुनोत्री से काफी उत्तर हिमालय श्रेणी से निकलती है सुपिन आगे बढ़ कर महासू जिले से आने वाली रूपिन को लेकर टोंस का नाम धारण कर कुछ दूर तक चकराता तहसील की उत्तरी सीमा बनाता हुआ तिऊनी के पास रोड़ तहसील से आने पट्टर नदी को अपने आसमत्त कर लेती है। पट्टर से मिलकर मिल कर टोंस १ पहाड़ी १ थोड़ी दूर तक दक्षिण वाहिनी होकर

जोनसार बावर के पश्चिमोत्तर छोर के बीच से होती है जुब्बल और सिरमौर की सीमा बनाता कालसी के पास यमुना में मिलती है, इस क्षेत्र अन्य उप नदियों में बेनालगाढ़ एवं उसकी शाखाये बानाधार एवं लाखी खाट को अलग करती है। खूटनूगाढ़ की शाखाये निगलगाढ़ तथा दूसरे नाले यनगाँव खाट से पानी को बाहर यमुना में ले जाते हैं बावर खाट के दक्षिण में धारागाढ़ बहती है जो इसे बानाधार खाट से अलग रकती है। धारागाढ़ काफी बड़ी नदी है। धावडगाढ़ नदी बिसहल खार के उत्तरी हिस्से में बहती है सेलीखार में सेलीगा बहती है।


इस क्षेत्रके पहाड़ स्लेटी-क्वार्ट्ज तथा ज्वाला मुखी के बारीक राखी के है देववन में चूना पत्थर भी बहुत मिलते है सभी प्राचीन चट्टाने फासिल रहित जिससे वह अर्न्ति प्राचीन सिद्ध होती है ।

इस क्षेत्र के वाह्य हिमालय वाला भागा विविध प्रकार के खनिज सम्पदा से युक्त है काला पावर गाँव के पास लोहे की खानों के अन्वेष मिलते है कालसी और जलौटा पुल के बीच की भूमि के खनिजों के बारे मे मेजर-जेनरल बेरसफोर्डलोघ्ट को लाइसेन्स दिया गया, बुसारू ने हमे टाइट लोहे की मुनमिली जिसका इडालैन्ड में परीक्षण हुआ तो उसमे पैसठ प्रतिशत शुद्ध लोहा पाया गया लोहे की धुने कालसी के पास कुवन और मिनसु के बीच, बेरसार, लोहारो, गासको में पाई जाती है कालसी के नजदीक पुरावा मे तथा अमलवा के दोनों किनारे एवं कंडा की खानों में तांबा मिलता है, वॉला में सुरमा तथा पालन में जिंक & जस्ता एवं कही- कही पर सीसे को भी

EXTREMES OF TEMPERATURE



TEMPERATURE VARIATIONS (ACTUAL) (°C)



- EXTREME MAXIMUM RECORD
- MEAN ABSOLUTE MONTHLY
- MEAN DAILY MAXIMUM
- MONTHLY MEAN
- MEAN DAILY MINIMUM
- MEAN ABSOLUTE MONTHLY MINIMUM
- EXTREME MINIMUM RECORD

0 50 100
KM



खाने है ।

जमुना को बालु को धुलाई से सोना निकाला जाता है बहुत सम्भावना है कि इस क्षेत्र में सोने की मातृका होनी चाहिये प्रायः सभी नदियों में घने का कावेनित मिलता है ।

इस क्षेत्र के तापक्रम भिन्न-भिन्न ऊचाइयों के कारण अलग-अलग होते है यमुना और टेंस तथा उसकी शाखये जौनसार में बहती है, यहां मार्च से अक्टूबर के अन्त तक नीचे के स्थानों में गर्मी बहुत होती है जाड़ी में नदी के पास वाले स्थान पहाड़ों के अपेक्षा अधिक सुखद मालूम होते है वर्षा के समय एवं उसके बाद यहाँ भारी कुहौसा छा जाता है पाँच हजार फुट के ऊपर जनवरी में तथा छह हजार फुट एवं ऊपर नवम्बर के बाद से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है तथा वातावरण यूरोप के जैसा हो जाता है सम्पूर्ण पर्वत श्रृंखला हिम से आच्छादित होकर धवल दुग्ध कान्ति वाली हो जाती है मानसून को यहाँ पहुँचने में लगभग पन्द्रह दिन लग जाते है इस क्षेत्र को औसत वर्षा जो चकराता में रिकार्ड की गयी 70 इंच वार्षिक है ।

जौनसारी जनजाती के क्षेत्रों के जंगलों को चार प्रकार क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है।

गरम क्षेत्रों के जंगल सिर्फ कालसी का जंगल है जोकि चार हजार फुट तथा चाला गया है यहा महत्वपूर्ण वृक्षाला है जो कि कम जगहो पर



पाया जाता है शेष वृक्ष कुकाउ है जिनका उपयोग ग्रामवासी ईंधन के लिये करते हैं ।

तीन हजार फुट से साढ़े छह हजार फुट की ऊँचाई वाला क्षेत्र नरम क्षेत्र कहा जाता है इन क्षेत्रों में निम्न भाग में चोड़ ही देखा जाता है किन्तु ऊपरी भाग में इसके साथ बान के दखत भी मिलते हैं बान के साथ बुरांस और अघार भी मिलते हैं लेकिन यहाँ चोड़ का अभाव होता है ।

तृतीय प्रकार के क्षेत्र को देवदार क्षेत्र भी कहते हैं। छह हजार पाँच सौ फुट से नौ हजार फुट की उचाई तक सबसे मूल्यवान काष्ठों के जंगल मिलते हैं देवदार वृक्षों की प्रधानता होने के साथ साथ राइ, खरग्रा के मिले जुले जंगल मिलते हैं देवदार के वृक्षों के लिये सबसे अनुकूल ऊँचाई साढ़े सात हजार फुट से साढ़े आठ हजार फुट होती है।

नौ हजार फुट की ऊँचाई अतिशीत क्षेत्र कहे जाते हैं इस क्षेत्र में खरग्रा, बान, राई और मोरिंडा के वृक्ष पाये जाते हैं मोरिंडा के वृक्ष ठंडे स्थानों को अधिक पसन्द करते हैं ।

इन जंगलों का प्रबन्ध सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है सम्पूर्ण जंगल पाँच रेन्जों में विभक्त है प्रत्येक रेन्ज के लिये एक-एक रेन्जर नियुक्त है तीन डिप्टी रेन्जर हैं । सैतोस जुगल गारद जंगलों के देख-

भाल के लिए नियुक्त है ।

इन क्षेत्रों में पाये जाने वाले जन्तु निम्न प्रकार के हैं शिवालिक पहाड़ में हाथी पाये जाते पहले इन्हे गढ़वा खोद कर पकड़ा जाता था शिवालिक के जंगल से कभी-कभी बाघ इस क्षेत्र में भी आ जाते हैं । बघेरा इन सब पहाड़ों दोनों जगहों में पाया जाता है तथा यह खास कर कुत्तों को मारता है । भाल काले रंग वाला होता है यह वृक्षों पर से शहद खाता है कभी कभी मांस भी खाता है। कोक {जंगली कुत्ते} के झुंड में होकर चलते हैं इनसे ग्रामोण ब्राह्मि - ब्राह्मि करते हैं। पहाड़ी सियररको छाल नरम एवं घने रोओ वाला होता है। वानर, लंगूर, ये दोनों ही पाये जाते हैं यह खेतों के फलों को बहुत नुकसान करते हैं। साँभर {जडाव} पहाड़ों पर इनके साँभर से कद में बड़ा होता है । काकड़ की ऊँचाई दो फुट तक की होती है । कस्तूरी नामक यह दुर्लभ मृग आठ हजार फुट से ऊपर ही प्राप्त होता है है कस्तूरी इनकी नाभि में गुठली की तरह होती है यहाँ गुराल भी पाया जाता है इसको साँग छह इंच के करोब लम्बी होती है पशुओं में सूअर, खरगोश, साही पाये जाते हैं यहाँ का सबसे सुन्दर पक्षी मुनाल होता है इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में गृह चटका गौरैया, कठफोड़ा कोयल, तोला, पण्डुक, पहाड़ी मैना, कबूतर, मोर गिद्ध चकोर पमचकोर प्यौट्टा बाज एवं द्रोणकाक भी पाये जाते हैं। यह कई प्रकार के गिरगिट मिलते हैं गोह चार फुट के ऊपर की ही पाई जाती है चार हजार फुट

पर जोंक § खनप्युआ § सोलह इंच लम्बी तक पायो जाती मेढक, सापो में अजर बहुत कम मिलता है। रसलसवाइपर विषैला साप है जो यहाँ प्रायः पाया जाता है सेहुअन साँप भी कम मिलता है एक हरे रंग का साँप शिवालिक परकभी- कभी दृश्यमान होता है।

इस क्षेत्र की नदियों में मासिर, करात, गैर, कलाबाँस फरकरा चिलवार, जैसी मछलियाँ पायी जाती है यमुना में बड़ी महासिर छोटी नदियों में रोहू भी पायी जाती है, सौल चाल, गिटो गूँच, जैसी मछलियाँ जलाशयों में मिलती है कुल मिलाकर यह चौबीस प्रकार की मछलियाँ पायी जाती है मछलियों की भारी वृद्धि की सम्भावना अब उस समय होगी जब इन क्षेत्रों में निर्मिषाधीन बड़ी जलनिधियाँ बन जायेंगी ।

इतिहास -

जौनसारी जनजाती के खस अपने को पाँडवों का वंश मानते हैं जौनसारी जनजाति में पाँडवों के समान बहुपति विवाह प्रचलित होने के कारण पाँडवों के पास सम्बन्ध जोड़ना स्वाभाविक है। लखवार और लाखा-मण्डल पाँडव कालीन लाक्ष्य ग्रह से जोड़े जाते हैं यही पर छठी आठवी शताब्दी के बहुत से शिलालेख एवं मूर्तियाँ तथा अनेक मग्नावेश मिले हैं जो किसी कल्पित कथा से अधिक ठोस इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इतिहास का आरम्भ यहाँ मौर्य काल से होता है अशोक का कालसी शिला

लेख अब भी कालसी में यमुना के किनारे जौनसार की सीमा पर मौजूद है कालसी में इस शिला लेख का होना बताता है कि इसा पूर्व तृतीय शताब्दी से इसा पूर्व छठी शताब्दी बुद्ध के समय में भी यह एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ लोगों का गगानागमन बहुत होता था क्योंकि अशोक के शिला-लेख ऐसे स्थानों पर पाये गये हैं जहाँ लोगों का आना जाना बहुत होता था ।

इसाकी दूसरी सदी में कालसी प्रदेश का राजा शीलवर्मा था कालसी के इस पार उसके यज्ञ समाज में मिली ईंटों पर उसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। " चतुर्थस्थाश्व में धस्य नृपते शीलवर्मण चित्तयोडय " जिस लिपिपत्र में है वह कुषाण ब्राह्मणों में है।

गुप्त काल में जौनसार में समुद्र गुप्त का शासन था गुप्तों का ध्वंस कर श्वेत हूणों ने जौनसार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि जौनसार कब्र थाभेख के अधीन था या कन्नोज के हर्षवर्धन इन दोनों राज्यों का शासक था जिससे उसके अधीन में जौनसार बाबर का होना निश्चित है। इस काल की पुरातात्वात्तिक सामग्री उपलब्ध नहीं है सखवार एवं लाखामण्डल के अभिलेख सम्भव है हर्ष कालीन हो हर्ष के के बाद दो सौ वर्षों तक जौनसार पर तिब्बत का अनुशासन रहा होगा कलूरी वंश के राजाओं में यह राजा ललितशूर के शासन में था । इसके बाद जौनसार पर छोटी ठाकुराड़ियों का आधिपत्य हुआ पंचार वंश


§1500 - 1797§ के आधिपत्य पहले यहा एक से अधिक छोटे राजा होने को सम्भवता है लेकिन विशेष जानकारी के लिये कोई साधन नही है।

1254 ई0 जौनसार बावर सिरमौर नाइन के अधीन था, सिरमौर के बारे में मुस्लिम इतिहासकार लिखते है। 1254 ई0 मे सुल्तान मुअज्जम नासिरुद्दनिया- वन्दोन ने सिरमौर के पहाडो को नष्ट भ्रष्ट किया। 1388 ई0 मे सुल्तान फिरोज के पुत्र मुहम्मद ने क्जोर के अत्याचारो के खिलाफ हो अपने बाप से लोहा लिया और उसे भाग कर सिरमौर के पहाड़ी को शरण लेनी पड़ी फिरोज के उत्तराधिकारी तुगलक शाह ने मुहम्मद के विरुद्ध जंग छेड़ी इस युद्ध में पहाड़ी राजाओ ने मुहम्मद का पक्ष लिया इसके दस वर्ष बाद 1398 में तैमूर ने इस ओर आक्रमण किया राजा वहरोज से युद्ध किया उसे लूट कर सिरमौर के राजा रतनसेन को भी पराजित किया। पंवारकाी राजाओ का सिरमौरियो के साथ युद्ध चलता रहता था सम्भवतः यमुना गढ़वाल को सीमा रही हो जौनसार पर सिरमौरियो का अधिकार रहता था । शाहजहाँ के युवराज दारा का पुत्र सुलेमान शिकोह औरजिब के डर से इन्ही पहाड़ी में भाग कर आया § 1770-85 ई§ में इन पहाड़ी के सहारनपुर के गुजर यमुना पार के सिक्ख एवं पठानो ने जम कर लूटा आठारहवी सदी में यह लूटपाट जारी रही ।

जनवरी 1804 में गोर्खों को अधीन यह क्षेत्र चला गया इन और जौनसार बावर को लेते सेना गोखसिना सतलुग के किनारे तक पहुँच गयी ।

बलंगा के युद्ध ३० नवम्बर १८१४ के बाद से यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चला गया १७ नवम्बर १८१५ ई० को इनको सहारनपुर जिले में मिला लिया गया जिसके ओर संनियुक्त कप्तान वर्च ने १८१५-१६ से १८१७ ई० के दो वर्षों में यहाँ का पहला बन्दोबस्त किया कप्तान वर्च को जगह पर कप्तान राँस ने १ नवम्बर १८१८ से २१ अक्टूबर १८२१ तक दूसरा बन्दोबस्त करके मालगुजारी १७००१ रूपया निश्चित की । १ अप्रैल १८१९ को कप्तान एफ० ए० यंग पर्गन का अफसर नियुक्त होकर आया उसने १८२१ ई० से बन्दोबस्त शुरू किया जुलाई १८२४ तक मालगुजारी को वसूलो इसी तरह होती रही, १८२४ ई० में कप्तान यंग ने चौथा बन्दोबस्त किया यह बन्दोबस्त तीन से पाँच वर्ष तक लिये माना । सन् १८२९ ई० में पाँचवा बन्दोबस्त हुआ १८३४ -३५ ई० से १८४८ -४९ ई० के लिये मेजर यंग ने १५ वर्षों के लिये छठा बन्दोबस्त किया। १८४९ ई० में राँस ने नया बन्दोबस्त किया इसी समय राँस ने एक कानून विधान संहिता और स्थानीय पंचायतों के कार्यवाही के नियम को तैयार किया यहो जौनसार बाबर का दस्तूर उल अमल था। जे० सी० रार्वटसन ने १८४९ ई० - १८५५ ई० में आठवाँ बन्दोबस्त अगले १८६०- ६१ के १८७०-७१ ई० के लिये किया इसी समय सबसे पहले जमीन गरीब से नापी गयी, नया बन्दोबस्त १८६०- ६३ ई० में डब्लु कार्नवाल ने किया इस बन्दोबस्त में खातो को सीमा निर्धारित की गई जौनसार और बाबर खरटो पट्टियों में विभक्त थे जौनसार में ३० खार थे और बाबर में पहले एक खार और ५ खार थे जिन्हे बाद में ५ खारों में बदल दिया गया इस प्रकार जौनसार बाबर में ३९ खार है जिन्मे से हर एक का सामना होता

जौनसार बावर , टेहरो और गढवाल मे जिन्हे सयाना कहते है उन्हें
को कुमाऊँ मे कायिन कहा जाता है ।





1-2

निवासी

जौनसार ब्यावर के निवासी अपने आपको खासा कहते हैं। बहुत नजदोक से देखते हुए यह पाया कि क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ये अपने आपको खास कहते हैं। " किरात मण्डले खासा किर्णे ।सभा पर्व अध्याय ४: । वस्तुतः युधिष्ठिर के पास उपहार लेकर आने वाले लोग खासिया लोग थे। लेकिन पुरे क्षेत्र में खासा लोगों का ही निवास नहीं है। इनके नजदोकी रिश्तेदारों में बाहमन हैं, और इनके बीच विवाह का बंधन अक्सर देखने को मिलता है। इनके सबसे निचले वर्ग विश्लेषण में डोम पाये जाते हैं। यह जाति करोबन विजातिय वर्ग के रूपमें पाया जाता है और येअछूत वर्ग के रूप में देखे जाते हैं। वर्गीकरणोय दृष्टि से ये एक अलग वर्ग के रूप में पाये गये हैं। इन जनसंख्या करोबन 23000 है, जो कि पूरे जनसंख्या का 33% है।

ये खासा राजपूत होते हैं। इनका शारीरिक बनावट गोरा रंग लम्बा शरीर, लम्बे नाक, होते हैं। इनके चेहरे का बनावट ऐसा होता है कि ये अपने पड़ोसियों एकदम अलग दिखते हैं। इनके पड़ोसी अधिकांशतः गढ़वाली हैं। खासाओं को हमेशा एक मजबूत प्रजाति के रूपमें देखा गया है। बहुत पहले ये मध्य एशिया से यहाँ आकर बसे और अपना चिन्ह ये कारागर, काश्कारा, हिन्दू कुश, काश्मीर, और इनके आस पास के जगहों में छोड़ आये। एक मान्यताके अनुसार गुरु में इन्डो- आर्य, पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाजगह बना लिया था जो कि हिन्दू-कुश के बिदक्षिण में था, उसके बाद में लोग धीरे-धीरे हिमालय की ओर बढ़े। इसी सारी ग्रंथ लिखी गई।

और थाया जो कि जौनसारी है उनके बीच बहुपति विवाह के से फैली, इसका जबाब हमे किसी इण्डो आर्य के धूमने-फिरने और बसने की आदत के बीच उपजो संस्कृति का नतीजा है जो कि खासा में बहुतायत में पायी जाती है । प्राचीन संस्कृत भाषा में भी हमे खासाओ का वर्णन अच्छा खासा मिलता है । ऐसा देखने को मिला है कि नागा, किराव और खासा, भारत में उसी मार्ग से प्रवेश किये जिस रास्ते से आर्य लोग आये । पहले किरात फिर नागा और बाद में खासा आये और यहाँ बसो हमें कुछ अन्य जनजाति खा, खस, खष, खसोर का वर्णन मिलता है । हम जितना प्राचीन में उन्हें ढूँढते है , हम उन्हें उतनाही पूर्वोत्तर में पाते है। कालहन की राजस्तरानो में हमें खासा का अच्छा खासा वर्णन मिलता है।

जौनसार व्यावर में जो भाषा बोली जाती है उसे पश्चिमो पहाड़ी कहा जाता है । ये भाषा करीबन पहाडों में और अधिकतर शिमला के पहाड़ी में प्रचलित है। कुछ-कुछ अम्बाला, कुल्लू, सुकेत, मण्डो, चम्बा, पूर्वी कश्मीर में भी देखने को मिलती है। इनका वर्गीकरण करे तो हम पाते है कि ये इस तरह है ।

जौनसारी

सिरमौरी

बघातो

किउथाली

सतलुज समूह


कुलुआ

मण्डेलाई

चमेडली

भदरावह समूह

इन भाषाओं को बोलने वाले जो सबसे पुराने आर्य लोग थे । और इस तरह हम कह सकते हैं कि जौनसारी और उनमें भी मुख्यतः बहामामन और राजपूत आर्य थे । ऐसा समझा जाता है कि आर्यों के जो कई झोंके भारत में आये उनमें से कुछ हिन्दू कुशा के क्षेत्रमें बस गये और धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ हिमालय में हो रहते हुये बढ़ते गये और अपना संस्कृति को धीरे-धीरे त्यागते गये लेकिन उनके अन्दर क्षत्रिय की भावना कभी खत्म नहीं हुई । मुस्लिम आक्रमण के समय जब राजाओं या विधवा रानियों ने आश्रय की खोज की तो उन्हें इससे अच्छा और कोई जगह नहीं मिला । राजपरिवार की औरते ये मुसलमानों के हाथों पड़ जाने से अच्छा यहाँ के रहने वाले जौनसारियों से शादी विवाह किया और यहाँ बस गयी । इनकी भाषा भी खासाओं से मिल मिल गयी धीरे-धीरे शादी विवाह करके ये आपस में मिल गये और यहाँ अनुलोभ और प्रतिलोभ तरह के विवाह देखने को मिला । चूँकि विधवा रानियाँ या उच्च घराने की औरते ज्यादा आई और यहाँ बस गयी, जिसके चलते प्रतिलोभ विवाह देखने को मिला और साथ ही इसके पैतृक वंश और बहुजति विवाह को प्रेरित किया ।



डोम -

इस विवाह के बाद जो खासा अपने आपको इस समूह के साथ चलने से इंकार कर दिया या अपने आपको इनसे मिला नहीं पाये वे एक अलग जाति बना ले गये । इन्हे बहम्मण और राजपूतो ने अछूत करार दे दिया और बाद में ये डोम कहलाये । जौनसार के स्थानीय नियमों ने इन डोमों को जमोनों के मालिक बनने से वंचित कर दिया । ये डोम या तो इस जमोनों का इस्तेमाल बटाई के रूप में करते थे या फिर ये बड़े जमोदारों के नौकर बन गये । अब हालांकि ये भारतीय कानून से अपराध धोषित किया जा चुका है फिर भी अभी भी पाचोन कानून ही लागू है । ये डोम किसी भी हालत में अपने पास जमोन नहीं रख सकते । इन डोमों के बीच भी कई उप-जातियाँ हैं ।

बाजगी

औजो

लोहार

बट्टई

चमार

हुरकिया

कील्टा

ये सभी काम करने वाले समूह हैं। बाजगी टोलक बजाता है। औजो दरजी का काम करता है। लोहार, बल्लिन, औजार बनाने का काम करते हैं। बट्टई लकड़ी से सम्बन्धित कार्य करते हैं। चमार, लोग चमड़ा निकालते हैं

और चमड़े से सम्बन्धित सभी वस्तु बनाते हैं। हुरकिया लोग व्यवसायी रूप से नाचने वाले लोग हैं और कोल्टा लोग बिना जमीन के मजदूर हैं।

बाजगी लोग पूर्णरूप से तो बाजा बजाने वाले हैं परन्तु साथ में वे नाई और दरजी का काम भी करते हैं। सामाजिक दृष्टि में वे बाजगी डोम जाति के विभिन्न उपजातियों में सबसे ऊपर एवं श्रेष्ठ हैं। इन्हें उच्च जाति से भी काफी इज्जत मिलती है। इनको औरते गहने पहन सकती हैं। जबकि बाकी डोम के यहाँ के औरते, यहाँ के निजी कानून के अनुसार सोने के गहने नहीं पहन सकती। बाजगियों के बाद लोहारों का नम्बर आता है। इनका काम कृषि के उपयोग में आने वाले औजारों का बनाना है तथा साथ में वे घरेलू सामानों को भी बनाते हैं। लोहारों के बाद डोम समाज में बढ़ई उपजाति का नम्बर आता है। फिर चमार, हुरकिया आते हैं। ये सारे उपजाति हैं। ये समूह अन्तहाय विवाह और खान पान रखते हैं। ये दूसरे समूह में रिश्ते नाते नहीं बनाते।

इन सारे उपजाति में सबसे नीचे कोल्टा आते हैं। ये कोल्टा सबसे ज्यादा हैं। यहाँ तक की पूरे जौनसार व्यवहारके जनसंख्या के पाँचवा भाग अकेले कोल्टा लोग हैं। ये कोल्टा वाकई में बेचारे हैं। ये बहुत ही कमजोर हैं। इनके पास कोई जमीन-जगददाद नहीं है। ये सिर्फ मजदूरी करके जिन्दा रहते हैं। और ये कोल्टा सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं वो भी आधे पेट भोजन के साथ। और इसका मुख्य कारण, इन कोल्टाओं को कर्जदार होना है। ये सारे कोल्टा जमीनदारों के यहाँ होते हैं, और चूँकि इनके पास खाने को



कुछ नहीं तो, कर्ज कहा से लौटायेगे, इसलिए बूढ़ से कर्ह का व्यन बढ़ता जाता है और इस का अन्त बन्धवा मजदूर के रूप में आकर होता है। ये कर्जदारो, जमोदारो के अधिकतर धोखाधड़ी के कारण होता है। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये कोल्टा तीन तरह के पाये जाते है।

§1§ सुण्डित-मुण्डित -

यह वर्ग पूरो तरह से जमोदारो के अधीन होता है। जब कभी जमोदार कर्ज का कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये अपने सर मुडवा लेते है और तीन से पाँच दिन तक शोक मनाते है। इनके पास अपना कोई जायदाद नहीं होता।

§2§ माट -

ये कोल्टा कर्जदार होते है। और बन्धवा बनने का मुख्य कारण कर्ज होता है।

§3§ संजायत -

ये पंचायत या खुट कोल्टा होते हैं। इनका मुख्य कार्य बरण-जोवन आंकडो का इकट्ठा रखना होता है ये बलते रहते हैं।

डोमो का यह मुख्य विशेषता हैकि ये बहुत ही ईमानदार होते है। कर्ज को लेकर ये कभी बेईमानी नहीं करते है। ये कर्ज को बेईमानी एक बहुत ही बड़ा पाप समझते है। इनके बीच ऐसी मान्यता है कि सूरज और चाँद ने डोमो मे एक बार कर्ज लिया था और ये चुकाये बिना भाग गये।

जिसके फलस्वरूप ये डोम, सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण के समय इन्हे चमड़े फेंक कर मारते हैं। और ये डोम कभी नहीं चाहते कि, वे भी कर्ज लेकर भाग जाये और इनके मालिक इनके साथ भी ऐसा ही करे। क्योंकि ये इसे बहुत बुरा मानते हैं।

जनसंख्या -

नीचे दिये गये आँकड़ों पिछले दशकों में आये उनके जनसंख्या में गिरावट का है।

वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग
1881	25,400	19,717	45,117
1891	28,435	22,262	50,697
1901	28,349	22,752	51,101
1911	30,518	24,294	54,812
1921	31,567	24,056	55,623
1931	31,922	24,852	56,774
1941	32,345	25,305	57,650
1951	32,704	25,765	58,463
1961	33,000	27,140	60,140
1971	33,304	28,178	62,022
1981	35,745	32,603	68,348

अपर दिये आँकड़ों पर ध्यान दे, तो पता लगता है कि, जौनसारो व्यवारो को जनसंख्या का अनुपात लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है। इसको टोक ले समझने के लिए हम नीचे दिये गये आँकड़ों पर गौर कर सकते हैं ।

<u>वर्ष अन्तराल</u>	<u>वृद्धि दर</u>
1881-1901	+ 13.3
1901-1921	+ 8.8
1921- 1941	+ 3.6
1941- 1951	+ 1.4

अपर दिये आँकड़ों पर गौर करने से एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष देखने को मिलता है । यहाँ जौनसार व्यवार के बीच औरतो की संख्या घटती के अनुपात बहुत कम है । और बहुत सारे विद्वानों का मत यह कि, इस क्षेत्र में बहुपति विवाह का यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। और बहुपति विवाह का यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। और बहुपति विवाह एक नया मत देता है वह यह है जौनसार व्यवार जनसंख्या घटती वृद्धि का यह एक बहुत बड़ा कारण है। और यह बहुपति विवाह बहुत सारे यौन रोगों को जन्मदाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब जौनसार व्यवार का दौरा किया तो यह पाया कि करोबन सत्तर प्रतिशत यौन रोग से गुजर रहा है । लेकिन सरकार के अथक प्रयास के बाद अब भी करोबन तीस प्रतिशत जनसंख्या यौन रोग से ग्रसित है ।



पहनावा -

जौनसार व्यवहार के घर में पहने जाने वाले करोब सारे वस्त्र घर में ही उन के स्पन के बने होते है । अब बाहरी पैशन भी देखने को मिलता है। ये कम्बल उन के द्वारा बनाते है जो कि बकरे के बाल के होते है या फिर भेड़कर कभी-कभी ये दोनो को मिलाकर बनाते हैं । सारी वस्त्र मैदानो इलाकों में यहाँ आते है । गर्मों के दिन ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं । मर्द लोग सिर्फ कमर और घुटने के बीच सिर्फ धोती लपेटते हैं । कभी-कभी अमर कमीज भी पहन लेते है। जाड़े में यह सिर्फ गर्म पतलून और बट्ट जाता है। हो कि क्षेत्रीय भाषा में झांगोला कहलाता है। और अमर दो पले का कोट पहनते है । अपने लिंग के स्वरूप औरतें कुछ ज्यादा ही पैशन करते है । ये उत्तरी क्षेत्र में मर्दी की तरह दो पल्ले वाले कोट पहनती है। लेकिन ये कोट, मर्दों के तुलना में कुछ ज्यादा लम्बे होते है । जबकि सामान्य वस्त्र घाघरा और कुत्तों के रूप में होता है । ये बालो पर भी ये गोल कपड़ा पहनती है जिसे ये धान्तु कहती है । इस क्षेत्र साड़ी करोबन अभी तक नही आया। साड़ी राजपूत और ब्राह्मण घर को औरतो में कही-कहीं देखने को मिलता है। इसका कारण मैलानी और इनके बाहर जाकर काम करने का नतीजा है। औरतो के बीच गहने बहुत ज्यादा प्रचलित है। इनके गहने अधिकतर चौदों के होते है। लेकिन उँच जाति को औरतों सोने के गहने भी पहनती है जिनमे नाम, कान के गहने ज्यादा होते है। इनके यहाँ गहने बहुत ज्यादा होते है और इसके अलग-अलग नाम है। इन गहनों के क्षेत्रीय नाम कुछ ऐसे है -



<u>क्षेत्रीय नाम</u>	<u>आम नाम</u>
बुलक, नाथ, लौंग	नाक को मुद्रिका
उतरेयान	सिकड़ी
कानथो	गले को सिकड़ी
कानदुरी	गले को {मुगा का लॉकेट}
सूय	साधारण सिकड़ी
खागलो या खागेलो	चाँदो की सिकड़ी
तुन्गल	सोने की लॉकेट वाली खागलो
डोरसु	कान बालो

बहुत सारे लड़-झड़ वाले एवं सिकड़ी मर्द मुख्यतः कानों में बाला पहनते हैं। कभी-कभी गले में मोटे चाँदो के सिकड़ी भी पहने दिखे -

आहार-आवास -

लोगों के घरो में लकड़ी का इस्तेमाल काफी होता है। धर, प्रायः दो मजिला होते हैं। गरीब लोगों का भोजन झोरा एवं मंडुवा है। कहीं-कहीं कुछ जंगली साग मिल जाता है। खाते पीते लोग अरहर की दाल का इस्तेमाल करते हैं, गरीब उड़द एवं कुलथ की दाल खाते हैं, भेड़, बकरी का मांस प्रायः लोग खाते हैं। सुअर एवं मुर्गी से बड़ी जात वाले परहेज करते हैं किन्तु जंगली सुअर को काकड़ हरिन की तरह ही सभी जात वाले पसन्द करते हैं।

1.3

समस्या का उपागम

भारत में जनजातियों की जनसंख्या करीबन 38.5 मिलियन [1981] है। ये 212 समूहों में बँटे हुए हैं जिन्हें कि अनुसूचित जनजाति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। ये अपने सामान्य असामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से अन्य जनसंख्या से काफी पिछड़े हैं, अतः यह बाकि जनसंख्या एवं भारतीय एवं राज्य सरकारों का कर्तव्य बन जाता है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाय। और इन अनुसूचित जनजातियों के खातिर भारतीय संविधान ने इनके बचाव एवं सुगम जिन्दगी के खातिर अनेक धाराएँ बनाई हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि इनके लिए ये सब धाराएँ बहुत ज्यादा सधम भी हैं, जिनके द्वारा ये अपने आपको अधिक आराम दायक महसूस कर सकें। अतः शेष जनसंख्या का ज्यादा कर्तव्य बनता है कि हम जब कभी इनके लिए सोचें, इनके लिए कोई नया प्रयोजना, बनायें तो इनके प्रति हम दिल में प्यार जरूर बनाये रखें।

हम जब कभी जनजाति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसे इतना हल्के से लेते हैं कि इसका वास्तविक परिभाषा हो भूल जाते हैं। बिना परिभाषा को ध्यान में रखे अगर हम कुछ भी उनके उत्थान के लिए करते हैं तो उसका उत्तर अन्त में नकारात्मक आयेगा हो। अतः हमें जनजातियों के बारे में बात करने के पहले यह देख लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये व्यक्ति हैं कौन। विभिन्न नृशास्त्रियों ने जनजाति के इस प्रकार परिभाषित

किया है। - " जनजाति एक ऐसा विशेष जन समूह होता है, जिसको अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी होने के साथ ही राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। " अपने आप को सीमित क्षेत्र , एवं राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र रखने के चलते ये लोग अपने से बाहर क्षेत्र के रहने वाले लोगों से मिलजुल नहीं पाते। अपनी परम्पराओं और मान्यताओं के बंधन में बंधे रहने के चलते, जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उनके अनुसार उनसे मिलना चाहता है या फिर उनको भलाई करना चाहता है तो इनके जीवन शैली में परेशानी आने लगती है और वे परेशान हो उठते हैं। और इस कारण इनके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि में कोई बदलाव नहीं आ पाता जिसके द्वारा इनका उत्थान हो सके। अतः हमें इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि, जब कभी हम इनके उत्थान की बातें करते हैं और इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी जल्द बाजी में ऐसा न करें, जो कि इनके परम्पराओं एवं मान्यताओं को ठेस पहुँचाते हों।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचार अमर दिव्ये गये वक्तव्य से काफी मिलता जुलता है जब उन्होंने सन् 1952 में अखिल भारतीय आदिवासी संगोष्ठि में कहा था। और उनके वक्तव्य से बतलाते हैं कि वे क्या कारण है कि वे इन जन जातियों में डूबे रहते हैं। "मैं सोचता हूँ, आज संगोष्ठि में भाग लेने के अन्य कारण हैं और

वे ये कभी नहीं कि आज प्रधान मंत्री होने के कारण आया हूँ, परन्तु इन लोगों से मैंने पहले भी बहुत प्यार पाया है, और आज भी मैं इनसे बहुत प्यार पाता हूँ और इनके प्रति से खिचाव इसलिए नहीं है कि मैं इन्हे नजदीकी से देखना चाहता हूँ परन्तु इसलिए मैं कि हमारे संस्कृति इनके पास धरोहर रूप में आज भी मौजूद है। इनके प्रति चाहत इसलिए नहीं है कि मैं कुछ दूसरों को सहायता करना चाहता हूँ। ये चाहत मुझे प्रसन्नता देती है कि आज मैं इनके बीच हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने को घर में पाता हूँ ये स्वीकारते हुए कि नाहि मैं इन्हे कुछ करूँ या ये मेरे लिए कुछ करे। परन्तु ये भारत के अभिन्न अंग है, और इनके योग्यदान के बिना हमारी उत्पत्ति, हमारे देश को उत्पत्ति अधुरी रह जायेगी। अतः हम ये उम्मीद करते हैं कि ये भी आगे बढ़े और इस देश के उत्थान में ये भी अपना योग्यदान दे। इसके लिए इनके आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे में बदलाव बहुत जरूरी है और हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब कभी हम इनके बीच कोई बदलाव के श्रोत ले जाये तो इस पर विशेष ध्यान दे कि इनके परम्पराओं और मान्यताओं को किसी तरह से ठेंस न पहुँचे।

उनके विचार आज के प्रगतिशील मानव शक्तियों से बहुत मिलते जुलते हैं। और हम जब कभी बिना सोचे विचारे, उनके उत्थान का प्रयास करते हैं तो ये पाते हैं कि उनके विचार हमसे एक दम भिन्न हो उठते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने मान्यताओं को भूलना नहीं चाहते। फिर हमें ऐसा देखने को मिला है कि पूरे भारत में आज जन जाति तौन समूह में बंट

गये हैं। पहले तरह के वे जनजाति हैं, जो आज भी अपने रूढ़िवादी परम्पराओं के साथ नहीं छोड़ पाये हैं और आज भी अन्य जनसंख्या से दूर जंगलों एवं पहाड़ों में अपने कर्षी पुराने रीतियों को अपनाये हुए रह रहे हैं। दूसरे तरह के जनजाति वे हैं जो कुछ तो अपनी सांस्कृतिक ढाँच को अलग कर खेती बाड़ी करने लगे हैं परन्तु अपने सामाजिक एवं धार्मिक ढाँच में कोई बदलाव नहीं आने दिया है। तीसरे समूह वे हैं जो आज के आधुनिक जीवन शैली को अपना चुके हैं और नौकरी वगैरह करने लगे हैं। इनके सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक ढाँच में करोबन पुरो तरह से बदलाव आ चुका है परन्तु अभी भी उनके बीच धार्मिक ढाँच को महक वही पुरानो है।

और यही सब कारणे उनके असली समस्याके प्रमुख कारण है।

डॉ० डी० एन० मजूमदार ने " इफानमो आफ खासा -ए- पालिसन्ड्स पोपुल ऑफ द हिमालयास" नामक ग्रंथ में जौनसार क्षेत्र के बारे में कहा कि बदलते हुए आर्थिक जीवन ने जौनसार जनजातियों में कभी बैचैनी और असंतोष उत्पन्न कर दिया है। इस असंतोष का सबसे बड़ा कारण जमींदारों द्वारा बनीये गए कोल्डाओ के प्रति प्रशासन का बदला हुआ दृष्टिकोण है। इस प्रकार के असंतोष के फलस्वरूप जौनसारो जनजाति के उप-समूहों के पारम्परिक एवं पारस्परिक सम्बन्धों में व्याप्त परिवर्तनों एवं तीनों उप-समूहों की अन्योन्याश्रिता का ज्ञात करना ही शोध का मूल उद्देश्य है।

जौनसार व्यावर § देहरादून § जौनपुर § देहरी § तथा खाइन § उत्तर काशी § द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जौनसारी कहते हैं। इस जौनसारी लोगों के बीच अनेक लोगों ने कार्य किया। कई मानव वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने भी इसे अपना कार्य क्षेत्र बनाया। जिसके द्वारा हमें इन जौनसारी समूह के अत्यन्त बातें ज्ञात हुईं। तथा इस क्षेत्र को कई ऐसी जानकारियाँ बड़ा हुआ। और इसके फलस्वरूप कई विद्वानों और विद्यार्थियों ने नये- नये शोध यहाँ किये और अनेक नई जानकारियाँ प्राप्त की।

इन विद्वानों में डॉ० डी० एन० मजूमदार, डा० नदीम उल हसनैन, डॉ० आर० एम० सक्सेना, महापंडित राहुल सांस्कृत्यान का नाम प्रमुख है। डॉ० डी० एन० मजूमदार ने अपने पुस्तक हिमालयन पॉलियेडरी" में जौनसारियों के विवाह के बारे वर्णन किया है। अपने इस पुस्तक में डॉ० मजूमदार ने यह बताने की कोशिश की है कि जौनसारियों के बीच उनके रहन-सहन कैसा है। उनकी बनावट कैसी है। उनकी कार्यशैली क्या है और उनके बीच इन परिस्थिति में क्या-क्या परिवर्तन आया, जिसके द्वारा उनका पुराना रहन-सहन शादी, विवाह, समाज, धर्म, राजनीति बदल गयी। मूल रूप से कहे तो यह बताने की कोशिश की कि वे कौन से कारण थे जिसके द्वारा उनके

संस्कृति में बदलाव आया। और इनसारी चोजों को बताने के अपना विषय उन्होंने बहुपति विवाह को लिया। उन्होंने यह ज्ञात किया कि यहाँ एक पति अपने पत्नि को कैसे सभी भाइयों के बीच बराबर का हम देता है। कैसे यहाँ का व्यवस्था मालाबार के बहुपति विवाह का दूसरा मत है। जहाँ बहुपति व्यवस्था पैतृक वंश से प्रभावित होता है और जौन-सार में यह पैतृक वंश भी अपने प्रभाव को दर्शाता है, परन्तु यह कैसे विवाह के मामले में पैतृकता को अपनाता है। डॉ० मज़ूमदार ने अपने सारे कार्य को 1997 में शुरू किया 1942 में इसे पुरा किया। इन्ही प्रथम प्रयास के बाद बहुत से मनोवैज्ञानिक समाज-शास्त्री और मानवशास्त्री आगे आये और यहाँ पर काम किया।

डॉ० आर० एन० सक्सेना जो कि उस समय डी०ए०वी० कॉलेज देहरादून के प्रधानाचार्य थे, आगे आये और डॉ० मज़ूमदार के पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ कई शोध किये। वे अपने विद्यार्थियों के साथ आये और जौन-सार व्यावर के बहुविवाह क्षेत्र पर काम किया। उनका सारा काम एक पुस्तक के रूप में पॉलियेन्डरस पिपल ऑफ जौनसार व्यावर" के रूप में आगरा विश्व-विद्यालय के द्वारा सन् 1955 में प्रकाशित हुआ। आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा ही उनको पुस्तक " सोशल इकनामिक ऑफ ए पॉलियेन्डरस पिपल " प्रकाशित हुआ जिसमें कि उन्होंने जौनसार व्यावर के बारे में ज्यादा केन्द्रित हुआ। इसके द्वारा उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन शैली पर प्रकाश डाला। जौनसार व्यावर के पुरे इतिहास पर काम किया। अपने इस

इस कार्य के दौरान उन्होंने उनके बीच शादी विवाह को समझा और बारोको से अध्ययन करके उसके हर पहलु को लोगों के सामने सौंपा । तत्पश्चात उन्होंने विवाह का अन्त तलाक से किया। यह तलाक क्यों होता है इनके बीच यह समझाया । शादी - विवाह के बाद उन्होंने जौनसार व्यवहार के बीच धार्मिक मानतारें और इसके द्वारा पन्धे अंध विश्वास को समझाया वहाँ के हाने टोटके, टाबू को नजदीक से देखा । इन लोगों के मनोरंजन में आने वाले साधन को देखा । और बताया कि कृषि उनका प्रमुख आश्रय का साधन है । उनके कुछ देहाती उद्योग का भी वर्णन किया । वे लकड़ो के टोकरी, उन का काम पशुपालन और कम्बल बनाने का काम में विशेष योग्यता रखते है । उनके व्यवहार और साधन का भी वर्णन किया है। जिसमे कि खच्चर प्रमुख है ।

डॉ नदीम अल हसनैन ने सर्व प्रथम सन् 1972 में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। डायरेक्टोरेट ऑफ हरोजन एन्ड सोशल वेलफेयर उ०प्र० के द्वारा प्रायोजित एक प्रयोजना में शोधकर्ता के रूप में भाग लिया था। यह प्रयोजना इस विषय के पर ज्यादा जोर दिया कि जौनपुर, देहरो गढ़वाल, रायवान, उत्तरकाशी और जौनसार- व्यवहार, देहरादून के हरोजनो का सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। इन क्षेत्रो में फैले कर्ज और इजारा पर विशेष ध्यान दिया गया । इन क्षेत्रो में रहने वाले लोगों के ऊँचे जाति के साथ सम्बन्ध पर ध्यान दिया । मास्टर डिग्री करने बाद उन्होंने इस क्षेत्र के हरिजनो के सामाजिक स्थिति पर काम किया और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र

कोटा रहे। अपने पुस्तक "बोन्डेड फोर एवर" में वहाँ लोग, इतिहास क्षेत्र के बारे में पूर्ण विवरण दिया। उनके मैतृकवंश के सूचक, खान-पान, स्वास्थ्य, नैतिकता, औरते, सेक्स, पर पूर्ण पर ध्यान दिया। जौनसार व्यवहार के क्षेत्र और बाहर दुनिया के सम्बन्धों और उनके आपसी मेल जोल और डर परगहन अध्ययन किया। उनके लोक गीतों को भी अपने शोध में विशेष ध्यान दिया।

और अन्त में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के कार्य बताये बिना यह पुरा क्षेत्र ही अधूरा रह जायेगा। सन् 1961 में प्रकाशित उनकी पुस्तक "जौनसार देहरादून" में देहरादून जिले के बारे में सारी बातें बतलायी है। इसमें इन्होंने वहाँ का क्षेत्रफल, पर्वत, नदियों, ताल, खनिज, जलवायु, जंगल, वनस्पति, प्राणजगत का पूर्ण विवरण दिया है। इन्होंने जौनसार व्यवहार के प्रदेश इतिहास, निवासी जाति और धर्म, बहुपति विवाह, आजोविका एवं राजनैतिक व्यवस्था का पूर्ण वर्णन दिया है। वहाँ के निवासियों का जनसंख्या, भाषा, जातियों, धर्म, के बारे में बतलाया। इनके आजोविका कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार, पशुपालन के हर पहलु को बहुत जनदीक से परखा है। वहाँ तक कि उन्होंने रेल सड़के, डाक बंगले, डाक तारघर स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक को जनदीक से देखकर अपने इस पुस्तक को शीमा बढ़ायी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पायेंगे कि सांकृत्यायन ने किस तरह से जौनसारियों के बारे में पूर्ण जानकारी दी, और उनके हर छोटे-छोटे से पहलु पर शोध

किया और उनका वर्णन किया, जो कि बाकी लोगों के लिए अत्यन्त ही लाभ दायक सिद्ध हुई ।

अध्याय - दो

जौनसारी जनजाति की प्रमुख संस्थानें



2.1 परिवार का स्वरूप

परम्परात्मक रूप से जौनसारी जनजाति के लोग बहुपति विवाहो होने के कारण संयुक्त परिवार में ही विश्वास रखते है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक कारक हो विवाह के एवं परिवार के विभिन्न स्वरूपो के निर्धारक हो रहे है क्षेत्रीय कार्य करते समय अध्ययन के लिये चुने गये छः गाँवों में पारिवारिक स्वरूप निम्नवत पाया गया, देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार के ग्राम लुधेरा एवं चिल्ला में क्रमशः 14 एवं 5 संयुक्त परिवार । एवं 2 बृहद परिवार तथा 2 केन्द्रीय परिवार पाया गया ग्राम चिल्ला मे एक भी केन्द्रीय परिवार नही पाया गया इसी क्रम में गैरजन जातीय क्षेत्र, जौनपुर § देहरी गढ़वाल § के ग्राम सुमनख्यारी एवं नैनबाग-बाजार में क्रमशः 17 एवं 14 संयुक्त परिवार, 4 एवं 6 केन्द्रीय परिवार तथा 2 एवं 4 बृहद परिवार के रूप पाये गये । ग्राम पुजेली एवं ठकराडो § बाँई जि० उत्तरकाशी § में क्रमशः 23 एवं 14 संयुक्त परिवार, 7 एवं 1 बृहद परिवार, 9 एवं 2 केन्द्रीय परिवार तथा ग्राम उकराडो में ग्राम टटोर § जौनपुर § के रहने वाले अध्यापक लाठी सिंह रावत का एक अलग ही स्वरूप में परिवार मिला, जिसे एक विवहो नवस्थानीय परिवार की संज्ञा दी जा सकती है।

पुरुष विश्लेषण की प्रक्रिया से ज्ञात होता है कि पुरुष वर्ग की आर्थिक स्थिति ही परिवार के विभिन्न स्वरूपो के प्रति सहमति असहमति



एवं बदलाव का कारण है लेकिन सुदूर ग्रामीण परिवेश से जुड़ी महिलाये बहुपति प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रथा को मान्यता देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उसे एक से अधिक पुरुषों का न केवल प्रेम प्राप्त है बल्कि सामाजिक आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त होता है।

जिन परिवारों में पुरुषों की संख्या कम होती है और परिवार के पास अपेक्षाकृत रूप में कृषि योग्य भूमि एवं पशुओं की मात्रा अधिक होता है तो ऐसे में अतिरिक्त कार्य के लिये बहुपत्नी प्रथा को पाया जाता है तथा यह उल्लेखनीय है कि दूसरी पत्नी लाने की अनुमति पहली पत्नी सिर्फ इसलिये देती है कि उसका श्रमकार्य का बोझ हलका हो सके।

इसी जनजातीय समाज के कुछ शिक्षित एवं सरकारी सेवाओं में सेवारत लोग बहुपति एवं बहुपत्नी प्रकार के विवाहों को आज के युग में समाज विरोध के नाम पर कलंक मानते हैं क्योंकि वे तुलनात्मक दृष्टि से आज के सम्य समाज में विवाहों के यह भिन्न-भिन्न प्रकार मानवीय काय एवं पाशविक अधिक है इसी कारण से शिक्षित जौनसारी समाज एक विवाही एकाकी परिवार प्रथा का समर्थन करने लगा है जिसके परिणामस्वरूप पारम्परिक पारिवारिक स्वरूप का ढांचा बदल रहा है -

2.2 विवाह -

जौनसारी जनजाति के सभी उप-समूहों में बहुपति विवाह पारम्परिक रूप से विद्यमान है बहुपति विवाह को प्रथा वर्तमान काल में वहाँ से थोड़ी दूर हट कर उत्तर के पड़ोसी किन्नोरी लोगों में और उनके बाद सारे तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। नेपाल एवं भूटान को कुछ जातियों में यह प्रथा देखी जाती है। मध्य एशिया के शको में और ईरान के मिडियन में भी यह प्रथा थी । शक एवं और खस या खास वृ गिलगित से लेकर नेपाल तक के रहने वाले वृ मूलतः एक ही जाति के हैं इसलिये शको को बहुपति विवाह की प्रथा खासों में थी । जौनसारी जनजाति के उच्च कुलों लोगों में चाहे अन्य जातियों का भी कुछ सम्मिश्रण समय-समय पर हुआ हो लेकिन वह मुख्यतः एवं, प्रायः शुरू रूप से खस या खास ही है इसलिये अपने प्राचीन पूर्वजों के समय से ही इनमें बहुपति विवाह की प्रथा चली आई है। डॉ० आर० एन० सक्सेना ने जौनसारीयो के बहुपति - विवाह का बहुत अनुसंधान किया है उन्होंने सात गाँवों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पाया कि विवाहित स्त्रियों में 124 बहुपतिवाली थी 30 एक पतिवाली एवं 12 बहुत पत्नी वाले एक पति से विवाहित थी आधुनिक प्रभाव के कारण अब जौनसारी जनजाति के युवा वर्ग में विवाह के प्रकार में परिवर्तन आ रहा है वह एक पति या बहुपत्नी विवाह को पसन्द कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोग प्रायः अपने गाँवों से दूसरी जगह जा बसते हैं पारम्परिक तौर पर जौनसारी लोगों में 10-12 साल की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था किन्तु वर्तमान समय में लड़कियों का विवाह लगभग 20 के बाद ही किया

जा रहा है। पारम्परिक तौर पर यहा भी बड़े भाई के साथ व्याह को सारी रस्म अदा की जाती है लेकिन पत्नी के सहपति सभी भाई होते है वह भी जो अभी जन्मे नहो । पत्नी पर बड़े भाई का सबसे अधिकार होता है पति " खाबन्द" कहे जाते है बच्चे भी अपनी माँ के सभी पतियों को **बाबा** § पिता § कहते है, उनमे भेद करने के लिये उनके नाम कार्यों पर आधारित होते है जैसे बकरियाँ चराने वाला " बकरवा बाबा" गाय चराने वाला " गायर बाबा " । केवल एक माँ के ही बच्चे या भाई साझे में शादी नहो करते उमे सौतेली माँ या दूसरी माँ के लड़के भी सम्मिलित होते है । यदि पहली पत्नी बहुत बूढी होगई हो और दूसरे भाई उम्र मे छोटे हो तो नई पत्नी लाने की आवश्यकता होती है किन्तु हर नयी लाई जाने वाली पत्नी का विवाह रिवाज के अनुसार बड़े भाई के साथ होता है ऐसी अवस्था में बड़ा भाई नई बोबो के साथ यौन सम्बन्ध रखने का दावा कर सकता है इसी तरह छोटा भाई भी पहले की स्त्री के साथ अपने सम्बन्ध बना सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बोबो लाने का कारण पहली का बॉझपन भी हो सकता है, रिवाज के अनुसार व्याह करने वाले को कन्या के पिता को बहु मूल्य दोहिस्ती में चुकानाहोता है आधा विवाह के समय एवं आधी सन्तान होने के बाद यदि सन्तान नहो हुई तो वह §पति§ अपने पहले दिये हुये स्वधे वापस करने को मांग करसकता है । इस समाज में जिन स्त्रियों के बच्चे नहो होते उन्हें कुलच्छनी समझा जाता है दूसरी पत्नी प्रायः

पहलो को बहन हो होती है किन्तु यदि दूसरी स्त्री दूसरे परिवार से लाई गई तो घर के बड़े लोग पहली स्त्री से उसको मैत्री स्थापित कराने के लिये मान्त्रिक तथा तान्त्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं इसके लिये नयी दुल्हन को घर के एक कोने में सौत के सामने बैठा दिया जाता है दो बड़ी बुटियाँ दोनों औरतों के पास जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है । लकड़ी इस तरह से रखी जाती है कि एक सौत को परछाई दूसरे के ऊपर न पड़े । फिर तीसरी औरत दोनों के हाथ को मिला देती है दोनों सौते एक दूसरे को चाँदी का सिक्का देती है अगर पहले को एक से अधिक सौते हुई तो उन्हें भी बारो-बारो से नई दुल्हन के साथ ऐसा ही जोग - टोना करना पड़ता है ।

यौन सम्बन्ध में सबसे पहले अधिकार बड़े भाई का है। लड़के भी उसी के नाम से पुकारे जाते हैं बड़े भाई के न होने पर उमर के अनुसार दूसरा उसका स्थान ले लेता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि बहुपति विवाह भाईयो में ईर्ष्या और झगड़े का कारण होगा, किन्तु ऐसी बात नहीं है । यदि किसी स्त्री के कारण भाईयो में ऐसा होता है तो उस स्त्री को ही छूट, तलाक दे दी जाती है अधिक भाईयो के कारण कोई छोटा भाई अपने को यौन सम्बन्ध से वंचित समझकर अलग व्याह कर सकता है ऐसी स्थिति में वह चाहे तो अपने भाईयो से अलग हो सकता है या अपनी अलग बीबी रखते हुये पहली बीबी से सम्बन्ध रख सकता है, यदि अलग होना



चाहता है तो पहले के बच्चों और भाइयों का हिस्सा निकाल कर उसे घर की सम्पत्ति में हिस्सा मिल सकता है। यदि सभी भाई अलग हो तो बड़े भाई को समान भाग के अतिरिक्त भी मिलता है यह उसके बड़े होने का अधिकार होता है इसी तरह सबसे छोटे भाई को भी कुछ सम्पत्ति अतिरिक्त मिल जाती है। लड़के अपनी माँ के साथ बड़े भाई के साथ रहते हैं यदि उसने छूट न दो हो। डॉ० सक्सेना का कहना है कि ठीक है कि बिरादराना बहुपति विवाह जौनसारी जनजाति में साधारण विवाह प्रथा है।

जौनसारी जनजाति में पत्नी की स्थिति अच्छी नहीं है पति के घर रहते हुये स्त्रियों को ध्यान्तो कहते हैं तथा उसे बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है दूर पहाड़ी चरमे से पानी लाना पड़ता है फिर भोजन बना खिला कर खेतों में हर तरह के काम करने जाना पड़ता है काम से लौटकर उसे पानी लाकर पूरे घर का खाना बनना पड़ता है। बड़े सबरे लड़के उठकर रात में सबसे अन्त में सोना होता है उस पर कई पतियों के होने के कारण वह निश्चिन्त तो भी नहीं सकती। सम्पत्ति में उसको कोई हक नहीं होता है। तलाक देने पर उसे अपने सारे जेवर पति के घर पर छोड़ने पड़ते हैं, तब उसको ध्यान्तो या धीन्तुहो कहते हैं मायके में आकर उन्हे हर प्रकार की स्वतन्त्रता रहती है ससुराल के कड़े परिश्रम के बदले में वह यहाँ आराम करती है।

बाँझ साबित होने या खटपट हो जाने पर स्त्री को छुट दे दो जाती है, जिस पर मायके वालों को कन्या मूल्य § बधु मूल्य § लौटा देना पड़ता है बच्चे वाली स्त्रियों को यहाँ बहुत माँग है। कभी कभी 20-25 वर्ष का जवान अपने से छोटी लड़की को छोड़कर बड़ी उम्र की औरत से सिर्फ बच्चा होने के कारण विवाह करना चाहता है। छुट देने का अधिकार केवल पतियों को ही नहीं वरन् पत्नियों को भी होता है। उत्सव- त्यौहार में मायके जाने पर अगर स्त्री सन्तुष्ट नहीं है तो वह पहले के पति अथवा पतियों से छुट ले सकती है।

विवाह पद्धति -

जौनसारी जन्माति के लोग उत्सव प्रिय है सभी त्यौहारों के तरह विवाह भी बड़े उत्सव से होता है किन्तु धूमधाम से नहीं होता है। वह रक्षा पहले से ही हो जाती है। लड़के का बाप एक दो सम्बन्धियों के साथ लड़के के बाप से मिलने जाता है यदि मामला ठीक हो जाता है तो वह लड़के के पिता को रूपया § तन्दो § देता है जिसे "जोव धन" कहा जाता है अब मंगनी हो गयी समझी जाती है फिर पुरोहित प्याह के लिये अच्छी साईत ठीक करता है। प्याह के दिन से दो दिन पहले वर का पिता अपने सम्बन्धियों के साथ कन्या के घर जाकर एक बकरा मारता है फिर भोज खाकर दलबल सहित अपने गाँव लौट आता है। एक दिन बाद बारात के साथ-साथ अपना दहेज लिये कन्या वर के गाँव में आती है,

दहेज को "पैता" और दहेज ले जाने वाले को सैतरू कहते हैं । विवाह का सारा कर्मकांड वर के घर में पूरा किया जाता है, तीन प्रकार के विवाह यहाँ मान्य हैं।

प्रथम प्रकार को "बेओकी" कहते हैं इसमें दुल्हन के साथ पाँच से दस बराती तक आते हैं तथा दहेज थोड़ा या बिल्कुल नहीं होता है द्वितीय प्रकार के विवाह को "बोकेडंडी" कहते हैं इसमें कन्या के साथ 30 से 40 तक बाराती आते हैं तथा आठ दस आदमी दहेज ढोकर लाते हैं तीसरे प्रकार के विवाह को "बजधा" कहते हैं यह घनी जमींदारी एवं सयानों का विवाह है, जिसमें सारे बाट को न्योता दिया जाता है और बरातियों की संख्या कभी-कभी 500 एवं 600 तक होती है । बकरे मारे जाते हैं, खूब धी, चावल और सुरई स्थानीय शराबई का भोज होता है। तीस चालीस आदमी दहेज को ढोकर लाते हैं एवं धूमधाम से विवाह होता है ।"



2.3 आजो विका अर्थव्यवस्था

पारम्परिक रूप से कृषि एवं पशुपालन तथा मजदूरी यहाँ के लोगों को मुख्य जीविका है जौनसारी जनजाती दो प्रकार की खेती करती है, स्थाई एवं अस्थायी बीच में परती छोड़कर। चावल की खेती यहाँ नदियों एवं गढ़ों के किनारे होती है 3000 फुट की ऊँचाई से ऊपर चावल की खेती बहुत कम होती है पहाड़ी खेत एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह बनाये जाते हैं जिसमें नीचे कीतरफ 5 से 10 फुट ऊँची पहाड़ की दीवार खड़ी की जाती है दीवारों को बनाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिये किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी मुसलाधार होने वाली वर्षा उन्हें बहा ले जाती है जिस जगह उपर्युक्त स्थान मिलता है किसान खेत बना लेते हैं धान के खेत ऐसी जगह बनाये जाते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा हो सीढ़ियों वाले खेत खिल कहे जाते हैं ये जौनसार जौनपुर एवं खाइन के लोगों को जीविका के सबसे बड़े साधन हैं इन खेतों को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है बहुत तीखी चढ़ाई वाली खेत कटलर कहे जाते हैं, जिनमें हल्को जोताई सम्भव नहीं है इसलिये वहाँ काम छोटी पहाड़ी कुदालों से लिया जाता है कटलर की दो साल जोत बी कर फिर परती छोड़ दिया जाता है उस समय उनसे धान पैदा होता है खिल खेतों में खाद डालने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है कटलर की खेतों से एक बड़ा नुकसान यह है कि तीखी ढालन वाली भूमि पर वृक्ष-वनस्पतियों की जड़ों के अभाव के कारण भूमि स्थलन

इत्यादि होता रहता है जिससे यातायात मार्ग अक्लूद हो जाता है ।
 खेती सारे पहाड़ों की तरह, वहाँ की उर्वरता, समुद्रतल से ऊँचाई एवं
 प्राप्य सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करती है ऊँचाई के अनुसार तापमान
 कम ज्यादा होने कारण फसलों की बुवाई-कटाई इत्यादि अलग लगने के
 कारण ज्यादा नमी रहती है इसलिये यह खेती के लिये उत्तम समझी जाती
 है । जो भूमि वर्षा से कुछ बची हुई है वहाँ मिट्टी की तह मोटी होती
 है उत्तरी तरफ की खेती दक्षिण की खेती से उत्तम समझी जाती है ।

सिंचाई की सुविधा की तरफ ध्यान देते हुये खेती चार प्रकार
 से की जाती है, प्रथम प्रकार को क्यारी कहते है जो कि दीवार बन्द तथा
 समतल किये सिंचाई वाले खेत होते है दूसरे प्रकार को सिंगार कहते है जो कि
 अच्छी तरह सोढ़ी बांधे और न समतल किये सिंचाई वाले खेत होते है जो
 कि बहुत कम होते है तीसरे प्रकार को "उकाड़ी" कहते है यह बिना सिंचाई
 वाले किन्तु स्थायी खेत होते है, तोखी टलान वाले खेत चौथे प्रकार
 के होते है, सिंचाई का सारा काम कूलो १ एक प्रकार छोटी नहर १ से
 होता है जिन्हे नदियो या झरनो से दूर-दूर से लाया जाता है इसके लिये
 नदियों पर एक छोटा सा बांध बना लेते है जिसे पत्थरो एवं डालियो से
 बांधते है आमतौर पर दस मोल को कूले तो वहाँ के लोग स्वयं तैयार कर लेते
 है । कभी-कभी इन कूलो को तोखी चटाई वाली चट्टानो और खड्डो में चोड़
 को खीखली सिल्लियों द्वारा निकाला जाता है ।





गोबर के अतिरिक्त जंगली पत्तियों, विशेषकर पशु शालाओं में नीचे बिछाई गई कंज को पत्तियों, इन्हे दो तीन महीने कूड़े के रूप में जमा करके खेतों में डाला जाता है वर्षा में कंज को सूखी पत्तियाँ नहीं मिलती उस समय हरी पत्तियों को पशुओं के नीचे से हर तीसरे दिन बदल देते हैं, "खिल" छोड़कर हर खेत में थोड़ी बहुत खाद डाली जाती है।

मंगोरा और मंडुवा को फसलों के लिये खेत को एक बार हल से जोत दिया जाता है, बाकी फसलों के लिये दोबार जोतना पड़ता है जहाँ हल नही चल सकते हैं वहाँ यह काम छोटे कुदाली द्वारा लिया जाता है धासतिन के निकालने के लिये चार हंघ उँघे पंजे इस्तेमाल किये जाते हैं।

नदियों के किनारे चावल के खेत होते हैं अमरी जगहों पर "कोलपतास" और नीचे की जगहों में "बासमती" धान को खेती होता है यहाँ के गाय बैल कमजोर एवं कद में छोटे होते हैं जानवरों के ओपड़े, आमतौर पर खेतों के पास होते हैं जिससे खाद को दूर तक न ढोना पड़े, महुआ वौलाई आदि फसलों को, सिर्फ बालियाँ काटी जाती है डंठल खेत में ही छोड़ दिया जाता है जिन्हे जानवर चर जाते हैं या जोतकर उन्हे खाद में मिला दिया जाता है तथा उसमें पानी छोड़कर मिट्टी में मिला दिया जाता है।

"सिंगोर" जमीन में बारो-बारो से एक साल बाद खेती की जाती है जिसमें खरोफ मंडुवा या वौलाई और रबो में जी गेहूँ या तम्बाकू

BASKETS



को खेतों हेाती है मई में मंडुवा बोकर अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है फिर जमीन मई तक के लिये घे परती छोड़ दी जाती है बारो- बारो खेतों करने के लिये जमीन दो हिस्सों में बाँट दी जाती है आधे में मंडुआ एवं आधे में चावल & धान बोया जाता है। फसलों को लगाने का एक और तरीका है, पहले तिल फिर उसी खेत में मूसर और तब खरीफ को दाले और उसके बाद पाँच महीने खेत को परती रखना ।

"क्यारो" गाँव के सबसे गरम जगह पर होता है इसमें धान बोआ जाता है। सिंचाई का प्रबन्ध होने से वर्षा की कमी के कारण फसल के नुकसान होने की बहुत संभावना नहीं होती । क्यारियों में चावल और गेहूँ दो फसलें हुआ करती है । गेहूँ के लिये ज्यादा उपयुक्त यह जमीन नहीं होती है ।

खेतों के अलावा पशुपालन भी यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है यहाँ के लोग जितने ही किसान हैं उतने पशुपालक भी हैं पशुओं को यहाँ के लोग जंगलों में चराते हैं तथा उनके लिये चारा भी लाते हैं यहाँ के लोग भेड़ों के प्राप्य उन से वस्त्र तैयार करते हैं तथा कपास से सूती वस्त्र तैयार करते हैं तथा उन्हें आस-पास के बाजारों एवं पायः गाँव में ही बेच दिया करते हैं, मांस के लिये बकरियों की मुर्गी मुर्गी एवं दूध के लिये गाय तथा अब भैंस भी पाली जाने लगी है तथा दूध का व्यापार होता है, दूध, अदरक, मिर्च राजमा, प्रायः हर खार में होता है जाडों

में खेतों के काम न होने के कारण गाँव वालों जंगलों में लकड़ों काटने की मजदूरी किया करते हैं वर्तमान समय में प्रायः प्रत्येक गाँव के कुछ लोग सरकारी सेवाओं तथा व्यक्तिगत सेवाओं में रत हैं ।

प्रायः लोगों के घर पहले पूरी तौर पर लकड़ों के बने होते थे तथा छतों पर स्लेटों चट्टानों को परते लगाई जाती है जो कि छत के लकड़ों का वर्षा से बचाव करती है किन्तु अब आधुनिक तरीकों के पक्के लिन्दरदार मकान भी पाये जाते लगे हैं मकान प्रायः दो मंजिल के होते हैं नीचे पशु या अनाज रखा जाता है तथा ऊपर खुद रहते हैं ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है, इस समाज में चार मंजिला लकड़ों का मकान भी देखने में मिला करता है जो कि अब नहीं बनाया जाता है।

गरीब लोगों का भोजन मोटा अनाज मंडुवा और झंगोरा है जंगली भाग भी मिल जाते हैं, खाते पीते लोग अरहर की दाल इस्तेमाल करते हैं भेड़ बकरी का मांस प्रायः सभी लोग खाते हैं मछली भी खाई जाती है तथा स्थानीय नदियों से मारी जाती है सुअर बड़ों जात वाले नहीं खाते हैं लेकिन जंगली सुअर को काकडहरिन की तरह ही सभी जात वाले पसन्द करते हैं।

समाज में हो रहे परिवर्तनों से इस जनजातीय समाज के लोग दूर नहीं हैं इस जनजाति के अनेक गाँवों के लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं

स्थानीय सरकारी विभागों, तथा सूदूर फौजों में तथा निकटवर्ती शहरों में व्यापार में भी संलग्न है, देहरादून के ओ० एन० जो० सी० में जीनसारी जनजाति के अनेकानेक लोग विभिन्न विभागों में कार्यरत है, किन्तु पारम्परिक तौर पर आज भी यह समाज कृषि प्रधान हो है तथा खेती करना ही अपना प्रमुख धन्धा मानते हैं एवं स्थानीय स्तर पर व्यापार को करा लिया करते हैं इस जनजातीय समाज को आजो विकास वर्तमान समय में नौकरी तथा खेती एवं पशुपालन प्रमुख रूप से है, खाली समय में सरकारी विकास कार्यक्रमों में मजदूरी कर लिया करते हैं।

2.4

ग्रामीण संगठन एवं राजनीति

जो नसार व्यवहार के ग्रामीण संगठन को बहुत नजदीक से देखने पर इनके बीच के नेतृत्व और भारत के अन्य भागों के नेतृत्व को आपस में तुलना करने पर हमें एक साफ लकीर देखने को मिलती है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो हमें कुछ परम परागत शैली देखने की मिलती है। ये नेतृत्व चौहदो, रिश्तेदारों की जातियों और धर्म के आधार पर बँटा मिलता है। जो नसार- व्यवहार में नेतृत्व चौहदो, रिश्तेदारों और जाति पर निर्धारित पर होता है। इनके सारे संगठन और नेतृत्व पैतृक वंशावली पर आधारित होते हैं। इनके नेता मुख्यतः ब्रह्मगण और खासा जाति के होते हैं।

जातिगत आधार के नेतृत्व उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों पर हो देखा गया है निम्नजाति के बीच भी नेतृत्व का रूप पाया गया है मगर इसके लिये उनके पास कोई क्षेत्र नहीं बँटा होता परन्तु उन्हीं के खुद कोजाति के बीच कोई एक प्रतिष्ठा वाला या कुजुर्ग नेता बन जाता है जो उसी जाति के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिये होता है लेकिन जब कभी यह बात पूरे गाँव की हो किसी दूसरे जाति को भी अपने अन्दर खींचने की कोशिश करती है तब ये निम्न जातियों के नेता अपने आपके इस मामले से हट जाते हैं या फिर चुप रहते हैं क्योंकि जब कभी गाँव की बात होती है तो ये समस्या उच्च जाति के लोगों का एकाधिकार में हो जाती है ऐसे उदाहरण जब कि देखने को मिलते हैं तो हमें यह देखने को

मिलता है कोई जमोदार या ग्राम प्रधान हो इनको दूर करते नज़र आते हैं परन्तु समय को धारा में पड़ और आधुनिकता का प्रभाव पड़ने के कारण निम्नजाति के लोग भी आगे आये हैं निम्न जाति के लोगों को आगे लाने में सरकार की नयी नीति सफल रही है ये निम्न जाति के लोग अब उच्च जाति के लोगों के अगल बगल पंचायतों में बैठे दिखते हैं जो कि सीधे सरकार के उत्तरदायित्व को स्वीकारते हैं ।

जौनसारी जनजातियों के बीच धर्म का स्थान बहुत ही कम होता है जब भक्तत्व की बात होती है । गाँव के मंदिर जिसमें श्री भगवान महासु रहते हैं इसका बहुत ही उच्च स्थान है, लेकिन इसके पुजारी का कोई भी विशेष कार्य नहीं होता है। जैसा कि गाँव के पुजारी का होता है । गाँव के उच्च जातियों के समूह में आने वाले परिवार के मुखिया लोग ही बारो-बारो से गाँव के पुजारी बनते हैं जिन्हें कि क्षेत्रीय भाषा में सयाना कहा जाता है । और ऐसे मौके कभी कभी है देखने को मिलते हैं । यथार्थ में ये पुजारी एक नेता कहलाने केहकदार नहीं होते हैं। बल्कि ये गाँव वालों के एक कर्मचारी होते हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि गाँव में पुजारियों के अलावा कुछ ब्राह्मण जिन्हें बाकिस कहा जाता है वे उस गाँव के नहीं होते हैं। ये अधिकतर निम्न जाति के लोग हैं । ये अधिकतर निम्न जाति के लोग होते हैं। इनके मुख्यतः बाजगो और नाथ होते हैं । ये

बाकिस पारिवारिक उत्सवों के दौरान कुछ पूजा कराते हैं परन्तु ये गाँव में उतना इज्जत कभी प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि किसी भी एक पुजारों का होता है ।

गाँव के मुखिया का मुख्य स्रोत उसके द्वारा गाँव की परंपरा को संभाले रखने वाला होता है। कोई भी मुखिया का पद तभी प्राप्त करता है जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से रहते आए हैं । अक्सर देखा गया है कि प्रत्येक गाँव में मुखिया किसी एक ही परिवार का होता है जिस परिवार के बारे में ये मान्यताएँ होती हैं कि इस गाँव को बसाने में उन्होंने के पूर्वजों का योगदान रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार जो अभी हाल में दूसरे जगह से आकर बसा है गाँव वालों का विश्वास जीत पाया है। अधिकतर ये देखा गया है कि मुखिया की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसका परिवार सयाना समूह से है बल्कि उस व्यक्ति के अपने स्वयं के आचरण और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है । जो लोग सबसे बुजुर्ग होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है, जो अच्छे वक्ता होते हैं जिनमें अच्छा प्रशासनिक गुण होता है जिनके परिवार प्रतिष्ठित होता है वही मुखिया के रूप में सबसे ज्यादा ग्रामवासियों का विश्वास जीत पाता है और ये ग्राम सभा जिसे कि खुमरो कहा जाता है के बीच सबसे ज्यादा सफल होते हैं ।

सयानाचारी प्रथा-

सयानाचारी प्रथा या सयाना प्रणाली जैनसारियों का बहुत

हो पुराना केन्द्र रहा है। सयाना का मतलब किसी वंश के मुखिया के रूप में होता है। यथार्थ में सयाना हर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि गाँव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जैसे गाँव के प्रमुखी को ही गाँव सयाना या सदर सयाना कहा जाता है। पुराने जमाने में सदर सयाना से भी ऊपर एक समूह होता था। ये समूह ज्यादा मजबूत और उच्च परिवार से संबंधित होते थे जिन्हे चौवरा कहा जाता था। ये तो कहना मुश्किल है कि इस प्रथा का उदय कब हुआ लेकिन ये पक्का है कि यह अंग्रेजी शासन १८१५ के पहले से ही है। और सरकारों ने इसका हस्तोत्तमाल मुख्यतः माल गुजारी वसूलने के लिए किया। समय के अनुसार इसमें बदलाव आता गया और इसको बनावट और कार्यप्रणाली में नयापन आता गया।

खुमरो - ग्राम पंचायत -

खुमरो जौनसारियों को एक पारंपरिक संगठन है। जिस तरह कि मैदानों इलाकों के गाँवों में हमें पंचायत देखने को मिलता है उसी तरह जौनसारियों के बीच खुमरो होता है। जब कभी गाँव में आर्थिक सामाजिक राजनैतिक या धार्मिक बातों पर मतभेद होता है तो ये खुमरो एक आम सभा का स्वरूप बना कर सारे मतभेदों को दूर करने का प्रयास करता है। इसको उत्पत्ति कब हुयी बताना बहुत ही कठिन है। देखने और सुनने में इसके बनावट जितने ही मजबूत दिखते हैं यथार्थ में ये बहुत ही कमजोर होते हैं। अब हमें जौनसारियों के बीच अलग अलग ढंग के खुमरो देखने को मिलते हैं।

कुछ खुमरो क्षेत्र पर निर्भर करते है कुछ जाति पर और कुछ रिश्तेदारी पर परन्तु किसी न किसी तरह ये सयानासे जुड़े होते है । जैसे खुमरो जो जातीय आधार पर होते है इन पर उच्च जातियो का स्काधिकार होता है कभी-कभी बहुतायत जनसंख्या वाले जातियो के भी स्काधिकार में देखा गया है। जैसे तो उच्च जातियो के बीच खुमरो का कोई विशेष महत्व नही होता है। इनके निर्णय अधिकतर निम्न जाति के ही लोगों पर थोपा जाता है और आज के समय में करोबन कोई भी गाँव का निवासी इनकी प्रतिष्ठा को उतना आदर नहीं देता जितनाकि उनकी मान्यताएं कहती हैं । उदाहरण के रूप में पुजेली गाँव में चार तरह के खुमरो पाए जाते हैं । सबसे अमर राजपूतों की खुमरो है । फिर ब्राह्मणों की । वास्तविकता मे ये दो ही खुमरो है और निम्न जाति के लोग लगातार इनके लिए अशांति उत्पन्न करते रहते हैं । तीसरे तरह की खुमरो कोल्टा और बाजगियों के बीच देखा गया है। चौथा खुमरो बंदो और सुनारों का होता है।

जैसे जो भी कहा जाए ये क्षेत्रीय खुमरो अपने आप में कोई महत्व नहीं रखती और कभी-कभी ही ये लोग इन खुमरियों की आज्ञा का पालन करते देखे गए है फिर भी इनके बनावट इतने सुदृढ़ है कि जौनसारियों को पूरा राजनैतिक प्रणाली इन्हो के स्वस्थ पर निर्भर करते है। आज के जमाने में शिक्षा, आधुनिकता सरकारी व्यवस्था में लगातार प्रभाव देखे जाते है परन्तु अगर जौनसारी अपनी जनजाति का इतिहास या परम्परा

बनाये रखने में सफल है तो उसमें सुमरी का सबसे बड़ा योगदान है।

राजनैतिक संगठन और बदलाव -

कोई भी संस्थान अपने क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए बनता है। एवं इसके प्रणाली में जो भी कमजोरियां होती हैं वही इसके बदलाव का कारण होती है और जब भी उस समाज के बीच किसी निधि की कोई आवश्यकता नहीं महसूस की जाती है और ऐसी ही कुछ जौनसार जनजाति के पारंपरिक प्रणाली में उसके ग्रामीण संगठनों में देखा गया है।

जैसे जैसे यातायात के साधनों में बदलाव आता गया नये-नये सरकारी विकास के प्रयोग बढ़ते गये और धीरे-धीरे क्षेत्रीय संगठन सगाप्त होते गए। सघाना और सुमरी प्रणाली में विघटन बढ़ता गया।

लुधेरा गाँव के राजपूत जाति का एक उदाहरण सामने आता है जो आज के आधुनिक परिवारों का एक उदाहरण है। नारायण सिंह तोमर जो कि एक अकेला परिवार के मुखिया है उनके पाँच लड़के औरतीन लड़कियाँ हैं बाद में बड़ा होने पर उनका सबसे छोटा बेटा परिवार से अलग होना चाहा क्योंकि उनके बीच बहुपति विवाह प्रणाली जो मौजूद थी उन्हें रास नहीं आया कारण कि पाँचों भाइयों के बीच जो अकेली बौबी थी उसे कुछ औरत के साथ अलग रहना चाहता था। ये बात नारायण सिंह तोमर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की किन्तु रोक नहीं पाए।


इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जायदाद का बंटवारा करना पड़ा और न चाहते हुए भी उन्हें अपनी जायदाद के पाँच हिस्से करने पड़े। इस तरह उसके छोटे लड़के को घाटा उठाना पड़ा क्योंकि उसे आधा हिस्सा जिसका कि वो अधिकारी था न मिला जो कि सबसे छोटे लड़के को मिलता है। इसके लिए उसने गाँव में खुमरो बुलवाया। खुमरो ने छोटे बेटे को ओर फैसला दिया लेकिन उसके पिता ने खुमरो को आज्ञा को नहीं माना जिसके फलस्वरूप दूसरी खुमरो बैठक के आज्ञानुसार उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया। जैसे तो खुमरो ने अपनी पुरानी परम्परा को बनाए रखा और कड़ाई से अपनाया भी परन्तु नारायण सिंह तोमर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि पूरे गाँव की तुलना में वह सबसे अमीर व्यक्ति था और उसने अपनी जिन्दगी में सामाजिक बहिष्कार का कोई महत्व नहीं आने दिया। आज तक उसका छोटा बेटा इस बात का अपसोस करता है कि खुमरो के बदले में वह अपने बाप से अच्छा संबंध रखता तो उसे वह आर्थिक घाटा कभी न मिलता क्योंकि नारायण सिंह तोमर खुमरो के आज्ञा का उल्लंघन करने के बावजूद अपने दौलत के बल पर करीब-करीब गाँव के सारे लोगों को वश में कर रखा था और वह जो चाहता अपनी इच्छा को आसानी से प्राप्त कर लेता।

न्यायपालिका एवं प्रशासन -पंचायत -

पूरे देश में जो पंचायती व्यवस्था है उसे अनुसार कितनी भी पंचायत में तीन उपसंगठन होते हैं । ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय या पंचालती अदालत । जहाँ तक जोनसारी जनजाति का सवाल है इसके बीच दो ही उपसंगठन देखने को मिलते हैं - ग्राम सभा और न्याय या अदालती पंचायत आवश्यकता के अनुसार इस प्रणाली में न्याय पंचायत एक न्यायपालिका है जबकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक कार्यकारिणी समूह है जो कि चुनाव के द्वारा आती है । और ये गाँव के लोगों के प्रति उत्तरदायी है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपस में मिल गए हैं। ग्राम सभा जो कि आम ग्रामोणों की सभा होती है कभी भी अपने नाम से नहीं पुकारा गया बल्कि ग्राम पंचायत जो कि गाँव के चुने व्यक्तियों का समूह है ग्राम सभा के बदले ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती हैं और इस तरह प्रत्येक गाँव में एक ग्राम प्रधान और ग्राम उप प्रधान चुना जाता है जो कि गाँव का मुखिया और उप मुखिया होता है ।

सन् 1953-54 के सरकारी व्यवस्था एवं समुदाय विकास योजना के आने के चलते जोनसारी जनजातियों के बीच सुमरी व्यवस्था का अंत होता गया और पंचायती व्यवस्था आती गयी । न कि सुमरी के मजबूत बनावट और उसके उच्चे प्रशासन को पंचायती व्यवस्था के आगे घुटने टेकने पड़े बल्कि धीरे-धीरे लोग सुमरी व्यवस्था के मूल गए हैं उन्हें सिर्फ सुमरी एक इतिहास के रूपमें याद है। इसका मुख्य कारण कोल्टा जाति के लोग है क्योंकि इन

जन्जातियों के बीच कोल्टा वर्ग ही सबसे ज्यादा सताया गया था और जैसे जैसे कोल्टाओं के बीच अपने सामाजिक स्तरका विश्वास बढ़ता गया और सरकारी व्यवस्थाओं ने अपने हिम्मत बढ़ायी जैसे जैसे इनमें जागरूकता पैदा हुयी और नयी शिक्षा व्यवस्था के आगमन होते ही इन्होंने खुमरी व्यवस्था को अपने से साफ अलग कर दिया। खुमरी व्यवस्था के महत्व को कम करने में कुछ हाथ सघाना लोगों का भी है। इन समान्य लोगों में से कुछ लोग नाजायज धन इकट्ठा करने के चलते इस व्यवस्था का महत्व घटा दिया । इसके चलते इन सघानाओं के महत्व भी घटे और ये खुमरी व्यवस्था कमजोर होती गयी और इन्हो घटते महत्व का कारण नयी पंचायती व्यवस्था का उदय होना शुरू हुआ ।



2.5 -धर्म-

जौनसारी जनजाति के लोग हिन्दू हो हैर्षिकन्तु इस जनजाति के धार्मिक रीति रिवाजो एवं अनुष्ठानो में अन्तर है इस जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रमुख देवता महासू है, जिसे स्थानीय ब्राह्मणो विष्णु का छोटे अवतार परशुराम से मिलाने को कोशिश करते है। लाखा मण्डल में परशुराम का मंदिर भी है, महासू, सम्भवतः किरातो या खतो का जनजातिक देवता है, जौनसार बावर में बासक पिबासक बैठा एवं चालडा § चलता § चार देवताओं का संयुक्त नाम महासू है । बासक, पिबासक एवं बैठा का मंदिर हनोल § रंवाई, उत्तर काशी § तहन § पंज गाँव खाट § एवं अनवर में स्थित है चलता महासू यद्यपि पूरे जनजातीय क्षेत्र में घूमा करता है किन्तु उसका निवास स्थान बैराट § कोरुखाट § में है जौनसारी जनजाति के महासू देवता के प्रति अपार श्रद्धा विश्वास के साथ भयभीतोव्याप्त होता है कि देवता सर्वनाश भी कर सकता है।

महासू देवता को उत्पत्ति की कथा जौनसारी जनजाति के अनुसार निम्न प्रकार है ।

उनाभट्ट मैन्दरथ नामक गाँव में रहा करता था। इसी समय कालसी §जौनसार§ के पास टोंस और यमुना के संगम पर खीरदाना नामक दानव प्रकट हुआ, वह उनाभट्ट के आदिमियों को एक-एक करके खाने लगा, अन्त में उना उसके तीन बेटें एवं एक लड़की बच गयी । उना भाग कर

जंगलो में चला गया और वहाँ बदला लेने के लिये किरवोर के विनाश का उपाय सोचने लगा, एक रात महासू देवता ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि उना, निश्चिन्त रहो कश्मीर जाओ, वहाँ पाँचमहासू रहते हैं उनसे सहायता के लिये प्रार्थना करो सिर्फ वही वोर वोर का नाश करने में समर्थ है उना ने कश्मीर के प्रस्थान किया वह चलते हुये एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ महासू देवता का चौकीदार अपने बगल में सौ मन लोहे को गदा लिये सो रहा था चौकीदार को आज्ञा के बिना कोई भी महासू देवता तक नहीं पहुँच सकता था, दो गदाओं में एक को उठाकर उना ने सोये चौकीदार पर रख दिया। उसने जाग कर तुरन्त पूछा तू कौन है उना ने जबाब दिया मामा मैं तेरा भ्राजा हूँ । चौकीदार ने कहा भाई तू मेरा भ्राजा नहीं है जो कोई हो किन्तु इस सम्बोधन के कारण मैं तेरी मदद करूँगा यहाँ क्यों आया है। उना ने उसे सारी आप बोलती सुनाई चौकीदार ने पहले उसे रास्ते में खतरा कहकर रोकना चाहा किन्तु उना के न मानने पर चौकीदार ने उना को थोड़ा चावल और थोड़ी दाल दिया और कहा कि तूफान का खतरा आये तो इन दानों को हवा में फेंक देने से तूफान बन्द हो जायेगा ।

उना आगे बढ़ते हुये कनानोताल पहुँच गया, जिसमें उसे अपना बाल और थूक फेंकना था यदि उसका बाल सोंप बन जाये और थूक कौड़ी तो उसे समझना था कि वह कश्मीर पहुँच गया है और वैसा ही हुआ

वहाँ बड़े मैदान में दो घर थे जिनमें से एक में महासू देखा रहते थे तथा दूसरे में उनका अनुचर केलवीर पहलवान रहता था। प्रातः काल महासू ढोल की आवाज के साथ बाहर निकला पहले अपनी कचहरी करने के लिये बसाल निकला, फिर पिबासक तब बैठा तत्पश्चात् चलता, चलता वेजन निकलने के समय ही उना को उसके पास जाकर अपनी व्यथा कथा सुना कर आदेश लेना था, उना ने चौकीदार के कहे अनुसार वैसा ही किया, महासूओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा तुम अपने देश चले जाओ, हम कोरतोर का विनाश करेंगे चलता ने उना को एक मुट्ठी चावल, एक भोट्टो का बर्तन और अपना डन्डा देकर कहा कि भूख प्यास लगेतो इस डन्डे को जमीन पर पटकना धरती में से पानी निकलेगा जिससे अपना चावल पका लेना। इससे यह भी सिद्ध होगा कि चलता महासू मेरे साथ है। महेन्द्राय में पहुँचने पर चलता के दिये हुये चावल में से कुछ टेंस में बिखरना था जिसमें किछीर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। आनेके बाद पहले इतवार को एक बिना जोतो बछिया हल में जोतना। पहले कभी भी हल को हाथ न लगाये हुये लड़के के द्वारा हल चलाने (जोतने) पर उना देखेगा कि हल सोना हो गया और फास चाँदो । इसके बाद वह स्वयं पाँच हराई जोतेगा तो उनमें से हर एक में चारो महासू और उनकी माँ देवलारा की मूर्तिया मिलेगी । उना ने लौट कर चलता महासू के कथनानुसार सारा कार्य सम्पादित किया सबसे पहले बासक निकला, जिसको जाँघ में फाल बंधो थी, फिर पिबासक निकला, जिसका कान घायल था इसके बाद बैठा प्राप्त हुआ वह भी एक आँख में धग्यल था। चलता हो स. अंगो से पूर्ण

प्राप्त हुआ। पहले तीनों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। चल्ता चलने फिरने वाला था। चारो महासुओं की नाँ देवतारो पाँचवो जोताई § हर्राई§ में निकली। उनके नाम पर एक मंदिर उसो खेत में बना दिया गया। ऊना ने उस महासुओं को पूजा की और अपने छोटे लड़के को उनको सेवा करने की आज्ञा दी। उसने बाप की आज्ञा मानी और देवपुजारो हो गया। दूसरे लड़के को घडियाल बजाने की कहा तो वह राजपूत बन गया, तीसरा बाजा बजाने वाला वाजगी हो गया। ऊना ने महासुओं के अनुचरो के चौसंठ घर बनाये। महासुओं में कीरवीर दानव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और अन्ततः महासुओं के अनुचर केलवीर ने कीरवीर दानव को पराजित कर उसका शीश काटकर महासु के मंदिर में टांग दिया। बसाक, पिबसाक ने गढ़वाल स्वामित्व लिया, जहाँ बिजौली खाई § हनेाल § में इनके मंदिर मौजूद है वर्तमान समय में हनेाल स्थित मंदिर के पुतारो श्री

है जिन्से शोधकर्ता स्वयं मिला तथा विषय

में सम्बन्धित परिचर्चा भी थी जिससे कि उपसमूहों के अन्तर् सम्बन्धों को समझाने में काफी मदद मिली। जोनसार बाबर के स्वामो वैठा एवं चल्ता दोनो भाई महासु बने जोनसार में महासुओं के मंदिर ऊना के बहुत दिन बाद लोगों ने बनवाया। संगरू के मंदिर मन्धान में कोरू खाट और उदपलटा खाट में है जहा से चल्ता महासु सेमलटा, उदपलटा, कोरू और से ही के खाटों में जाता है। इन गजेटियर के अनुसार चल्ता § चाल्दा § परिभ्रमण पर जाने के पहले राज्य का शिष्टाचार का ध्यान रखते ५ उनके दल में साठ-

सत्तर लोग एवं नर्तक लड़कियां रहा करती थी । यात्रा करे समय वे किसी गाँव में जब तक की उस गाँव के क्जोर के द्वारा उन्हें निमंत्रण न मिले नहीं जाया करते है लेकिन भगवान के भय से उन्हें प्रायः निमंत्रण मिल ही जाया करता था वर्तमान समय में जौनसार केग्राम विसोई § नागकात§ के सदर समाना राजेन्द्रसिंह चौहान जो कि मंदिर के क्जोर भी है मैने इस विषय में साक्षात्कार लिया तथा इस प्रथा को यथावत पूर्णतया सत्य पाया गया जौनसारी जन्जातो में वर्तमान समय में कुछ बातों के निषेध एवं नियम है जो महासू के आदेश है और सामाजिक रूप से मान्य है जैसे चारपाई पर कभी न सोना, शुद्ध दूध को कभीनहो पीना, जिसका दूध पीना उस जानवर का मांस नहीं खाना मट्ठा पीने को छुट है सबसे अच्छे बकरो को बली महासू केमंदिर में चढानो चाहिये, जौनसारीयो के जैसा हो दूध न पीने का रिवाज स्टकिन्सन के अनुसार सिन्धु उपत्यका के वर्तमान निवासियों औरमूल स्थान से भागकर लद्दाख मे सिन्धु के किनारे बसे हुये आजकाल के दार्दरो में दूध पीना मना है।






क्जोर से आये हुये चारो महासुओ में दो शासक एवं पिबासक टेहरो गढ़वाल चले गये तथा उनके दो भाई और चालता जौनसारी जन्जाति के बड़ो जाति के देवता है, यदि किसी गाँव में प्राकृतिक आपदा स्वस्थ कोई बीमारी फैलती है तो चालता महासू से आने की प्रार्थना की जाती है इस सारी जजात को निमंत्रण देने वाले गाँव एकदिन का भीजन करता है।

छः महोने तक उस क्षेत्र के खाटो से चन्दा लेकर देवता को अपने यहाँ रखते हैं लोगो की चटावे के रूप में घी एवं बकरा भी देना पड़ता है " कार्निवाल एवं एच० वी० राँस दोनो ने बतलाया है कि सारे जौनसार बावर के अमर महासु देवता का पूर्णतया पभाव है। महासु के मंदिर में जाकर देवता को आज्ञा से मुकदमों का फैसला होता है, अगर इससे बाद कोई अनिष्ट हुआ, तो उसे देवता का कोप भाजन मानकर झगड़े वाले जमोन को सदा के लिये अभिशाप्त समझ कर परती छोड़ दिया जाता है। यदि किसी की किसी से शत्रुता हो गयो तो वह अपने खेत से मुठ्ठी भर मिट्टी ले जाकर महासु देवता के सामने पूजा प्रार्थना करता है, इसके बाद यदि कोई अनिष्ट हुआ तो देवता के कोप से डर कर वह खेत छोड़ देता है। जिन लोगो ने आपस में कसम उठा रखी है, उनको सन्ताने भी सदा के लिये जाति से वहिष्कृत हो जातो है और वह आपस में कोई सम्बन्ध नहीं रखतो है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी एक स्कूल में नही पढ़ सकते है, जौनसारो लोग देवताओं के अनन्य भक्त एवं दास होते है। राँस के समय में कुछ अनिष्ट घटनाये घटी जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप चोजात के लोगो ने चार सौ देवदार बलि के रूप में जला दिये - यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कोई भी निम्नवर्ग का व्यक्ति मंदिर के आंगन में प्रवेश नही कर सकता है ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से देवता के लोप का भाजन बनना पड़ता है स्त्रीयाँ का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है किन्तु

बाजगो की स्त्री प्रवेश कर सकती है क्योंकि धार्मिक संस्कारों में बाजा इत्यादि बजाने के लिये इसको आवश्यकता पड़ती है।

इस जनजातीय समाज के निम्न वर्ग में जो कि आज भी अछूत समझे जाते हैं देवताओं के प्रति मन में अपार भय समाया हुआ है इन्हें यदि कोई जबरदस्ती मंदिर में जाना चाहे या पुजारों भी कहे तो भी यह मंदिर में जाने को तैयार नहीं होते हैं तथा इनका मानना है कि ऐसा करने से देवता क्रुपित होकर उनका सर्वनाश भी कर सकता है।

MUSICAL INSTRUMENTS



अध्याय - तीन

शोध को कार्यविधि



जौनसारी जनजातीय समाज सम्राट् बहूपति विवाही समुदाय है जो महाभारत कालीन पाण्डवों को आज भी अपना पूर्वज मानता है और उनके सम्मान में अनेकों त्यौहारों को सम्पन्न करता है आज की जौनसार-बादर में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो पाण्डवों के नाम से जुड़े हैं और इन्हीं स्थानीय भाषा में पांडों की घौरी कहा जाता है यह जनजाति अपनी विशिष्ट वेश भूषा तथा परम्पराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमानों धर्म, जादू, तथा अर्थ व्यवस्था के लिये प्रसिद्ध रही है। जौनसारी जनजाति, विभिन्न उप जातियों जैसे ब्राह्मण राजपूत बाउडी, बाजगी, नाई, लोहार कोल्हा जिनमें क्रमशः उच्च-नीच का संस्तरनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है में बड़ी है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण जौनसार-बाबर क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को सन 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तब से लेकर अब तक इस जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये शासन द्वारा निरन्तर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता रहा है।

आज जनजातीय समुदायों का कोई भी पक्ष परिवर्तन के प्रभावों से अछूता नहीं है शासन द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत जनजातियों को जहाँ

एक ओर सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में विविध प्रकार के आरक्षक प्रदान किये गये हैं वहीं शैक्षिक क्षेत्र में उनके उत्थान के लिये शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के नियमों में शिक्षिलता शुल्क मुक्ति की व्यवस्था सुफ्त छात्रावास छात्रवृत्ति आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई । जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियों शैक्षिक स्थिति में अवश्यमेव प्रगति हुई अतः शिक्षा के प्रचार प्रसारों के फलस्वरूप जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन में घटित परिवर्तनों का अध्ययन न करना एक ओर शैक्षिक क्षेत्र में शासन द्वारा निर्मित प्राक्धानों की प्रासंगिकता को परखने और दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकरण के में शिक्षा की भूमि का अध्ययन अपेक्षित प्रतीत होता है ।

वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता जटिल एवं वृहद अवधारणायें हैं जो विभिन्न कारणों की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप जन्म लेती हैं वही कारण है कि विभिन्न समाज विज्ञानियों ने विभिन्न-विभिन्न आधारों पर सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता की प्रकृति की व्याख्या की है ।

जौनसारी जनजाति के कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों की परिस्थिति

की एवं विभिन्न पीढ़ियों में उनके परिवार की व्यावसायिक स्थिति के आधार पर ज्ञात होता है कि विगत दो पीढ़ियों से ही उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक पिछड़ी थी। यही कारण था कि जीविकोपार्जन हेतु वे कृषि व पशुपालन के साथ-साथ दैनिक मजदूरी की किया करते थे और दूसरी बात यह कि सड़क यातायात, नगरीकरण व आधुनिकीकरण के प्रभावों से वेसदा की अछूते रहे हैं।

सरकारी सेवाओं में सेवारत लोगों में से अधिकांश था परम्परात्मक व पिता का निवास स्थान था तो नगरी में था या कस्बों में या नगर व कस्बों के सीन्कट अवस्थित ग्रामों या सड़क यातायात से 5 कि० मी० की पारिधि के अन्दर अवस्थित ग्रामों में जिसका परिणाम यह हुआ कि अनुकूल पारिस्थितिकी के कारण से तो शासन द्वारा निर्मित योजनाओं को सकल किया जा सका और दूसरा यह कि विभिन्न सुधारवादी व कल्याणकारी योजनाओं व शिक्षा जैसी सुविधाओं से ये लाभान्वित होते गये चाहे वो उच्च उप समूहों के हो चाहे निम्न उप समूह के हो पारिस्थितिकी अनुकूलता के कारण इन्हे वाह्य अजनजातीय समुदायों के सम्पर्क में आने के अवसर उपलब्ध होते रहे हैं जिसके फलस्वरूप इन लोगों में शिक्षा

परम्परात्मक व्यासायी जैसे व्यापार सरकारी सेवा आदि के प्रति मुख्यता बढ़ती गई और सामाजिक जीवन के परम्परात्मक मूल्यों के प्रति भी इनका दृष्टिकोण लचीला होता चला गया। पहले भी कहा जा चुका है कि जौनसारी जनजाति एक बहुपति विवाही जन जातीय समुदाय है जहां बहुपत्नी एवं एक विवाह की प्रथा जे उदाहरण भी परिलक्षित होते हैं यही कारण है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों का कुछ न कुछ प्रतिशत आज भी विवाह के इन विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किये हुए है। विवाह के प्रचलित इन विभिन्न स्वरूपों का परम्परागत आधार चाहे जो भी रहा हो लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामोण अंचलो में रह रहे व कृषि व्यवसाय से जुड़े जौनसारियों के लिये चाहे वह जिस भी उप समूह के हो आर्थिक कारक ही विवाह के विभिन्न स्वरूपों का प्रमुख निधारक है प्रायः अत्यधिक गरीबी के कारण एक परिवार के प्रत्येक भाई आपस में मिल कर संयुक्त रूप से किसी एक महिला से विवाह कर लेते हैं। जिन पारवारों में केवल एक ही पुरुष हो और उसके पास कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती ऐसी स्थिति में वह बहुपत्नी विवाह का अधिक उपयुक्त समझते हुये दो या अधिक महिलाओं के साथ विवाह कर कृषि व पशुपालन में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिये स्थाई जन शक्ति के रूप में दो से अधिक पत्नियों प्राप्त कर लेते हैं।

विवाह एवं परिवार के विभिन्न स्वरूपों के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण पुरुषों से भिन्न है कृषि व्यवसाय व सुदूर ग्रामीण परिवेश से जुड़ी जौनसारी जनजाति की अधिकांश महिलाये बहुपति विवाही प्रथा को ही अधिक पसन्द करती हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि उसे ऐ से अधिक पुरुषों का न केवल प्रेम ही प्राप्त होता है बल्कि सामाजिक आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त होता है ।

यद्यपि कुछ विचारकों ने बहुपति विवाही जौनसारी परिवार में महिला की स्थिति को दयनीय एवं उपेक्षा पूर्ण बताया है लेकिन यह मत्सत्य नहीं प्रतीत होता है। एकाधिक पुन पतियों द्वारा " एक मात्र पत्नी " को खूब रखने व अपनी ओर आकर्षित करने की छोड़ स्वरूप प्रदान किये जाने वाले छोटे-छोटे उपहार तथा प्रेमभाव ही स्त्री को मानसिक सन्तोष प्रदान करने के लिये तथा एकाधिक पुरुषों के बीच उच्च सम्मानित स्थिति प्रदान करने को पर्याप्त होता है । इसी लिये महिलाये चाहे वह जिस भी उपसमूह की हो आज भी बहुपति विवाह प्रथा के प्रति सहमति प्रदान करती है ।

जौन सारी परिवारों के प्रथागत नियमों के अनुसार परिवार में वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक महिला & पतिव्यो & का पद तथा कार्य सुनिश्चित करता है जिसके लिये वे मानसिक रूप से विवाह के पूर्व ही तैयार रहती है इस प्रकार की मानसिकता महिलाओं के बीच तनाव जैसी स्थिति को


उत्पन्न नहीं होने देती है। सरकारी सेवाओं में सेवारत लोग, जो कि शिक्षित हैं तथा सतत सम्य मानव समाज के सम्पर्क में रहते हैं बहुपति विवाह को " आज के युगमें किसी एकसमाज या समुदाय के नाम पर कलक मानते हैं क्योंकि यह प्रथा अनाज के सम्य समाजों के दृष्टि में मानवीय कम और पाशविक अधिक है। एवं इसी कारण से जौनसारी जनजाति को के सम्य समाजों द्वारा देय एवं उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है यही कारण है कि अधिकांश शिक्षित लोग बहुपति विवाही प्रथा से सहमत नहीं हैं सरकारी सेवाओं में सेवारत महिलाएँ आज तक विवाही एकांकी परिवार में अपने पति एवं बच्चों की ही साथ निवास करती हैं।

लगभग 20 वर्ष पहले इस जनजाति के निम्नवर्ग में वेश्यावृत्ति का प्रचार प्रसार चरमसीमा पर था एवं निम्न वर्ग की लड़कियों एवं बहूओं को इस व्यापार में डालने में स्थानीय उच्च वर्ग के लोगों का हाथ होता था, वर्तमान समय में यह व्यापार इस क्षेत्र में समाप्त तो नहीं किन्तु समाप्त प्रायः इसी सन्दर्भ में हनोल- खाई जि० उत्तर काशी के क्षेत्र निरीक्षक के दौरान परिस्थिति स्पष्ट हुई हनोल में मींदर के पुजारी के अलावा सिर्फ कोल्टा परिवार ही रहते हैं। तथा उनकी लड़कियाँ शादी नहीं किया

करती है तथा सभी वही अपने घर ही वेश्यावृत्ति का धन्या करती है वहाँ जा कर स्कने वालों से उनके परिवार के लोग खुद ही सम्पर्क करते हैं, कुछ लड़कियों एवं बहूये बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर एवं कानपुर के वेश्यालयों में पायी गई है, अब इन्हे किसी स्थानीय दलाल की आवश्यकता नहीं है अब स्वयं ही यह धन्या सवेच्छा से उन्होंने अपना लिया है तथा उनके घरवालों का पूरा सहयोग उन्हें इसमें प्राप्त होता है, स्थानीय कुछ लोगों ने बताया कि लाखामण्डल जौनसार बाबर के आस पास के कुछ निम्नवर्गीय परिवारों की लड़कियाँ एवं बहूये दोनों ही बड़े शहरों के वेश्यालयों में धन्या करती हैं तथा वह स्वयं ही गाँव की लड़कियों को अच्छे जीवन का प्रलोभन देकर इस धन्ये में उतरने को प्रेरित ही नहीं करती अपितु उन्हें अपने साथ बड़े शहरों के वेश्यालयों तक ले भी जाती हैं जातिगत एवं आर्थिक अनुपात की दृष्टि से निम्न वर्गीय जातियाँ एवं कमजोर आर्थिकी वाले लोग इस धन्ये से सम्बन्धित पाये जाते हैं ।

सरकार को चाहिये कि भविष्य में कल्याणकारी योजनाएँ बनाते समय इस सब बात का ध्यान रखे कि उसकी भोजनाओं का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बसे जनजातीय समूहों को भी मिले तथा इस जनजातीय समाज के सबसे निचले वर्ग, जो आज भी सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर पर अन्य उच्च उपसमूहों से बहुत पीछे है को विशेष से उनकी स्थिति

को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिये अलग से नवीन योजनाये बना कर उनका उत्थान करे । प्रस्तुत अध्ययन का उपयोग इस जनजातीय समूहों के अन्त सम्बन्धों को समझने के लिये उससे प्राप्त भिन्न-भिन्न प्रकार की विषमताओं तथा एवं तीनों उपसमूहों में व्याप्त रूच नीच की भावनाओं के अध्ययन हेतु किया जा सकता है । जिससे भविष्य में बनने वाली अनेक कल्याणकारी योजनाओं से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक योजनाओं को न पहुँचने देने वाले कारकों को समाप्त करने में तथा जनजातीय समूह का उत्थान करने में मदद मिलेगी यही प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व है ।



3. 2

प्रणाली विज्ञान

किसी भी क्षेत्रीय कार्य करते समय एक विशेष कार्य तरीका का उपयोग करना एक क्षेत्रीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह क्षेत्रीय कार्य, मानव विज्ञान के साथ इसके शुरू आती जिन्दगी के समय से ही जुड़ा हुआ है। और आज यह मानव विज्ञान के छात्रों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक जीव विज्ञानके विद्यार्थियों के लिए एक प्रयोगशाला होता है। इस लिए ही क्षेत्र एक मानव वैज्ञानिक के छात्र के लिए क प्रयोगशाला ही माना गया है। और इसके उपयोगिता को देखते हुए पिछले कई वर्षों से इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मानववैज्ञानिकों अपने प्रकार वैज्ञानिक तरीके ढूँढ निकाले है जिनका कि क्षेत्र में कार्य करने वाला उपयोग करते हैं। मैं जहाँ तक हो सका अपना क्षेत्रीय कार्य इस तरह से किया है।

विषय का चुनाव -

मुझे इस विषय का चुनाव "जोनसारी समाप्त के तीन उप-समूहों में अन्तर सम्बन्ध " मेरे विभागाध्यक्ष प्रो० ए० आर० एन० श्रीवास्तवा के द्वारा सुझाया गया। और जहाँ तक इस विषय की बात है मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि विषय मेरे मनलायक मिला है। क्योंकि पहाड़ और उसके आस-पास का जीवन अक्सर मुझे अपनी ओर आकर्षित करता रहता था। मेरे पास भरपुर समय था और इस क्षेत्र में कार्य करने



के लिए, और मैंने इसका भरपूर उपयोग किया। मेरा शोध कार्य आंकड़ों का इम्तदा करना जो कि वहाँ के जीवन शैली उनके आपसी सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करना था। और इससे आंकलन, जोनसार व्यवहार के पूरे आर्थिक, सामाजिक, और राजनैतिक सम्बन्धों को बहुत सारी जानकारी देता है।

सौहार्द-स्थापन

क्षेत्रीय कार्य के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वह लोगों के बीच अपना अच्छा परिचय बनाये। जहाँ वह अपना कार्य करने जा रहा है। एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कभी भी अपने आपको एक निश्चित समुदाय में जगह नहीं बना पाता है। क्योंकि हरदम वह एक बाहरी अपरिचित ही रहता, लेकिन यह शोधकर्ता पर निर्भर करता है कि वह अपने आपको अपने विषय क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत करता है। वह जितना जल्द हो सके, अपने आपको ऐसा बनाये कि वहाँ के लोगों के आँखों में न खटके। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपनी स्थिति का सही रूप से वहाँ के लोगों के बीच प्रस्तुत करे। और अगर क्षेत्रीय कार्यकर्ता एक सम्बन्ध या परिचय वहाँ के लोगों के बीच नहीं पाता है तो वह उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए उस जगह पर वह गया हुआ है। वह अपने लक्ष्य से बहुत ही दूर भटक जाता है। मैं अपने कुछ पूर्व अनुभव और भाग्य के चलते अपने क्षेत्र अच्छा परिचय बनाने में बहुत जल्दी ही कामयाब हो गया था।

सर्व प्रथम मैं देहरादून शहर के जौनसारी नाम जाने वाला होटल जो कि श्रेमति गंगा देवी § विधवा§ जो कि संचालिका थी, ग्राम सोवाई, खाट से लो चढराता को रहने वाली है, के पास गया। यहाँ पर मैं ग्राम लुधेरा के खजान सिंह से मिला। जो कि खासिया राजपूत का एक बेरोजगार स्नातक है। उससे सोहाद्र स्थापना के बाद, वह मेरे साथ अपने गाँव चलने को तैयार हो गया। इसी संदर्भ में मैं ओ. एन. जी. सोण के त्रिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अतर सिंह चौहान से मिला जो कि डी०ए०वी० कॉलेज से स्नातकोत्तर है। इसके बड़े भाई मुन्ना सिंह चौहान ग्राम चित्ला जौनभार, जो कि स्थानीय वर्तमान विधायक भी है। अतरसिंह चौहान ने मुझे क्षेत्रीय कार्य अध्ययन के लिए कुछ नाम पते और संदर्भ पते भी दिये, जिस्के द्वारा मुझे सोहाद्र स्थापित करने में विशेष परेशानी नहीं आठानी पड़ी। खजानसिंह के साथ देहरादून से बस द्वारा मंसूरी एवं मंसूरी से नयनबाग बाजार §जौनपुर§ पहुँचा। वहाँ से ग्राम लुधेरा पहुँचा जिसके लिए यमुना नदी पार करनी पड़ी। ग्राम लुधेरा में खजान सिंह के यहाँ रुकने का प्रबन्ध किया गया। खजानसिंह के पिता नारायण सिंह तोमर जो घाए के मुखिया भी है अत्यन्त शिष्ट एवं भाषी व्यक्ति थे। इस परिवार में सभी सदस्यों से मैं बहुत आसानी से घुला मिल गया क्योंकि सभी हिन्दी बोल और समझ लेते थे। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं अपने रहन-सहन का अध्ययन करने आया हूँ। नारायण सिंह तोमर ग्राम लुधेरा में क्षेत्रीय कार्य करने समय सभी ग्रामीणों

से साक्षात्कार कराने मेरी मदद की । ग्राम चित्ला जौनसार में अतर सिंह चौहान ने छोटे भाई ने कोल्टाओं से साक्षात्कार कराया और मेरी अन्य भी विविध प्रकार से मदद की । प्रथम दृष्टया ग्राम और ग्रामोणो के अवलोकन करने पर वाह्य परिवेश में आधुनिक बदलाव किन्तु परम्परागत वही पुरानो सामाजिक परम्पराये पाया। साक्षात्कार के प्रारम्भिक अवस्था में मुझे उत्तरदाताओं को यह समझाना पड़ता था कि मैं कोई सरकारी मनुष्य नहीं बताया कि एक शोध छात्र हूँ जो उनका सामाजिक जीवन से कुछ सीखने आया हूँ । प्रारम्भ में उत्तरदाताओं ने सम्बन्धी सम्पत्ति सम्बन्धी सारी सूचनाएँ तो वे सच बता देते है किन्तु शोध विषय के मूल प्रश्न उप समूहों में और सम्बन्ध के प्रश्नों को पूछे जाने पर अधिकशतः हिचकिचाते थे । ऐसे मौके पर मेरा प्रारम्भिक सूचना दाता खजान सिंह हवेशा आगे आकर हमारी परिचय को और नब्बदीक कर मेरे सारे परेशानियों को दूर करता था। वही मेरा मध्यमार्ग, क्षेत्रीय भाषाओं का उदारकर्ता था । गाँव को बहूनों एवं औरते, विशेष कर कुमारी लड़कियों से साक्षात्कार लेने में, खजानसिंह को सहन मोना ने विशेष सहयता किया। पुरुषों की अपेक्षा औरतो ने मेरे प्रश्नों को ज्यादा खुलकर जवाब दिया। इनके विशेष सोधे स्वभाव के बौ चले मुझे अपने क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान विशेष परेशानो कभी महसूस नहीं हुई । अपने सम्पूर्ण अध्ययन के दौरान ग्राम ठकरानी के लाखी सिंह रावत, सायू कोल्टा , ग्राम पुजेरो के ४ खाई ४ हरे कृष्ण नौडयाल तथा मुमदास बाजकी इन सभी ने साक्षात्कार के दौरान अपने घरों में एक मित्र, परिवार के तरह रहने सुखद प्रदान । साथ

के बाद जब लौटने का समय आया तो मेरा मन तो भर ही आया था, साथ-साथ हर गाँव के लोग मुझे छोड़ने के लिए अपने-अपने गाँव के बाहर तक आये । सारा माहौल गम्भीर बन गया था, तथा मेरे दोबारा लौटने के वचन देने केबाद ही उनके चेहरों पर रौनक लौटते देख पाया । और फिर मैं भी वापस लौट सका ।

आँकड़ों के संग्रहण की विधि -

मैंने इन सारी तरीकों को अपनाया । आँकड़ों के संग्रहण से पहले मैं अपने शोध निरोधक से तथा पुस्तकों के माध्यम से एक सामान्य जानकारी हासिल की तथा देहरादून शहर में ओ० एन० जो० श्री० के महाप्रबन्धक सुरक्षा श्री जो०एम० श्रीवास्तव से मिला जिनसे मुझे इस क्षेत्र विशेष के बारे में तथा क्षेत्रीय विषयगत जनजातीय संस्कृति के बारे में विशेष जानकारी मिली अपने सम्पूर्ण कार्य को करते समय मैंने सहभागी अवलोकन एवं साक्षात्कार का विशेष उपयोग किया अवलोकन से प्राप्त तथ्यों का साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों से तुलनात्मक अध्ययन ही से अभीष्ट प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचने में मदद मिली । आँकड़ों को वैज्ञानिक रूप देने के लिए अधिक से अधिक प्रश्नावली प्रपाली को साक्षात्कार के बाद उपयोग किया मेरे अध्ययन की मुख्य विधि से प्रथम स्थान मध्यस्थता षुखान सिंह षु का रहा तत्पश्चात् अवलोकन का विशेष स्थान रहा, अवलोकन से ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उस विषय पर समय स्थान पर

पाये जाने वाले लोगों का साक्षात्कार लिया तत्पश्चात् प्रश्नावली को उपयोग किया तथा अन्त में इन सम्पूर्ण बातों का वापस आकर कार्य क्षेत्र के निवास स्थान पर । अपने सूचनादाता खजान सिंह से प्रत्येक दिन के विवरण का पुनर्निरीक्षण एवं सत्यापन करवाया कर अपने अभीष्ट प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचा ।


साक्षात्कार का अपना एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि कुछ ऐसी बातों जो कि लोगों का अपना स्वयं होता है वह किसी भी तरह से कोई व्यक्ति जान नहीं सकता जब तक कि वह व्यक्ति खुद ही न बता दे । और ऐसे समय पर साक्षात्कार ही अकेला उत्तर होता है। सर्वप्रथम मैं किसी भी व्यवस्था को बहुत ही नजदीक से देखता था, और फिर हर सम्भावना को देखते हुए किसी एक उत्तर तक पहुँचने से पहले मैं बहुत से लोगों से बातचीत कर उसे सत्यता के नजदीक तक पहुँचने की कोशिश करता था। इसके लिए मैं हर उम्र के लोग, बच्चा, जवान, बुजुर्ग, दोनों लिंग, औरत एवं मर्द एवं हर जाति, हर वर्ग, कहे का महलब यह कि जहा तक हो सका, मैंने इसके जड़ तक पहुँचने की हर कोशिश की।

और फिर किसी भी कार्य उत्तर के आकलन करते हुए मैंने बहुत ही आरामदायक माहौल महसूस किया। मैं अपना सूचनादाता के हर बात को अच्छे ढंग से लिखता रहा, और जहा तक हो सका

फोटों खिचकर मैंने अपनी बातों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक खाचा खिचता रहा। मैं कभी अपने भ्रूचनादाता पर पूर्ण भरोसा नहीं किया जहाँ तक हो सका हर चीज को मैंने खुद बहुत ही नज़दीक से टटोल-टटोल कर देखा।

और इसतरह मैंने अन्त में अपना निष्कर्ष निकाल पाने में सफलता प्राप्त की ।





3.3 आंकड़ों का विश्लेषण:- स्वतन्त्रता के बाद भारत के कल्याणकारी नीतियों के परिधि के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय समुदायों पुरातन सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा परिस्थितिकी सम्बन्धी एकान्तता को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में निरन्तर रचनात्मक उपायों के फलस्वरूप जनजातीय समाजों में परिवर्तन की प्रक्रिया में जन्म लिया है। आज जनजातीय समाज को कोई भी पक्ष परिवर्तन के प्रभावों से अछूता नहीं है।

वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता जटिल एवं घुट्टा अवधारणों है जो विभिन्न कारणों की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप जन्म लेती है यही कारण है कि विभिन्न विभिन्न समाज विज्ञानियों ने विभिन्न-विभिन्न आधारों पर सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता की व्याख्या की है। बेल्न § 1922-192 § विचार की आदतों को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं। मार्क्स § 1935-92 § ने उत्पादन प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक शक्ति माना है जबकि माल्थस § 1798 § जनसंख्यात्मक कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी व्यावसायिक परिवर्तनों से सम्बन्धित माना है जबकि श्रीवास्तव § 1962 § ने कुमाऊ की मोटियाजन जाति में

इसका प्रमुख कारण माना है। कोहन § 1963§ ने राजनैतिक सत्ता को सामाजिक गतिशीलता का आधार माना है। रो § 1966§ ने आर्थिक समृद्धियों आधार पर सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या की है ।

अतः प्रस्तुत शोध के आकड़ों के विश्लेषण एवं वैज्ञानिक निष्कर्षों को आधार पर स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता का कोई एक ही विशिष्ट कारण नहीं होता है, फिर भी शिक्षा को सामाजिक जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन धरित करने एवं गतिशीलता को जन्म देने वाले एक प्रभावशाली कारक के रूप में स्वीकारा जा सकता है । क्योंकि शिक्षा ही एक ओर मानव को मानासिक रूप से विभिन्न परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिये विवेकपूर्ण एवं तर्क पूर्ण ढंग से तैयार करता है तो दूसरी तरफ सामाजिक-आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों को घटित करने के लिये उन्हें अभिप्रेरित की करता है। वास्तव में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे के सामाजिकीकरण मानव के व्यक्तिव्य विकास सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक परिवर्तन और व्यवसायों के विकास में सहायक होती है, इस प्रकार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन तथा गतिशीलता का एक प्रभावशाली कारक मानते हुये जौनसारी जनजाति के तीनो उप समूहों की व्यावसायिक गतिशीलता तथा विवाह वह परिवार के विभिन्न स्वरूपों

पर शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप घटित हो रहे परिवर्तनों एवं तीनों उप समूहों के अन्यान्योश्रिता पर पड़े प्रभाव को ज्ञात करने का प्रयत्न ही शोध का प्रमुख उद्देश्य है ।

शोध कार्य के विश्वकर्षों की प्राप्ति के लिये शोधकर्ता द्वारा कुल 8: गांवों के 105 उत्तरदाताओं का चयन § निदेशन पद्धति द्वारा अध्ययन हेतु किया गया देव गांवों का चयन यादृच्छिक चयन विधि सक्रियता गथा । कुल 1050 उत्तर दाताओं में से 525 § 50% विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत है। तथा शेष 525 § 50% कृषि एवं निजि व्यवसायों में कार्यरत है, प्राथमिक पद्धतों की प्राप्ति साक्षात्कार अनुसूची तथा सहभाग्यी अवलोकन द्वारा की गयी तथा आवश्यकता नुसार द्वैतीयक तथ्यों का उपयोगभी परिणामों की सत्यतः एवं वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने के लिये किया गया है ।

शोध अध्ययन हेतु 8: ग्रामों के चयनित उत्तर दाताओं की सामाजिक पृष्ठ भूमि के अन्तर्गत परिस्थितियों लिगाविभाजन वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना शैक्षिक स्तर तथा व्यावसायिक स्थिति से सम्बन्धित सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है ।

तालिका संख्या 1 तथा 2 में प्रस्तुत प्रदत्तों के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श संरचना में 874 § 93.32 § पुरुष तथा 175 § 16.68:§

महिला उत्तरदाता है। पुरुष उत्तरदाताओं में 43. लम्बा 150% । कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं और ह्रस्व ग्रामीण परिवेश के हैं जबकि शेष 438 । 50% । सरकारी सेवाओं में सेवारत हैं जिनमें 305 । 69.7% । नगरी कस्बों या उसमें सन्निकट के अवस्थित ग्रामों में निवास करते हैं और शेष 133 । 30.2% । सड़क यातायात से पांच कि० मी० की परीधि के अन्तर्गत अवस्थित ग्रामों सम्बन्धित है। महिला अन्तर दाताओं में 89 । 50% । कृषि व्यवसाय से जुड़ी हैं । हैं और सुदूर ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित है जबकि शेष 88 । 50% । महिला उत्तर दाता सरकारी सेवाओं में रत हैं जिनमें अधिकतम 78 । 89.68% । महिलाये नगरी कस्बों या उनके सन्निकट के अवस्थित ग्रामों में निवास, करती हैं जबकि शेष 10 । 11.42% । महिलाये सड़क यातायात से 5 कि०मी० की परीधि के अन्दर निवास करती हैं ।

आयु विभेद के आधार पर कृषि व्यवसाय से जुड़े 47 । 10.83% । पुरुष एवं 8 । 8.57% । महिला उत्तर दाता 20 वर्ष से कम उम्र के हैं , 175 । 40% पुरुष व 42 । 48.56% । महिलाये 20 से 30 वर्ष की आयु समूह के हैं, 163 । 38% । पुरुष, 20 । 22.65% । महिलाये 30 से 40 वर्ष समूह की हैं, 30 । 6.86% । पुरुष, 10 । 11.42% । महिलाये 40 से 50 वर्ष आयु

समूह सम्बन्धित है जबकि शेष 23 || 5.15% || पुरुष व 8 || 8.58 || महिलाये 50 से अधिक उम्र के है। सरकारी सेवाओं से सेवारत उत्तरदाताओं में 18 || 4.00% || पुरुष व 13 || 14.29% || महिलाये || 14.29% || महिलाये 20 वर्ष से कम उम्र के है। 205 || 46.86% || पुरुष एवं 60 || 68.57% || महिलाये 20 से 30 वर्ष की आयु समूह के अन्तर्गत आते है 180 || 41.14% || पुरुष व 15 || 17.14% || महिलाये 30 से 40 वर्ष की आयु समूह के है जबकि शेष 35 || 8.00% || पुरुष उत्तरदाता 40 से 58 वर्ष की आयु समूह अन्तर्गत आते है ।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी पुरुष एवं महिला उत्तर दाता विवाहित है, जबकि सरकारी सेवाओं में सेवारत केवल 18 || 4.00% || पुरुष उत्तरदाता अविवाहित है और शेष सभी पुरुष एवं महिला उत्तर दाता विवाहित है ।

परिवार के विभिन्न स्वरूपों के सम्बन्ध में तालिका संख्या 3 में प्रस्तुत प्रदत्तों के आधार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए उत्तरदाताओं में अधिकतम 387 || 85.14% || पुरुष एवं 52 || 60.00% || महिला उत्तर दाता सभ्यत बहुपति विवाही परिवार के सदाय है, 23 || 5.15% ||

पुरुष व 18 ₹ 20.00 ₹ । महिला उत्तरदाता बहुपत्नी विवाही परिवार के है जबकि शेष सभी 43 ₹ 9.75% । पुरुष 19 ₹ 20.00% । महिला उत्तरदाता एकविवाही परिवारों में रहते हैं । सरकारी सेवाओं में कार्यरत उत्तरदाताओं में अधिकांश 208 ₹ 58.85% । पुरुष एवं 87 ₹ 100 ₹ । महिला उत्तरदाता एक विवाही परिवार का सदस्य है जबकि शेष सभी 180 ₹ 41.14 ₹ । पुरुष उत्तरदाता बहुपति विवाही परिवार से सम्बन्धित है ।

उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर के सम्बन्ध में तालिका संख्या 5 में दिये गये प्रदत्तों के आधार पर ज्ञात होता है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े अधिकतम 400 ₹ 91.42 ₹ । महिला उत्तरदाता अशिक्षित है और केवल 38 ₹ 8.58 ₹ । पुरुष 8 ₹ 8.58 ₹ । महिला उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त किये हुये है सरकारी सेवाओं में सेवारत उत्तरदाताओं में 13 ₹ 2.86% । 178 ₹ 40.58 ₹ । 210 ₹ 48.00% । 33 ₹ 7.45% । तथा 5 ₹ 1.14% । पुरुष उत्तर दाता क्रमशः जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल इन्टर मीडियेट, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है और सेवारत महिला उत्तरदाताओं 5 ₹ 5.72 ₹ ।, 45 ₹ 51.42% । व 38 ₹ 42.85% । क्रमशः जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर मीडियेट स्तर पर शिक्षा प्राप्त है ।

उत्तर वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट परिरीक्षित होता है कि सूदूर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जौनसारी जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है इसी कारण से यह आज भी शिक्षा से वंचित है तथा अपने परम्परागत व्यवसाय कृषि से जुड़े हुये है। अधिकांश के कारणों को ज्ञात करने हेतु उत्तरदाताओं की परिवारिक तथा परिस्थिति की सम्बन्धी पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्राप्त सूचनाओं को तालिका सं०४ में प्रस्तुत किया गया है तालिका 4 के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े प्रायः सभी उत्तरदाताओं का परम्परात्मक व पारंपरिक व्यवसाय या तो पशुपालन था या कृषि, या कृषि पशुपालन एवं मजदूरी तीनों एक साथ समयानुसार परम्परात्मक व्यवसाय के सम्बन्ध में कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाताओं के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 330 § 75.42% § पुरुष एवं 45 § 51.42% § महिला तथा 107 § 24.57% § पुरुष व 42 § 48.58% § महिला उत्तरदाताओं का परम्परागत रूप से व्यवसाय क्रमशः पशुपालन एवं कृषि तथा पशुपालन कृषि तथा दैनिक मजदूरी भी था। पिता के व्यवसाय के सम्बन्ध में कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाताओं में से 343 § 78.86% § पुरुष व 38 § 54.30% §

महिला, 23 ₹ 5.15 / ₹ पुरुष एवं 13 ₹ 14.30 / ₹ महिला 60 ₹ 16.00 / ₹

पुरुष एवं 28 ₹ 31.44 / ₹ महिला उत्तरदाताओं का पैतृक ₹ पिता का ₹

व्यवसाय क्रमशः : पशुपालन + कृषि, दैनिक मजदूरी, पशुपालन + कृषि + दैनिक

मजदूरी था। इस प्रकार कृषिव्यवसाय से जुड़े उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों के

विश्लेषण के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि वात दो पीढ़ियों से ही उनकी

आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी थी इसी कारण से वे जीविकोपार्जन के लिये कृषि

एवं पशुपालनके साथ साथ दैनिक मजदूरी भी किया करते थे तथा दूसरी तरफ

सड़क यातायात नगरीकरण व आधुनिकीकरण का प्रभाव उन्हें हूँ भी न पाया।

इस प्रकार एक तरफ कृषि का वही पुराना सदियों को परम्परात्मक रूप

एवं कृषि प्रतिकूल भौगोलिक दशाये आर्थिक विपन्नता को पीढ़ी दर पीढ़ी संचित

करने में सहायक हुई है दूसरी तरफ जटिल भौगोलिक एवं परिस्थितिकी सम्बन्धी

कारके ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं विशेष कर शिक्षा सम्बन्धी योजनाये

एवं उनके सफलसंचालन में बाधाये डाली है परिणाम स्वल्प जनसारी

जनजाति के लोगों में शिक्षा के सही नियोजन के अभाव के शिक्षा के प्रति उन्मुखता

नहीं आ सकी है न ही उन्हें शिक्षा के महत्व का ज्ञान है सूदूर ग्रामीण

परिवेश के उत्तरदाताओं के विश्लेषण से लगता है कि शिक्षा उनके लिये एक अनुत्पादक व्यवस्था है। इसी कारण से जौनसारी जनजाति के सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो सका जिसका स्पष्ट प्रभाव इस जनजाति के सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिलक्षित होता है जैसा कि तालिका संख्या 5, 4, 6, 3 में प्रस्तुत प्रदत्तों के आधार पर स्पष्ट है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े अधिकतर उत्तरदाता आज भी अनेकानेक आरक्षण एवं अनुदान सम्बन्धी सुविधाओं के दिये जाने के बाद भी शिक्षा, व्यवसाय, विवाह परिवार व विश्वदृष्टि कोण के सम्बन्ध में यथार्थवादी बने हुये हैं।

सरकारी सेवाओं में सेवारत उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठ भूमि, शारीरिक एवं विभिन्न पीढियों में व्यवसायिक स्थिति में सम्बन्धित प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर ज्ञात होता है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाताओं की अपेक्षा इनका आर्थिक स्तर विगत पीढियों से ही अधिक उच्च था जैसा कि तालिका की संख्या 4 में प्रस्तुत प्रदत्तों से ज्ञात होता है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े सभी : 90 % पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं का परम्परात्मक व्यवसाय क्रमशः पशुमालन तथा कृषि रहा है जबकि पिता के व्यवसाय से सम्बन्ध

में अधिकतम 375 ₹ 85.71 ₹ पुरुष व 63 ₹ 71.43 ₹ महिला, 56 ₹ 12.58 ₹

पुरुष एवं 23 ₹ 25.95 ₹ महिला तथा शेष 8 ₹ 1.8 ₹ पुरुष एवं 2.86 ₹

महिला उत्तरदाताओं का मत है कि उनके पिता क्रमशः पशु पालन, कृषि,

व्यापार एवं सरकारी सेवा से सम्बन्धित कार्य करते थे। इस प्रकार परम्परात्मक

व पिता की व्यवसायिकस्थिति के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रथमतया सरकारी

सेवाओं में कार्यरत उत्तरदाताओं के दादा या पिता में से कोई भी दैनिक

मजदूरी का काम नहीं करता थे वे कृषि एवं पशुपालन से या व्यापार से अपनी

जीविका अर्जित करते थे तथा उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत रूप से सुदृढ़ रही होगी

दूसरी तरह से सरकारी सेवाओं में रत उत्तरदाताओं में से अधिकांश का परम्परात्मक

व पिता का निवास स्थान या तो नगरी में था या सड़क यातायात से 5 कि०मी०

के परिधि के अन्दर अवस्थित ग्रामों में जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल परिस्थितिकी

के शसन द्वारा निर्मित योजनाओं का सफल कि न्यायव्यय इन क्षेत्रों में किया

जा सकता तथा विभिन्न सुधारवादी एवं कल्याणकारी योजनाओं व शिक्षा

जैसी सुविधाओं में ये लाभान्वित होते गये इन्हे परिस्थितिकी की अनुकूलता

के कारण इन्हे कहना अजनजातीय समुदायों के सम्पर्क में आने के अवसर

उपलब्ध होते रहे जिसके फलस्वरूप इन लोगों में शिक्षा, व्यापार, सरकारी

सेवा आदि के प्रति उन्मुखता पटती गयी तथा सामाजिक जीवन के परम्परात्मक

मूल्यों के प्रति भी इनका दृष्टिकोण लचीला होता चला गया है —

उ: ग्राम समूहों द्वारा प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अनुकूल परिस्थिति के और सुदृढ़ आर्थिक स्थिति लोगों को उन्मुख करती है इसी कारण से नगरी कस्बों या उसके पाँच किलोमीटर के परीध में अवस्थित ग्रामों में रहने वाले जौनसारी जाती के लोग बहुधा साखा उपसमूह के लोग परिस्थिति के अनुकूलता के कारण न केवल शिक्षा की ओर उन्मुख हैं। बल्कि आज अपने परम्परात्मक व्यवसायों को छोड़ कर सरकारी सेवाओं की ओर भी तीव्रगति से उन्मुख होती जा रही है। इसके विपरीत प्रति कूल परिस्थिति की के कारण सुदूर ग्रामीण परिवेश में रह रहे जनजातिय लोग चाहे वह किसी भी उपसमूह के हों अब भी आर्थिक रूप से दरिद्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। उन्हें अशिक्षित भी कहा जा सकता है और यही कारण जो उन्हें आज भी अपने परम्परात्मक व्यवसायों से जुड़े हुए है।

भविष्य में आने वाली पीढ़ी की शिक्षा तथा व्यवसाय के निर्धारण के प्रति भी उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियों में अन्तर देखने के मिलता है जो निःसन्देह उनके परिस्थितिकी शिक्षा के स्तर तथा व्यावसायिक स्थिति

की मिन्नता का ही परिणाम है। सरकारी सेवाओं में कार्यरत उत्तर दाता । अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागृक एवं व्याहारिक है। जैसे कि तालिका संख्या 5 में प्रदर्शित प्रदत्तो के आधार पर स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकतम 259 § 59.96 प्रतिशत § पुरुष एवं 45 § 51.42 प्रतिशत * महिला उत्तरदाता अपने बच्चों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने की आकांक्षा रखते हैं 130, § 28.6% § पुरुष व 30 § 34.28% § महिला उत्तरदाता अपने बच्चों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने की आकांक्षा रखते हैं 130 § 28.6% § पुरुष व 30 § 34.28% § महिला उत्तर दाता अपने बच्चों को कम से कम इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा दिलाना चाहते हैं जबकि शेष 43 § 9.62 % § पुरुष व 8 § 8.58% § महिला उत्तरदाता परास्नातक स्तर तक की शिक्षा दिलाने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय के निर्धारण में भी सरकारी सेवाओं में सेवारत लगभग सभी उत्तर दाता अपने बच्चों को कृषि तथा पशुपालन जैसे परम्परात्मक व्यवसायों से अलग सरकारी सेवाओं में या व्यापार जैसे व्यवसाय को अपनाने के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हैं तालिका संख्या 4 से स्पष्ट होता है कि इस वर्ग के अधिकतम 328 § 64.8% § पुरुष 965 § 74.2% § महिला उत्तर दाता अपने बच्चों

को सरकारी सेवाओं में सेवारत देखना चाहते हैं और शेष 110 § 25.14% § पुरुष व 23 § 25.71% § महिला उत्तर दाता व्यापार के पक्ष में है ।

कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाता अपनी आने वाली पीढ़ी अर्थात् अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक तो हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों की संवर्धित शिक्षा समान रूप से उनके पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। अतः वे अपने बच्चों को कम से कम साक्षर करने की इच्छा आवश्यक रखते हैं। तालिका संख्या 5 में प्रस्तुत प्रदत्तों से ज्ञात होता है कि अधिकतम 260 § 59.43% § पुरुष तथा 95 § 51.43% § महिला उत्तर दाता अपने बच्चों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाना चाहते हैं। 90 § 20.58% § पुरुष व 33 § 37.14% § महिला उत्तरदाता जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा के पक्ष में हैं तथा 78 § 17.71% § पुरुष व 10 § 11.42% § महिला उत्तरदाता हाई स्कूल तथा शेष केवल 10 § 2.28% § पुरुष उत्तरदाता इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा दिलाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सहभागी अवलोकन के आधार पर ज्ञात होता है कि आर्थिक दरिद्रता तथा शिक्षा संबंधी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में वे अपनी महत्वकांक्षाओं को कार्य में देने में हैं क्योंकि छः वर्ष की उम्र प्राप्त करते - 2 बच्चा दूर ग्रामीण क्षेत्रों

मे रह रहे जौनसारी जनजाति के परिवारो मे आर्थिक क्रियाओं मे सहभाति करने लगता है अतः उन्हे शिक्षा हेतु भेजना व्यर्थ ही होता है व्यवसाय के चुनाव के प्रति भी कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाताओं अधिकतम 343 § 79.29% § महिला उत्तरदाता अपने ही कृषि सम्बन्धी व पशुपालन सम्बन्धी व्यवसाय को अपने बच्चो को विरसत मे देने की आकांक्षा रखते है क्योकि आर्थिक रूप से विपन्न होने एवं आशुगीक्षा के कारण इससे अधिक सोच पाना उनके लिए सम्भव नही है। विश्लेषणो से यह ज्ञात होता है । कि 60 § 13.71% § पुरुष व 23 § 25.71 % § महिला उत्तरदाता दैनिक मजदूरी को भी आने वाली पीढी को हस्तांतरित करने की इच्छा रखते है अर्थात के तत्व 35 § 8.08% § पुरुष तथा 5 § 5.71 % § महिला उत्तरदाता मे ही अपने बच्चो को सरकारी सेवाओ मे देखने की मात्रा मानसिकता ही परिलक्षित होती है लेकिन अपनी महत्वकांक्षाओं के सात्कार रूप देने मे वे सक्षम नही है। विश्लेषणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि परिस्थित की शिक्षा व्यवसाय एवं आर्थिक स्तर व्यक्तियो की अभिन्नीच एवं आकांक्षाओं के प्रमुख निर्धारक तत्व है । साथ ही साथ यही निर्धारक तत्व उप समूहो के अन्तर सम्बन्धो के अन्यान्योश्रता को भी प्रभावित ही नही बल्कि परिवर्तित एवं निर्धारित भी करता है ।

वस्तुतः जौनसारी जनजाति एक बहुपति विवाही जन जातीय समुदाय है जहाँ बहुपत्नी व एक विवाह की प्रथा के उदाहरण भी परिलक्षित होते है

कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए जनजातीय लोगों का कुछ न कुछ प्रतिबन्ध आज भी विवाह के इस विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किये हुए । तालिका सं-6 में प्रस्तुत प्रदत्तों से ज्ञात होता है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए उत्तरदाताओं में अधिकतम 330 § 75.43% § पुरुष एवं 68 § 77.14% § महिला उत्तर दाता बहु विवाह के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं तथा 73 § 16.60% § पुरुष व 13 § 14.30% § महिला उत्तरदाता बहुपत्नी विवाह के प्रति उसके पक्ष में मत व्यक्त करते हैं । जबकि 35 § 9.80% § पुरुष व 8 § 8.60% § महिला उत्तर दाताओं द्वारा एक विवाही परिवार के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की गयी । लेकिन सरकारी सेवाओं में कार्यरत उत्तरदाता विवाह के प्रचालित विभिन्न परम्परा-त्मक स्वरूपों के प्रति भिन्न मनोवृत्ति रखते हैं। आज भी 180 § 41.14% § पुरुष उत्तरदाता § तालिका संख्या - 3 § संभ्रत बहुपति विवाही परिवार से जुड़े हैं और अपने भाइयों के साथ एक ही महिला को अपनी पत्नी स्वीकार किये हुए हैं। लेकिन बहु विवाही प्रथा के प्रति वे भी शेष 258 § 58.85% § पुरुष उत्तरदाताओं के समान असहमति व्यक्त करते हैं । जिन स्तर दाताओं का बाल्यावस्था में ही बहुपति विवाही प्रथा के

अन्तर्गत विवाह नहीं किया गया था उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद परिवार के मुखिया के पूर्व अनुमति तथा इस आग्रह के साथ कि वे एक अलग पत्नी के आर्थिक संरक्षण के उत्तर दायित्व का निभाने में स्वयं सक्षम है ऐसी व्यक्ति अपना अलग एक विवाही एकाकी परिवार स्थापित किये हुये है फिर भी सेवारत पुरुष उत्तरदाताओं में से ४०.००% ऐसे भी है जो अब भी बहुपत्न विवाही प्रथा के पक्ष में है। जहां तक सरकारी सेवाओं में सेवारत महिलाओं की अभ्युत्ति का संबंध है। १३८% १००% महिलाये आज तक विवाही एकाकी परिवार में अपने प्रीत एवं बच्चों के साथ निवास करते है। ग्राम चिल्ला के श्री अतर सिंह चौहान जो कि ओ०एम० जी० सी० देहरादून में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है उन्होंने अपना विवाह स्वयं अन्तराजातीय लडकी से किया एवं इस विवाह के प्रति उनके धरवालो ने बाद में अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी अतर सिंह चौहान वर्तमान समय में देहरादून शहर में अपनी पत्नि के साथ एक विवाही एकाकी परिवार के रूप में निवास कर रहे है। इसी प्रकार से ग्राम पुजली जिला उत्तर काशी खाई परगना के नवीन कृष्ण नोडियाल ने अपने ही गांव की स्वजातीय लडकी से विवाह करके अपने गांव से ३ कि० मी० नये अवस्थित ग्राम ठकराणी में जा बसे है।

3.3 शॉकडों का विश्लेषण- स्वतन्त्रता के बाद भारत में कल्याणकारी नीतियों के परिधि के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय समुदायों पुरातन सामाजिकान्तरता को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धार से जोड़ने में निरन्तर रचनात्मक उपायों के फलस्वरूप जनजातीय समाजों में परिवर्तन की प्रक्रिया ने जन्म लिया है। आज 8 जनजातीय समाज को कोई भी पक्ष परिवर्तन के प्रभावों से अछूता नहीं है।

वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता जटिल एवं वृहद अवधारकाये है जो विभिन्न कारणों की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप जन्म लेती है, यही कारण है कि विभिन्न विभिन्न समाजविज्ञानियों ने भिन्न-भिन्न आधारों पर सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता की व्याख्या की है। बेल्लन § 1922-1928 § विचार की आदतों को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं। मार्क्स § 1935-92 § ने उत्पादन प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक शक्ति माना है जबकि माल्थस § 1998 § जनसंख्यात्मक कारणों को सामाजिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी मानते हैं शर्मा § 1961 § ने जातीय गतिशीलता को व्यावसायिक परिवर्तनों से सम्बन्धित माना है जबकि श्रीवास्तव § 1962 § ने कुमाऊँ की मेाटियाजन जाति में गतिशीलता के अध्ययन में आर्थिक तत्वों को

तथा वही पर कृषि कार्य एवं फलों का व्यवसाय करते हैं, इस विवाह के प्रति उनके परिवार तथा गाँव वालों ने घोर असहमति व्यक्त की तथा दण्ड स्वरूप छोड़ना पड़ा वह भी एक विवाही स्काँकी परिवार के पति एवं बच्चों के साथ प्रश्न पाया गया अतः बदलते हुए परिवेश को देखते हुए इस जन जातीय समाज के विभिन्न परम्परात्मक प्रविमानों के तेली से परिवर्तन हो रही है ।

तालिका क

तालिका -शोधरत ग्राम एवं कुल आवास

क्रम सं०	ग्रामों के नाम	आवासों की संख्या
1-	ढुधेरा	17
2-	पिल्ला	07
3-	जौनपुर बाजार	24
4-	सुमन क्यादी	23
5-	प्रजेली	45
6-	ठकरा डी	18
कुल योग		134

तालिका "ख"

तालिका -परिवारिक स्वरूप

परिवार	छेरा	घिल्ला	जोनपुर बाजार	सुमन	प्रजली	ठकरा	डीयोग
केन्द्रिय परिवार	2	0	6	4	9	2	23
संयुक्त परिवार	14	5	14	17	23	14	93
सूद परिवार	1	2	4	2	7	1	17
अन्य	0	0	0	0		1	1
कुल योग	17	07	24	23	39	24	34

तालिका "ग"

ग्रामो मे उपजाति के आधार व परिवार


	ब	पि०	जो०	सुमन	पुत्र	करण	योग
ब्राह्मण	0	00	07	03	32	01	43
राजपूत	11	04	06	13	00	4	38
शिल्पकार	2		02	02	02	04	12
कोल्हा	4	03	07	04	11	07	29

तालिका संख्या -i

आयु, लिंग एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर छः ग्रामों के उत्तरदाताओं का विभाजन

आयु समूह वर्षों में	कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाता				सरकारी सेवा में सेवारत उत्तरदाता				कुल योग	
	विवाहित		अविवाहित		विवाहित		अविवाहित		पुरुष	स्त्री
	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री
20वर्ष से कम	45	8	-	-	-	13	18	-	63	21
प्रतिशत	10.86%	8.57%				14.29%	4.00%		7.42%	11.42%
20-30	175	43	-	-	205	60	-	-	380	103
प्रतिशत	40.00%	48.58%			46.86%	69.57%			43.42%	58.58%
30-40	163	20	-	-	190	15	-	-	343	35
प्रतिशत									39.14%	20.00%
40-50	30	10	-	-	35	-	-	-	65	10
प्रतिशत	6.88%	11.42%			8.00%				7.42%	5.71%

50 से अधिक	23	8	-	-	-	-	-	23	8
प्रतिशत	5.15%	8.58%	-	-	-	-	-	5.15%	8.58%
योग	436	89	420	18	874	177			
प्रतिशत	100%	100%	96.00%	4.00%	83.32%	10.07%			



तालिका संख्या - 2

छःग्रामो के उत्तरदाताओं के विभिन्न पिढियों में निवास स्थान की स्थिति

विभिन्न पीढिया	उत्तरदाता	सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पु०	स्त्री	सड़क यातायात से 5कि०मी० की परिधि के अन्दर पु०	स्त्री	नगरो, कस्बो या उनके समीप अवस्थित ग्रामो में पु०	स्त्री
दादा का परम्परात्मक निवास स्थान	कृषि व्यवसाय से जुड़े हुये	436	89	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%				
	सरकारी सेवाओं में सेवारत प्रतिशत	88 20.00%	5 5.71%	108 24.58%	23 25.71%	243 55.42%	61 61
पिता का निवास स्थान	कृषि व्यवसाय से जुड़े हुये	436	35	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%	-	-	-	-
	सरकारी सेवाओं में सेवारत -	65	3	113	18	260	
	प्रतिशत-	14.86%	2.86%	25.71%	20%	59.43	

उत्तरदाता निवास

कृषि व्यवसाय से जुड़े हुये 436
प्रतिशत 100%

89 - - -
100% - - -

सरकारी सेवाओं में सेवा
रत -

- 133 10 305 78

प्रतिशत -

- 30.29% 11.42% 69.71 88.58%

आने वाली पीढ़ी
के आवास के

कृषि व्यवसाय से जुड़े हुये 378
प्रतिशत 86.29

73 33 8 28 8
82.88% 7.42% 8.57% 6.29% 8.57%

प्रति आकांक्षा

सरकारी सेवाओं से वारत -

- 30 3 408 85

प्रतिशत

6.86% 2.86 93.14% 97.14%

तालिका संख्या -3

विभिन्न पीढियां	उत्तरदाता	सभ्रान्नबहुपति तिवारी परिवार		अभ्रान्नबहुपतिविवाहीपरिवार			बहुपलीविवाही परिवार		एकविवाहीपरिवार
		पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री
दादा के परिवार का स्वल्प	कृषि व्यवसाय से जुड़े	436	89	-	-	-	-	-	-
	हये प्रतिशत	100%	100%	-	-	-	-	-	-
पिता के परिवार का स्वल्प	सरकारी सेवाओं मेंसेवारत	436	89	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%	-	-	-	-	-	-
उत्तरदाता के परिवार का स्वल्प	कृषि व्यवसाय मेंसेवारत	357	75	-	-	45	5	35	8
	हये प्रतिशत	81.71%	85.71%	-	-	10.29%	5.7%	8.00%	8.57%
उत्तरदाता के परिवार का स्वल्प	कृषि व्यवसाय से जुड़े हये	372	53	-	-	23	18	43	18
	प्रतिशत	85.14	60%	-	-	5.10%	20.00%	9.71	20%

तालिका संख्या -4

छ : ग्रामों के विभिन्न पीढ़ियों में उत्तरदाताओं के परिवार की व्यवसायिक स्थिति व भविष्य के प्रति आकांक्षा

व्यवसाय परम्परात्मक दादा का व्यवसाय	कृषि कार्य से जुड़े उत्तरदाता पु० स्त्री	सरकारी सेवाओं में सेवारत उत्तरदाता पु० स्त्री
1- आखेट		
2- पशुपालन		
3- कृषि		
4- पशुपालन कृषि, प्रतिशत	330	45
	75.42%	51.42%
5- दैनिक मजदूरी		438
6- पशुपालन + कृषि + दैनिक मजदूरी	108	42
प्रतिशत	29.58%	48.58%
7- व्यापार		
8- सरकारी सेवा		

2 पिता का व्यवसाय

1-पशुपालन

2-कृषि

3-पशुपालन + कृषि

345

48

375

63

प्रतिशत

78.86%

54.29%

85.71%

71.43%

4- दैनिक मजदूरी

23

12

-

-

प्रतिशत

5.14%

14.29%

5- पशुपालन + कृषि + दैनिक मजदूरी 70

28

-

-

प्रतिशत

16.00%

31.42%

-

-

6- व्यापार

प्रतिशत

55

23

12.58%

25.71%

7- सरकारी सेवा

08

3

1.71%

2.85%

3 भविष्य में आने वाली पीढ़ी के
व्यवसाय के प्रति आकांक्षा

1-कृषि/पशुपालन	342	80	-	-
प्रतिशत	78.29%	68.58%		
2-दैनिक मजदूरी	60	23		
प्रतिशत	13.71%	25.71%		
3- व्यापार	-	-	110	23
प्रतिशत			25.14%	25.71%
4- सरकारी सेवा	35	5	328	65
प्रतिशत	8.00%	5.71%	74.86%	74.29%

उ: ग्रामों के उत्तरदाताओं की विभिन्न पीढ़ियों में शैक्षिक स्तर तथा भविष्य के प्रतिआकांक्षा

शैक्षिक स्तर विभिन्न पीढ़ियाँ	उत्तरदाता	अशिक्षित		प्राथमिक		जूनियर हाई स्कूल		इंटरमीडियेट स्नातक		परास्नातक	
		पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री
दादा का शैक्षिक स्तर	कृषिव्यवसाय से जुड़े, प्रतिशत	437	87	-	-	-	-	-	-	-	-
	सरकारी सेवाओं से जुड़े	437	87	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%								
	कृषि व्यवसाय से जुड़े	437	85	10	3	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	97.14%	2.29%	2.86%						
	सरकारी सेवाओं से जुड़े	382	68	48	20	8					
प्रतिशत	87.42%	77.14%	10.86%	22.8%	1.72%						
उत्तरदाता का शैक्षिक स्तर	कृषि व्यवसाय से जुड़े	400	80	38	8						
	प्रतिशत	91.42%	91.42%	8.59%	8.5%						

तालिका संख्या -6

विवाह के विभिन्न स्वरूपों के प्रति छः ग्रामों के उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति

विवाह को विभिन्न स्वरूप	कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाता				सरकारी सेवाओं से सेवारत उत्तरदाता सहमत			
	सहमत		असहमत		सहमत		असहमत	
	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री
बहुपति विवाह	330	68	107	20	-	-	437	87
प्रतिशत	75.42%	77.14%	24.58%	22.86%			100%	100%
बहुपत्नी विवाह	72	13	365	75	18	-	420	87
प्रतिशत	16.58%	15.28%	83.43%	85.72%	400%		96.00%	100%
एक विवाह	35	8	403	80	437	87	-	-
प्रतिशत	8.00%	8.58%	92.00%	91.42%	100%	100%		

3.4 शोध के परिणाम:- प्रदत्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि जौन सारी जनजाति की कुल जन संख्या का केवल वही भाग शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है जो या तो नगरो में या कस्बो में या नगरो व कस्बों के समीप उपस्थित ग्रामो में और या सड़क यातायात से 5 कि मी परीधि के अन्दर अवस्थित ग्रामो के निवास कर रहा है तथा किणत लगभग दो पिढियों से आर्थिक स्व से आत्मनिर्भर है। जबकि सूदूर ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोगो में, प्रतिकूल परिस्थिति की एवं गरीबी के कारण शिक्षा का समुचित प्रचार प्रसार नहीं हो सका है ।

§जौनसारी §

जनजाति के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज अपने परम्परात्मक व्यवसाय जैसे कृषि पशुपालन आदि को छोड़कर सरकारी सेवाओं व व्यापार जैसे व्यवसायों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस प्रकार जौनसारी जनजाति में व्यवसायिक गतिशीलता जलाने में शिक्षा की प्रकार्यात्मक भूमि का स्पष्ट होती है ।

§व्यावसायिक §

गति शीलता के साथ-साथ जौनसारी जनजाति के शिक्षित- व्यक्तियों में शिक्षा के फलस्वरूप स्थानीय गतिशीलता की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और विभिन्न

सांस्कृतिक समूहों के सम्पर्क में आने और उनकी संस्कृति व प्रथर, परम्पराओं को समझने में सहायता मिली है शिक्षित पुरुष एवं महिला उत्तरदाता विवाह व परिवारों को प्रचलित परम्परागत मान्यताओं को त्याग कर एक विवाह एवं एक विवाही एकाकी परिवारों की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं।

यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी की शिक्षा, व्यवसाय, विवाह एवं परिवार के स्वरूपों को निर्धारण में वे आधुनिकावादी दृष्टिकोण रखते हैं।

शिक्षा के अभाव में कृषि व्यवसाय से छुटे सुदूर ग्रामीण परिवेश से सम्बन्ध लोग व्यवसाय, विवाह, परिवार तथा भविष्य के प्रति लाभ यथास्थितिवादी अर्थात् परम्परागत मान्यताओं के ही पक्ष पर हैं। यही कारण है कि उनमें न तो व्यावसायिक गतिशीलता के दर्शन होते हैं और न ही के विवाह व परिवार के प्रचलित परम्परात्मक स्वरूपों को ही लाने के लिये सहमत है यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी के शैक्षिक, व्यावसायिक, वैवाहिक व परिवारिक जीवन के प्रति के परम्परात्मक दृष्टि कोणको ही अपनाये

मान्य उप समूहों के आधार पर विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि जैनसारी जनजाति के खासा उप समूह जो कि सबसे उच्चवर्ग है


इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से पायी गई इस उप समूह के लोग शिक्षा प्राप्त करके सरकारी सेवाओं की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं तथा परम्परागत स्वस्थों के प्रति इनका दृष्टिकोण सबसे तेजी से बदल रहा है ।

इन जनजाति के दूसरे उप समूह शिल्पकारों में इस परिवर्तन का यह असर हुआ है कि शिल्पकार समाज ग्रामों के पास के बाजार में ज्यादा बस रहा है तथा परम्परागत व्यवसाय तथा दूसरे नये व्यापार भी कर रहा है इनमें सरकारी सेवाओं के प्रति अभिरूषि निजि व्यवसाय के अपेक्षाकृत कम पाई गयी,

इन जनजातीय समाज का सबसे निचला वर्ग जो कि पारम्परिक रूप से अहूत समझा जाता है उसे कोल्टा कह कर सम्बोधित करते हैं, इस वर्ग में घमार, डोम इत्यादि भी आते हैं यह वर्ग पहले बंधूआ मजदूर के रूप में जाना जाता था । सरकारी कल्याणकारी नीतियों के कारण बंधूआ तो नहीं रह गया है किन्तु उसकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कोई उत्तेजनीय परिवर्तन नहीं हुआ है आज भी यह वर्ग स्थानीय धनी या उच्च वर्गों के यहाँ मजदूरी करते हैं कृषि पशुपालन जैसे परम्परात्मक व्यवसायों को अपनाये हुये हैं सरकारी सेवाओं के प्रति इनकी अभिरूषि तो है किन्तु शैक्षिक स्तर पर अत्यन्त पिछड़े होने के कारण इनमें से बहुत कम लोग सरकारी सेवाओं

मे जा पाये है वह भी प्रायः चतुर्थ श्रेणी मे ही सरकारी सेवाओ के उच्च पदो तक न पहुच पाने का कारण इनके शैक्षिक स्तर मे पिछड़े होने के साथ-साथ इनका पीढ़ियो से बढुआ रहे जाने के कारण मानसिक दासता मनोवैज्ञानिक रूप से इनके मन मे बैठ गई है, जिसे सम्पूर्ण जैनसारी समाज अब भी मुक्त नही हो पाया है उच्च कर्मा या उच्च उप समूहो के लोग आज भी इन्हे अछूत मानते है तथा इन्हे आज भी बढुआ समझते है यहाँ दुख पक्ष यह है कि यह निचला कर्मा भी स्वयं अपने आपको उच्च कर्मा का गुलाम समझता है तथा वह मानता है कि उसका जीवन इन्ही की सेवा के लिये बना है इसके लिये यह कर्मा ईश्वर को उत्तरदायी मानता है तथा यह कहता है ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही रहेगा । साबू कोल्टा ॥ ग्राम ठकराड़ी रवाई जि० उत्तर काशी ॥ के शब्दो मे अब तो जी भगवान ने बना ही दिया तो चाकरी तो करनी ही पड़ेगी अगर ऐसा न होता तो किसी ब्राह्मक, राजपूत के यहाँ जन्म होता किसी कोल्ते के यहाँ नही, कोल्ते के घर मे पैदा हुये हो तो चाकरी तो करनी ही पड़ेगी किन्तु यहाँ एक बात है कि इस जनजातीय समूह का निचला कर्मा यह अनुभव तो करता है कि उसे भी समय के साथ-साथ परिवर्तित होना चाहिये किन्तु अपनी पीढ़ियो से चली आ रही मानसिकुठा

के कारण वह ऐसा परिवर्तन अपने अन्दर कर पाने में असमर्थ है -
परिवर्तन की प्रक्रिया सबसे धीमे इसी उप समूह में पायी जा रही है यही
कारण है कि यह वर्ग आज भी परम्परात्मक स्वल्पों को अपनाये हुआ
है ।



अध्याय - चार

निकर्ष

अध्याय-4

निष्कर्ष- प्रस्तावित शोध कार्य के निम्नीलिखित लक्ष्यनिधारित किये गये थे ।

।अ। इस बात का पता लगाना है कि जनजाति की परिभाषा से जौन्सारी समाज कितना मेल खाता है ।

।ब। जौन्सारी समाज के पारम्परिक सामाजिक संघटन में हुये परिवर्तनों को ज्ञात करना ।

।स। इस बात का पता लगाना कि जौन्सारी समाज के तीनों उप-समूहों में कितना अन्योन्याश्रय है ।

प्रथम लक्ष्य को परिभाषित करते हुये हम पाते हैं कि नृविज्ञानियों ने जन जाति को इस प्रकार परिभाषित किया है - " जनजाति एक जैसा विशेष जन समूह होता है कि जिस की अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष को भूल निवासी होने के साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं " यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार की जाति प्रथा मैदानी भागों में प्रचलित है वैसे प्रथा जौन्सारी जनजाति में नहीं पायी जाती है। किन्तु यहाँ जन संख्या दो वर्गों में विभक्त की जाति है ।

एक ऐसा वर्ग जिसके पास अधिकार है तथा दूसरा ऐसा वर्ग जिसके हाथ में कोई अधिकार नहीं होता है जमींदारी वर्ग धनी होता है तथा श्रेष्ठ लोग निर्धन कहे जाते हैं। जौन्सारी समाज का सबसे निचला वर्ग स्थानीय नियमों के अनुसार भूमि का स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकता था उन्हें अपने मालिकों के लिये काम करना पड़ता था जो कि खास कहे जाते हैं। इस निम्न वर्ग को असूत सम्झा जाता है किसी जनजातीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भूस्वामी बनने का अधिकार प्राप्त होता है किन्तु वर्ण व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व सर्वधिक, प्रभावशाली जाति के पास होता है और उनका आर्थिक संगठन ऐसा होता है कि जिसमें अन्य जातियों को खेती करने पल के एक भाग को प्राप्त करने के अधिकार के बदले सेवा कार्य करती है यदि हम उपयुक्त विवरण को ध्यान में रखते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जौन्सारी जनजाति जाति के आधार पर विभाक्ति है जिनमें प्राप्त उप समूहों में क्रमशः उपबीच का संस्तर नात्मक सम्बन्ध पाया जाता है सामाजिक - आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़े होने के कारण सन 1967 में इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया जौन्सारी जनजाति सिर्फ जौन्सार- बाबर में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाये

हुये है, जौनपुर ॥ रेहटी गढवाल ॥ तथा छाई ॥ उत्तरकाशी ॥ में निवास कर रहे लोगो के अज्ञुचित जनजाति का दर्जा नही दिया गया है ।

किन्तु नृविज्ञानीय दृष्टिकोण से इन तीनों क्षेत्रों में रह रहे लोग जौन सारो कहे जाते है नृविज्ञानी इन्हे गैर अज्ञुचित जनजाति की संज्ञा से सम्बोधित करते है ।

शोध कार्य के दूसरे अभीष्ट को परिभाषित करते हुये आकड़ो के विश्लेषण से, इस जनजातीय समाज के के पारम्परिक सामाजिक संघटन में हुये परिवर्तन का आसानी से ज्ञात किया जा सका । जैसा कि आकड़ो के विश्लेषण के अध्याय में वर्णित है ।

प्रस्तुत शोध का मूल उद्देश्य जौनसारो जन जाति के तीन उप-समूहो के अन्योन्याश्रयन की सीमा का पता लगाना होने के इसके द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण नही किया गया है । प्रस्तुत अध्ययनमे व्यक्तिगत आधार पर सूचना एकत्रित की गई है ।

जौनसारो जनजाति के अपने क्षेत्र केन्द्र पर वहां की ग्रामीण संरचना की विवेचना करने पर पुरी आवादी तीन क्शों के पायी जाती है

सामान्य तौर पर वहाँ ग्राम-समूहों में कुछ ही निर्धारित जातियाँ पायी जाती हैं जिनकी श्रेणी बढ स्थिति इस प्रकार है :-

- ॥१॥ सर्व प्रथम प्रभावी शाली व्यक्तियों का समूह आता है जिन्हें श्रेष्ठ जाति समझी जाती है। इनमें ब्राह्मण और खान्ता ॥ राजपूत ॥ आते हैं ।
- ॥२॥ मध्य श्रेणी में बहुत सी जातियाँ पायी जाती हैं । इनमें बाड़ी, सुनार जोगडा, नाथ लोहार बाग जी इत्यादि आते हैं। ये जातियाँ उपर और निचले तबके के बीच की कड़ी भी समझी जाती हैं।
- ॥३॥ निम्न तबके में सामान्यतः कोटि आते हैं तथा कही कही पर डोम और मोची भी माने जाते हैं ।

जाति व्यवस्था वहाँ की ऐतिहासिक व भू-आर्थिक परिदृश्य में निर्दिष्ट है। इसकी सामाजिक मान्यता के पिछे धार्मिक आस्था भी जुडा हुआ है । ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि जातिगत

विभक्ति देवी अकातय है। इस सदर्भ में यह कहा गया है कि जाति के प्रति समझाता वही अभिप्राय जो वहाँ के निम्न व उच्च वर्गों के लोगों में पाया जाता है हो सकता है कि किसी राजनैतिक प्रचार के कारण हो जैसे कि पाया जाता है कि इस लिये यह सदेह की स्थिति है कि जोन्सारी जनजाति के लोगों का विचार जाति के प्रति आपसी सम्बन्ध पर आधारित है। लेकिन इस सदेहास्पद स्थिति का निदान पुजली के ब्राह्मण के कठव्य से हो जाता है। उसके अनुसार जाति ईश्वर की संरचना है। किसी भी स्त्रियाँ पुरुष का जन्म उच्च या निम्न वर्ग में होता है। तो यह उसके पूर्व जन्म के कामों पर आधारित होता है। उच्च वर्ग में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को पवित्र सद्गुणों को आत्म-सात करना पड़ता है। इस सदर्भ में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्व विद्यमान है। वह व्यक्ति द्वारा निष्पादित हर कर्म को देखता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसके इच्छा के विपरित नहीं जा सकता है। और अगर कोई भी मनुष्य उसके द्वारा स्थापित कानून या धर्म के विपरित जाता है तो वह मृत्यु के आदरक को प्राप्त होता है।

यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि यही विचार
 जौनसारी जनजाति के सभी लोगों के बारे में मान्य है लेकिन अधिकांश
 ब्राह्मणों की यह मान्यता है और ज्यादातर लोग इसे स्वीकार भी करते
 हैं। हो सकता है एक निम्न वर्ग का व्यक्ति इस सिद्धांत से सहमत नहीं हो
 लेकिन उसे इस सिद्धांत पर प्रश्न पिटने का साहस नहीं है।
 चाहे जिस तरह भी हो यह एक धार्मिक अवधारणा है जिससे सभी जातियाँ
 सहमत हैं चाहे यह कितना भी अप्राकृतिक क्यों न हो। इस सदर्भ में बहुत से
 उदाहरण -

“ किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु किसी दुष्टना क्रक
 हो गई हो इसे जाति व्यवस्था का खिलाफ जाने का परिणाम
 माना जाता है। ”

वहाँ जौनसारी लोगों की जाति व्यवस्था का एक संक्षिप्त
 विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे इस जनमात्र के उपसमूहों की
 अन्यायोन्वाचित स्पष्ट होती है।

उच्च वर्ण

सामान्यतः उच्च वर्ण समूहों में ब्राह्मण व राजपूत ः खासा ः आते हैं। लाखामण्डल में लोग रावत और राजपूतों में अंतर समझते हैं। रावतों को वहाँ के स्थानीय पुराने राजाओं के वंशज समझते हैं। यह भेद जौन सार में लाखामण्डल के सिवा और कहीं नहीं पाया जाता है। यह विषय गढ़वाल के सिद्धान्तों से मेल खाता है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों में भी कभी-कभी दो समूह देखने को मिलता जिनमें एक दो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं वर दूसरा समूह ऐसा नहीं कर सकता है।

ब्राह्मणों और खासा राजपूतों दोनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग बराबर है। दोनों ही जातियाँ एक तरफ समाज में जमींदार हैं और दूसरी तरफ गाँव के प्रभावशाली वर्ण भी इन्हीं लोगों का हैं। नियमानुसार जो पहले भी कहा जा चुका है ये ही वो दो जातियाँ हैं जो गाँव में प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं, यही इनके व्यवस्था का इतिहास भी है और इसीके अनुसार वहाँ के गाँव राजपूत गाँव का ब्राह्मण गाँव के रूप में जाने जाते हैं।

घिल्ला दोनो राजपूत गाँव है जवकी लाखामण्डल एक ब्राह्मण गाँव है। कोई भी ब्राह्मण घिल्ला मे निवास नही करता है जब कि एक मात्र ब्राह्मण परिवार का लुधेरा मे तथा दो नये राजपूत परिवारो का लाखामण्डल मे कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नही है ।

कर्म-काण्डो की दृष्टि से ब्राह्मणो की स्थिति राजपूतो से उपर है। ब्राह्मण वैदिक व धार्मिक क्रिया- कलापो से जुडे होते है । केवल ब्राह्मण ही मंदिर के गर्भ स्थान तक जाकर पुजा कर सकते है। धार्मिक बलिदान का समारोह को संपादित करना उनका कर्तव्य है। वे कथा का आयोजन करते है और कभी-कभी व्यक्ति का भविष्य भी बताते है तथा जन्म पत्री बनाते है। वे मंदिर सेवन नही करते है लेकिन राजपूतो की भांति मांस सेवन करते है ।

राजपूतो को राजाओं और योद्धाओं का वंशज माना जाता है जो पुराने समय मे अपने कुछ परिवारो तथा पुरोहितो के साथ जौन सार जीतने आये थे। राजपूतो तथा ब्राह्मणो की उत्पत्ति के बारे मे निश्चित पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता है। लेकिन राजपूत

उच्च जातियों में बहुमत में पाये जाते हैं तथा पुनः सम्पूर्ण जैन सारीयों की जन संख्या में उनका बहुमत है। जो सबसे प्रमुख है। यह है कि दोनों ही जातियाँ लगभग सामान्य रूप से दूसरी जातियों द्वारा सम्मानित की जाती हैं।

मध्य वर्गीय जातियाँ

मध्य वर्गीय जातियों के बीच कोई निश्चित एक रूपता नहीं पाई जाती है। लेकिन व्यवहारिक कार्यवाही वश उन्हें एक श्रेणी में रखा जा सकता है। साधारणता इन जातियों के बीच सामाजिक स्थिति को लेकर कोई ज्यादा भेद भाव नहीं है। ये उच्च जातियों से नीचे तथा निम्न जातियों के ऊपर एक क्रम में आने माने जाते हैं। इसके बावजूद इन जातियों के बीच कार्य तथा सामाजिक आधार पर हमें इनकी सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन करना है। इन जातियों में बड़ी-बड़ी सुनार उच्च जातियाँ समझी जाती हैं। जिसका प्रभाव लगभग एक बराबर है जबकि जौहार और वाज्जनी इनमें काफी नीचे समझे जाते हैं।

जोगरा और नाथ की स्थिति कोई निश्चित नहीं है कभी-कभी इनका भेद करना दुश्कर प्रतीत होता है सामान्यता यह वाजमियों से उपर तथा बटई से नीचे समझे जाते हैं ।

यह किसी की भी गाँव में सभी मध्य वर्गीय जातियाँ नहीं बल्कि उनमें से कुछ एक पायी जाती है हमारे फील्डर के छ गाँव में केवल बटई, सुनार, बाजगी चमार इतने ही पाये गये उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है - वाइडी ॥ बटई ॥ पारम्भारिक बटई व्यवसाय तथा भवन निर्माण में कुशल होते हैं ये सभी गाँवों में नहीं भी पाये जा सकते हैं लुधेरा ग्राम में कोई बटई नहीं था तथा जैनबाग में दो बटई परिवार पाये जिनकी बाजार में दुकाने थी ।

स्थानीय दृष्टि से के सुखी सम्पन्न थे, जाति क्रम में वे राजपूतों की ठीक बाद आते हैं लेकिन उच्च वर्ग में उनका स्थान नहीं है ।

सुनार लोग परम्परागत रूप से स्वर्ण कार हैं तथा यह गाँवों में बहुत कम पाये जाते हैं अपने क्षेत्र अध्ययन में सिर्फ पुरोला में सुनार

परिवार मिले और जो कई पीढ़ी पूर्व सूदूर गाँव से यहाँ आकर बसे थे उनका कृषि की तरफ कोई झुकाव नहीं है किन्तु वर्तमान समय में फलों के बाग लगाते हैं जीविकोपार्जन के लिये पारम्परिक पेशे पर निर्भर करते हैं ।

इन्की सामाजिक स्थिति वाइडीओ के समकक्ष समझी जाती है, कही- कही शूद्रो जातियों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध पाये जाते हैं ।

‡ जोगरा एवं नाथ ‡

मुझे अपने क्षेत्र में एक के गाँव में एक भी जोगरा परिवार नहीं मिला परम्परागत रूप से इनका काम मार्ग दर्शको का होता है ये गाँव में महाब्राह्मण भी कहलाते हैं जो कि मृत्युस्कार के उपरान्त दान में दी गयी वस्तुये गृहक करते हैं लाखों मण्डल में जोगराओ की स्थिति बाइडीयो से उपर समझी जाती है। जोगरा नाथ के रूप में माने जाते हैं। किन्तु किन्ही स्थानों पर पाये जाने वाले नाथों की स्थिति सामान्य श्रेणी में काफी नीचे आते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान में किसी नाथ परिवार नहीं मिला जैसे नाथ अपना सम्बन्ध गुरु गोरखनाथ से बताते हैं तथा अपने को उनका अनुयायी बताते हैं

तथा अपने को उनका अनुयायी बताते हैं राज्य सरकार इन्हे आङ्गवी अनुसूची जाति में सम्मिलित कर चुका है नाम जादूगर भी होते हैं एवं जड़ी बूटियों के माध्यम से दवा भी करते हैं यह खेती भी करते हैं जोगरा एवं इन क्षेत्रों में अन्य संछ्यक समूह में सम्झे जाते हैं ।

बाजगी- यह प्रायः सभी जगह पाये जाते , व्यवसायिक रूप से ढोल बजाते हैं, तथा नाउ एवं सिलाई का काम करते हैं वर्तमान समय में यह सभी जगह पाये जाते हैं क्योंकि उन्हें शादी, मृत्यु जन्म, त्योहार, आदि में ही नहीं रोज मंदिरों में बाजा बजाते होता है, मध्य कर्णाय उप समूह में यह सबसे निम्न होते हैं यहा एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैकि बाजगी महिला मंदिर में प्रवेश कर सकती है अन्य स्त्रियां नहीं चाहे वह उच्च समूह की हो या किसी भी समूह की ।

निम्न वर्ग

इन समूह में मुख्यतः कोलरा च्मान एवं डोम आते हैं ।

जो कि पारम्परिक रूप से भूमिहीन कृषक मजदूर होते थे सामान्यतः-

हर गाँव में पाये जाते हैं वह कृषि में जमिंदारों द्वारा मजदूर की तरह

हो नहीं बल्लि गाँव में और भी प्रकार से काम करते हैं जैसे सन्देशवाहक एवं जानवरों पर से चमड़ा उतारने का काम करते हैं तथा चर्मशिल्प का कार्य करते हैं कपड़ों की बुनाई तथा दरों आदि बनाते हैं। कलोल्लों की दो उपजातियाँ हैं चमार तथा डमे चमार डोमों से उच्च माने जाते हैं कभी-कभी यह अलग भी सम्झे जाते हैं तथा कोल्ला चमार डोमों को अद्वैत सम्झते हैं तथा उनसे विवाह की नहीं करते हैं तथा उनके स्थान पर हुक्का भी नहीं पीते हैं, ऐसा लगता है कि कोल्लाओं में यह जातिगत विभेदीकरण उच्च वर्ग द्वारा किया गया है।

अन्तरजातीय एकता तथा जातीय भेद

जौन्सारी जनजाति उपसमूह कृष्ण भारत के अन्य समूहों की तरह की उसमें भी अन्तरजातीय एकता तथा अन्तरजातीय भेद भाव का घोर पाया जाता है। इस पुरे सन्दर्भ में सबसे ज्यादा चर्चित अन्तर्जातीय विवाह है यह सत्य है कि ब्राह्मणों राजपूतों को बीच अन्तर्जातीय विवाह मान्य है किन्तु यह प्रचलन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है जहाँ पड़ोसी राजपूत एवं ब्राह्मण वर्गों एक वैवाहिक वृत्तीय कृम बनाये हुये हैं। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिन्होंने राजपूतों के साथ

अर्न्तविवाह की कभी स्वीकृति नहीं दी अन्तजातीय विवाह कभी भी उच्च वर्ग से नीचे तथा नीचे से ऊपर वर्गों में नहीं होता है इसी तरह में वाडिडयो में एवं सुनारों में भी अर्न्तजातीय विवाह होता है । इसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी प्रकार का अन्तजातीय विवाह मान्य नहीं है यहां तक कि अन्तजातीय शारीरिक सम्बन्ध या परगमन अगर साबित हो जाये तो इनके गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं ऐसा लगता है कि जातियां संघर्ष जो इतनी कठोर हैं के विना कुछ सालों से अपनाई गयी है और ऐसा समझा जाता है कि यह मैदानी इलाकों का प्रभाव है ।

निम्न उप समूहों में एक समाना होता है जो कि अपने जाति के लोगों का खयाल रखता है तथा उच्च श्रेणी में समाना का पद गाँव एवं छास स्तर का होता है ।

वर्तमान परिदृश्य में तीनों उप समूहों की अन्योन्याश्रिता सामाजिक जातिगत रूप से से यथा वत उपरोक्त विवरण के अनुसार ही मान्य है किन्तु इस जनजातीय समाज की आर्थिक अन्योन्याश्रिता पर

समाज में हो रहे परिवर्तनों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है । प्रत्येक उप समूहों के लोग परम्परात्मक व्यवसायों के साथ-साथ नये व्यवसायों की शुरुआत कर रहे हैं तथा बाहर के बाजारों में वस्तुओं की बिक्री करते हैं पहले सेवा कार्य के बदले में धनी वर्ग निम्न वर्ग को अनग्रज एवं कपड़े इत्यादि दिया करता था किन्तु निम्न वर्ग अपने सेवा कार्य को बदले में अब दिहाड़ी मजदूरी लिया करते हैं जो कि वर्तमान समय में 50 से 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है यह मजदूरी का काम अपने गाँव या आस-पास न मिलने की स्थिति में ही यह दूर जा कर करते हैं अन्यथा गाँव में ही या आस-पास कृषि-मजदूरी किया करते हैं । आर्थिक अन्यायान्याश्रम के हैं अब लगभग मृतप्राय है क्योंकि अब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को अब इस लिये उधार नहीं देता है कि वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती है तथा सरकारी नीतियों के कारण निम्न वर्ग के लोगों से डरा-धमका कर काम नहीं करवाया जा सकता है ।

बदलते हुये जीवन में इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि अब ब्राम्हण हरिजनों की बस्ती में संस्कार कर्म इत्यादि कर्म करवाने जाने

लगे है तथा पहले जो हरिजन या अहूत वर्ग मंदिर में प्रवेश का अधिकारी
 नहीं था अब वह चाहे तो देवता के दर्शन कर सकता है यह और बात
 है कि यह निम्न वर्ग स्वयं ही देवता के कोप से डर कर कि देवता
 विनाश कर देगा मंदिर में प्राणण्में भी नहीं जाते है इसी संदर्भ में ग्राम
 पुजेली के मंदिर के पुजारी श्री हरेकृष्ण जोषियाल ने बताया कि
 "स्थानीय विधायक के आने पर ॥ जो कि जाति के हरिजन है ॥ मंदिर
 कर दरवाजा खोल दिया गया ताकि वे देवता के दर्शन कर सकें किन्तु
 विधायक बाहर से ही शीश नवा कर तथा प्रसाद फटा कर लौट गये
 तथा पुजारी के बार- बार कहने पर भी मंदिर के अन्दर नहीं गये,
 उपरोक्त सभी विवरणों को ध्यान में रखा जाय तो यह पाया
 जाता है कि वर्तमान समय में जौन्सारी जनजाति के उप-समूहों की संरचना
 का आधार डावलिल हो रहा है तथा उनमें आपस की अन्यायोपिप्ता
 भी समाप्त हो रही है धीरे-धीरे इस जनजातीय समाज का सबसे
 निचला वर्ग भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिये प्रयास कर रहा है
 तथा इसी प्रयास के फलस्वरूप धीरे-धीरे यह वर्ग भी गांवों से शहरों

की ओर उन्मुख होता जा रहा है तथा परम्परात्मक स्वस्वो को भूलत जा रहा है, कुछ समय के बाद प्रतीत होता है कि जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक विविधता सिर्फ पुरानी पुस्तकों की ही वस्तु बन कर रहजायेगी तथा आने वाली पीढ़ी अपनी ही संस्कृति के बारे में किस्से कहानियाँ इत्यादि सुनेगी व सुनायेगी :- ।

जौनसारी जनजाति का दफ्तर-उल-अमल

मि०ए०रौस के अनुसार अकित- जौनसार- बाबर का दूस्तर-उल-अमल,
मि०जे०सी० राक्टसन के संशोधन एवं परिवर्धन सहित § मिस्टर २० रोफ §

जैसा की राजस्व जमिंदारों की संपदा तथा उनके कृषि योग्य भूमि पर
निश्चित किया जाता है लेकिन व्यक्ति के चल सम्पत्ति जैसे बकरी, भैंस,
कृषि- जानवर, मजदूर तथा कृषि का उपज भी जान लेना जरूरी होता है
ताकि समयानुसार कर निर्धारण में इन्का भी ध्यान रखा जाय ।

इस लिए समयानुसार कर परिवर्तन जरूरी था ।

§ राजस्व सिर्फ जमीन पर तय किया जाता है §

जमीन की नापी बीधा और विमुआ में नहीं होती है जैसा कि आम तौर
पर होता है । जमीन की नापी तथो § § के अनुसार की जाती
है जैसे कि किसी खेत में जितने पथ बीज डाले जाते हैं उसे उतना ही
नापा जाता है जैसे अमुक खेत चार पथ का है । नये नापी में सरकार
ने सारे कृषि योग्य भूमि को स्कड़ में नापी करवायी । स्क स्क
बराबर चार बीधे के बराबर सम्झा जाता है ।

§ अब स्कड़ में होता है §

दो तरह के कृषक होते हैं एक मौसमी तथा दूसरा गैर मौसमी किसान ब्राह्मण और राजपूत जाति के होते हैं जिन्हें अपने खेत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है जिसके तहत वे खेत बेच या बदोबस्त कर सकते हैं। उन्हें गाँव में हर तरह से हक व सम्मान मिलता है। लेकिन गैर मौसमी किसानों को जमीन बेचने व बदोबस्ती का अधिकार नहीं रहता है वे जिस ज़मींदार की खेत जोतते हैं उसे कर स्वयं स्वयं देना होता है।

‡ 1975 में जो खेत जोतता था उसी का हो गया। गैर मौसमी नहीं रह गया। ‡

अगर कोई मौसमी किसान गाँव छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है तो उसी अवस्था में उसका खेत उसके भाई, भतीजा अथवा किसी जनपदी रिश्तेदार को सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं रहे पर गाँव का सयाना उस खेत को मौसमी किसानों के बीच बाँट देता है लेकिन अगर यह व्यवस्था मान्य नहीं होती तो सयाना उस खेत को गैर-मौसमी व्यवस्था के तहत निश्चित राजस्व पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। इसके बावजूद भी अगर कोई खेत उपरोक्त निर्धारणों द्वारा नहीं तय हो पाता तो सामान्य उस जमीन को पूरे खेत के लोगों

मे साम्प्रत्य के मुताबिक बाट देता है लेकिन कोई भी ठोम बन्गी अथवा कोई भी निम्न वर्ग ऐसे जमीन का हकदार नहीं हो सकता है। केवल राजपूत और ब्राह्मण ही गैर मौसमी अवधि के तहत इसे रख सकते हैं ।

‡कोल्टा बाजगी को भी दिया जाने लगा है,
उसे बेच नहीं सकते हैं ‡

पलायित कृषक के बारे में नियम यह था कि कब और किसी समय सीमा के भी वह पुनः कभी अपना जमीन मांगे अथवा उस गाँव पुनः वास करना चाहे तो सरकार को समुचित कर देकर अपनी सम्पत्ति वापस पर सकता है। वह अपने पूर्व सम्पत्ति का तब तक अधिकारी जब तक की वह कहीं मौसमी किसान न बन जाय अथवा वह अपने अधिकार से इस्तिफा दे दे बेनामा अनुबन्ध पर दस्तखत करके ।

इस व्यवस्था के तहत राजस्व की हानि होती थी जिसके चलते अब सरकारी आदेशानुसार पलायित कृषक पाँच वर्ष के भीतर ही अपने पूर्व जमीन की मांग कर सकता है। उसके बाद जमीन नये किसानों को दे दी जायेगी बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि विस्थापित कृषक कहीं का मौसमी किसान बना अथवा नहीं -

‡ ऐसी ही है ‡

अगर ससायना किसी को मौसमी अध्या गैर मौसमी कृषक बनाता है तो इसके लिए उस कृषक को सयाना द्वारा बन्ध पत्र दिया जाता है। ऐसे कृषक को दो रुपये ससायाना को चार २० तथा एक बकरी पंचायत को तथा दो रुपया उस गांव के निवासियों को देना होता है जहां का उसे मौसमी किसान बनना है।

‖ अब यह प्रथा समाप्त है, ससायना नहीं बना सकता है ‖

किसी भी छेत्त या मेहला का किसान दूसरे जगह जा कर बस जाता था तो उसे पहले का और वर्तमान दोनों जगहों पर कर देना होता था लेकिन अब सरकारी आदेशानुसार उसे केवल वर्तमान स्थान पर कर देना होता है ।

‖ ऐसा ही है ‖

अगर कोई किसान अपने पिछे स्त्री तथा बच्चों को छोड़ कर मर जाता है तथा उसकी विधवा दूसरे पति के साथ सहवास करती है तो ऐसी अवस्था में उस पति को विधवा की सम्पत्ति का गैर मौसमी अधिकार मिलता है। तथा उस पति को निम्नांकित अनुबंध पत्र करने पड़ते है ।

जिसके तहत उन दोनों के सहवास से अगर कोई सन्तान उत्पन्न होती है तो वह संतान केवल एक तिहाई जायदादका हिस्सेदार होता है तथा दो तिहाई पूर्व पति की संतान का होता है । और अगर कोई किसान के उपर कर्ज है और उसकी मृत्यु हो जाती है तथा उसका कोई वारिस नहीं है तो जो भी व्यक्ति उस जमीनपर अपना स्वामित्व रखता है उसे पूर्व किसान के सारे कर्ज अदा करने होंगे ।

‡ ऐसा ही है ‡

अगर किसी परीस्थित जमीन को खेती के अन्तर्गत लाया जाता है तो गाँव की प्राकृतिक सीमाएँ जैसे पेड़, छुद ‡ नहर नालो आदि का भी ध्यान रखना होता है। भेड़ बकरीयो के लिए चारागाह के वास्ते जमीन सीमा के बाहर भी लिया जा सकता है ।

‡ ऐसा ही है ‡

‡ कुछ वृक्षो को छोड़ कर जैसे जो पेड़ गाँव की सीमा से लगे या खेतो से सहे हुए जो कि ज़िम्दारो द्वारा लगाये गये होते, सारे वृक्ष सरकारी सम्पत्ति होती है। लेकिन ज़िम्दारो को इतना

अधिकार होता है कि वे इसे काट कर हल अथवा घर बनानेके काम में ला सकें या इन्का घरेलू उपयोग कर सकें लेकिन उन्हें बेचने का अधिकार नहीं है। तथा जिनके खेतों में देवेदार वृक्ष नहीं होते हैं वे दूसरे जगह से काट कर लाने हेतु ला सकते हैं। और जहाँ से वे इसे लाते हैं उस व्यक्ति को इस पर कोई अधिकृत शुल्क अदा करना नहीं होता है।

‖ ऐसा ही है ‖

लोगों को सारे वासी जंगल तथा उनसे पायी जाने वाली औद्योगिक जैसे कुकुआ, सिंधी पर पूरा अधिकार होता है जिसके लिए कि वे कर देते हैं। उन जंगलों में उन्हें जान कर घराने का भी अधिकार है। लेकिन दूसरे अधिकार जैसे छुदाई आदि पर सरकारी नियंत्रण होता है। कोई भी जमिंदार किसी भी परीत जमीन अगर वह किसी छुद के अन्तर्गत नहीं आता है तो उसकी छुताई नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्हें समाहर्ता ‖ ‖ से अनुमति लेनी पड़ती है। और सरकार को किसी को भी जमीन बेचने अथवा वहाँजैसे चाहे देने का पूरा अधिकार होता है।

‖ ऐसा ही है ‖

अगर किसी क्षेत्र के सीमा निर्धारण में विवाद उत्पन्न होता है तो वह या तो पंचायत अथवा शमथ के द्वारा निपटाया जाता है। शमथ की प्रक्रिया वही लागू होती है जहाँ पर निपटारा पंचायतके द्वारा संभव न हो। जिस व्यक्ति के पास के पास अधिग्रहण होता है उसे शमथ लेनी पड़ती है और अगर सायाना भी चाहे तो वह भी शमथ ले सकता है और अगर वह इन्कार कर गया तो विपक्षी पार्टी को शमथ लेनी पड़ती है। क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी जमीन विवाद का निपटारा इसी प्रकार किया जाता है।

‡ रेसा ही है मुकदमे बाजी कम होती है ‡

‡ ‡ नापी कर लेने के बाद तथा सीमा-सभा चारों तरफ़ लगाकर ताकि आगे कोई विवाद न हो फैसले के पन्द्रह दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है जिसमें फैसले संबंधी सारी बातें तथा दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएँ और अगर किसी पक्ष को किसी तरह का उससे असंतोष है सारी बातें सम्मिलित होती हैं। और अगर पन्द्रह दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी तो फैसले को स्थाई समझा जाता है।

‡ रेसा ही है ‡

पंचायत के रिवाज के अनुसार अगर कोई विवाद पंचायत द्वारा तय किया जाता है तो ऐसी अवस्था में दोनों पक्षों द्वारा पंचायत को एक-एक रूप्य देय होता है। तथागभीर विवाद सीमा को लेकर अथवा स्त्रीहरण या जैसा पैरा-6 में और 15 में वर्णित है ऐसे मामलों में सम्बद्धपक्षों द्वारा पंचायत को दो-दो रूप्ये देय होते हैं।

‡ ऐसा ही है किन्तु रूप्ये का निर्धारणपक्ष स्वयं करते हैं । ‡

सम्पूर्ण परगना के अन्तर्गत पैतिस छूट होते हैं। प्रत्येक छूट के तहत कुछ गाँव होते हैं। छूट का प्रमुख सयाना कहलाता है। समाना ने कार्य निम्नवत है। ज़िमीदारी को सतुष्ट रखना, नियमानुसार सरकारी बकायों के वसूली करना, सामर्थ्य के मुताबिक सभी को समान हिस्सा देना, सारे झगड़ों को सुलझाना नये रैयतों के कल्याण के लिए देख भाल करना सयाना और ज़िमीदार एक ही जाति एवं पितृत्व के होते हैं लेकिन सताने की पदवी वंशानुगत होती है। किसी किसी छूट में सतयानों और ज़िमीदारों के बीच जाति भेद भी पाया जाता है।

‡ कानूनी तौर पर सयानों को कोई अधिकार नहीं है ‡

‡ एक छूट के तहत केवल एक महरम होता है ।
 अगर कोई रैयत बकाया नहीं देता है तो सयाना उस धन के लिए अदाकत में उसके
 आवेदन कर सकता है। किसान के गाँव छोड़ कर भाग जाने पर वह तहसीलदार
 के द्वारा उसकी सम्पत्ति कि कृर्कि करता है ताकि सरकार घाटे में न रहे
 और आगे उसकी सम्पत्ति कर स्वल्प सरकार द्वारा जप्त कर ली जाती है ।
 और किसी तरह वह कर वसूली नहीं कर पाता तो उसे छूट के अंदर फुट ‡
 की व्यवस्था करनी पड़ती है। फुट बंदी ‡ ‡ दिसंबर में तहसील
 में प्रस्तुत कर देना होता है और अगर सयाना किसी तरह यह नहीं कर पाता
 तो उस कर का देय उसी को करना होता है। लेकिन अगर अगर से कोई
 आदेश इस संबंध में नहीं आता तो सरकार के समक्ष अप्रैल तक अपना पक्ष प्रस्तुत
 देना होता है ताकि विवाद का निपटारा किया जा सके ।

‡सयाना अब कुछ नहीं करता है वसूली

राजस्व विभागस्थ करता है ‡

सयाने की नियुक्ति निम्नलिखित तरीके से होती है । सयाने के मृत्यु के पश्चात
 उसका बड़ा बेटा उस पद का उत्तराधिकार होता है लेकिन अगर उसकी उम्र
 अभी नहीं हुई या किसी तरह की कोई कमी रहने पर भी पउ उसी के नाम

रहता है। उसका भाई या कोई दूसरा बेटा को वह अपने सहायकके तौर पर रख सकता है जिसे नायब कहते हैं। अगर सयाना चाहे तो अपने जीवन काल में ही अपने बड़े बेटे को समाने के पद पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन सयाने के बड़े भाई का इस पद पर कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि वे जमीदार होते हैं। लेकिन अगर वह चाहे तो पिसुवा § § का कुछ अंश उन्हें दे सकता है। सम्पत्ति के बंटवारे में सारी चीजें तो बांटी जा सकती हैं लेकिन सयाना-चारी पर कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। छोटे बेटे को सयाने की पदवी नहीं मिल सकती है।

§ ऐसा ही है किन्तु बड़े बेटे के अक्षम होने पर दूसरे का नम्बर होता है §

अगर बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है और अगर उसके भी लड़के हैं तो ऐसे लड़के इस पद के दावेदार हो सकते हैं। और दूसरा कोई दावेदार नहीं हो सकता है।

§ ऐसा ही है §

अगर सयाना किसी को नामित किये बगैर मर जाता है तो ऐसी अवस्था में उसकी पत्नि इस पद की दावेदार नहीं हो सकती है सयाने का भाई तब पदासीन हो सकता है।

§ ऐसी ही है §

एक छूट के तहत बहुत सयाने होते हैं लेकिन वही सयाना प्रमुख समझा जाता है जिसका आदेश व अधिकार सारे छूट पर होता है इस पाराग्राफ में ऐसे सयाने के गाँव को छूट कहा जाता है ।

॥ ऐसा ही है ॥

अगर सयाना किसी तरह राजस्व की हानि पहुँचाता है या सरकारी आदेशों के खिलाफ काम करता है या कठोर तरीके से रैयतों को तंग करता है या गलत तरीके से रैयतों द्वारा दंड वसूल करता है अथवा अपने से श्रेष्ठ अधिकारियों के आज्ञा बरतने में कोताही करता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति की अगली दायेंदारी है और वह सारी योग्यताओं को पूरी करता है तो उसे सयाना घारी के पद पर आसीन किया जा सकता है बसंत की जिला कार्यालय द्वारा उसकी संतुति कर दी जाती है। और अगर वह व्यक्ति अपनी दायेंदारी प्रस्तुत करना नहीं चाहता है वे वह निम्न लिखित तरीके से इस्तिफा दे सकता है ।

॥ ऐसा ही है ॥

पहले कि उसे अपने भाई के पक्ष में इस्तिफा देना होगा उसके बाद किसी और के लिए लेकिन वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को नामित नहीं

कर सकता जिससे कि उचित दावेदार के साथ अन्याय हो ।

‡ अब सयाना प्रथा लगभग समाप्त कहीं

पर सयानो को सामाजिक मान्यता प्राप्त है

बहुत से छूट के प्रत्येक गांव में एक पदाधिकारी होता है जो सयाने से कनिष्ठ होता है जिसे जिले की भाषा में एक रखता ‡ कहते हैं ।

यही जमींदारों में तथा उसके बीच उर्फ पाया जाता है । किसी - किसी छूट में सयाने अपने हिस्से का एक या दो रूपया जमींदारों को उ देता है ।

अध्या - नात्मा के खत्म हो जाने पर पक्षी द्वारा जमींदारों को कुछ दिला देता है । ये चुक्रेत ‡ छूट के सारे कार्य सयाने की देख

रेख में करते हैं और अगर वह आज्ञा का पालन नहीं करता तो सामने को उसे बर्खास्त कर नये चुक्रेत की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है ।

‡ अब लगभग 20 वर्षों से इसमें परिवर्तन है

अब प्रधान होते हैं तथा चुक्रेत प्रथा समाप्त

अगर सयाने को कचहरी अध्या जिला कार्यालय जाना होता है तो एक

नौकर एक कुली हो जाने की सुविधा है जिसके लिए उसे प्रत्येक जमींदार अदालत ‡

का एक ‡ मिलता है । पहले के अनुसार सयाने का भारी खर्च परगने के

सारे जमींदारों के ऊपर ब्रांट दिया जाता था लेकिन जमींदारों पर ज्यादाती के चलते इसे समाप्त कर दिया गया और भविष्य में एक सयाना को साल में एक बार प्रत्येक जमींदारों से जुम्मा के प्रत्येक रूपये पर आधा आना की दर से शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई और उसी से उसे छूट का सारा कार्यभार देखना होता है ।

‖अब ऐसा नहीं है ‖

इसके अलावा उसके लिए छोटे-मोटे शुल्कों की भी अदायगी मान्य है जो उसके कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित है ।

अगर कोई जमींदार अपना जमीन बेचना चाहता है तो उसको सयाने के द्वारा उस जमीन के हिस्सेदारों तथा छूट के जमींदारों से पूछ लेना होता है । उस छूट का जो भी उस जमीन को खरीदना चाहे वह खरीदकर दूसरे छूट के लोगों के हाथ न बेच सकता है न गिरवी रख सकता है ।

‖ऐसा था पर अब ऐसा बढी नहीं किसी को भी बेच सकता है किन्तु सामाजिक गौरव का यह ही मान्य है । ‖

पहले के अनुसार खरीददार व्यक्ति उस जमीन का कर देता था और गिरवी जिसके पास रहती थी वह कर नहीं देता था लेकिन इसे बदल दिया गया ।

बदले हुए व्यवस्था के अनुसार खरीद या गिरवी दोनों हाल में जिसके पास जमीन होती है उसे कर देना होता है ।

‡ गिरवी के मामले में शर्तों में होती है कि सिर्फ जमींदारी अधिकार का ही हक होता है ना कि जमीन का । लेकिन यह शर्त तभी तक मान्य होता जितने दिन का अनुबंध हो या गिरवी का पैसा दिया हुआ हो या गिरवी रखने तक जैसा अनुबंध हुआ हो । गिरवी के तहत जिस व्यक्ति के पास जमीन हो कर भी उसे ही देना होता है । गिरवी संबंधी सारे शर्तों को पुष्ट-बुद्धी ‡ में दाखिल करना हो-ता है ।

बिक्री के संबंध में अगर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही छूट के रहने वाले होते हैं तो खरीदने वाला बेचने वाले के रिश्तेदार को भोज दिया करते हैं तथा उनके तरफ से गवाहों को पार आना की दर से जितना बिक्री का मूल्य होता है पाते हैं। छूट का सयाना बेचने वाले के रिश्तेदार तथा अन्य निवासी बिक्री को मान्यता प्रदान करता है । और अगर खरीदने वाला दूसरे छूट का निवासी होता है तो उसके रिश्तेदार भी इसके गवाह बनते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है ।

‡ यह प्रथा समाप्त है जिला कार्यालय रजिस्टर होती है। भोज समाजिक तौर पर प्रतिष्ठा परक होने के कारण मान्य है । ‡

गिरवी के संबंधमें अंतिम स्वीकृती सयाने द्वारा प्रदान की जाती है गिरवी के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है और नहीं कोई शुल्क देना होता है। सयाना को लिखा पढ़ी वास्ते चार अने मिलते है । गिरवी का कारखान निबंधन आवश्यक होता है ।

‡ सयाना प्रथा-सिर्फ सामाजिक तौर पर मान्य है ‡

अगर कोई व्यक्ति बिक्री या गिरवी दो व्यक्तियों के बीच करता है और पहले व्यक्ति को अगर मालिकाना मिल जाता है तथा दूसरे का पैसा वापस कर दिया जाता है तो बेचने वाला व्यक्ति बेईमान समझा जाता है ।

‡ ऐसा ही है ‡

रिवाज के मुताबिक चार भाइयों को दो या केवल एक स्त्री है तथा उस सबसे चार पाँच लड़कियाँ पैदा होती है और अगर कोई भाई फिर दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसी अवस्था में बच्चों का बंटवारा नहीं होता है बल्कि उसे बड़े भाई के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन बच्चों की हिस्सेदारी चारों भाइयों में बराबर होती है जो कि सभी भाइयों द्वारा बड़े भाई

के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन बच्चों के हिस्सेदारी चारों भाइयों में बराबर होती है जो कि सभी भाइयों द्वारा बड़े भाई के पास दी जाती है। और अगर भाई अल्पाहो गये तो शादी का खर्च बड़े भाई को वहन करना होता है।

‡ यह प्रथा समाप्त है सभी लगभग एक विवाही हो गये है पहले ऐसा ही था अल्प हो जाते है बटवारा ‡

सामानों का बटवारा निम्न लिखित ढंग से होता है। सभी प्रकार के वस्तुओं में से एक भाग निकाल कर तथा एक खेत छोटे भाई को दे दिया जाता है। तथा बाकी सम्पत्ति बराबर बराबर बाँट ली जाती है। और अगर खरीददारी अथवा गिरवी के तहत उन पास जमीन हैतो उसका भी बटवारा होता है और वे छुद्र जमीन बेचे अथवा गिरवी रखे हो बही भी बाँट दिया जाता है।

‡ बराबर बराबर बाँटा जाता है ‡

सायना हिस्सेदारी तय करता है जिसके लिए उसे एक भेड़ एक बकरी एक धाती एक हथियार और पाँच रुपया मिलता है। पंचायत को पाँच रुपया तथा

गांव वालों को दो रुपया भी देना होता है। और अगर गरीब परिवार होता है ये सब सारे शुल्क माफ़ कर दिये जाते हैं ।

‡ समाजिक तौर यह कोई-कोई मानता है,
स्त्रियों की मात्रा ज्यादा होती है ।

जगह 500 , 1000 या ‡

अगर माता या पिता जीवित है तथा वे जिस भाई के साथ रहते हों उसे गाय थाली कपड़ा बुदले ‡ ‡ का प्रबंध उनके लिए करना होता है और दो माता पिता है तो दूसरे को कुछ भी नहीं देना होता है ।

‡ ऐसी ही है ‡

अगर किसी व्यक्ति को तीन स्त्रियां है तथा तीनों से भिन्न-भिन्न संख्या में बच्चे पैदा हुए हों हिस्सेदारी के समय सभी को बराबर हिस्सा मिलता है, केवल उस लड़के को छोड़ कर जिसका साथ पहली माँ को रहना है, उसके थोड़ा ज्यादा मिलता है ।

‡ ऐसी ही है किन्तु किसी व्यक्ति के पास तीन स्त्रियां दुर्लभ है ‡

अगर दो भाई है एक स्त्री है तथा उस स्त्री के मृत्यु के समय दो बच्चे है और दोनो भाई फिर शगदी कर लेते है और शगदी के बाद बड़ा भाई मर जाता है और बटवारे के समय चार लड़के इस स्त्री से पैदा होते है तो आधी सम्पत्ति पहली स्त्री के दो बच्चे को मिलती है तथा आधी मे छः हिस्से कर दिये जाते है जिसमे दो हिस्से फिर पहली स्त्री के बच्चो को ही मिलता है तथा शेष चार हिस्सो को दूसरी स्त्री के चारो बच्चो को दे दिया जाता है ।

॥ ऐसा ही है ॥

लड़कियो का पिता की सम्पत्ति मे कोई हिस्सा नही होता है केवल शगदी की जरूरतो को पिता को देना होता है और अगर अगर घर मे शगदी योग्य भाई है तो भाई- बहनो की शगदी आपस मे कर दी जाती है ।

॥ यह प्रथा पूर्वतया समाप्त है ॥

शगदी का रिवाज इस प्रकार है मिथा और साउथ, जातियां कुनियाथ और माटो के साथ अन्तजातियां विवाह करते है इन जिलो मे राजपूतो और ब्राह्मणो के शगदी समारोह को झाजेरी कहा जाता है ।

॥ ऐसा ही है । ॥

वर-बधु के पिता आपस में वर के पिता बधु के पिता को एक रुपया देता है तथा वधु के पिता उसे भोज देता है जिसे पौरीज § § कहा जाता है । यह मंगनी कर रश्म होता है । वधु के पिता लड़की को चोला, दामन, धातु, आदि से अपने सामर्थ्य के मुताबिक सजा कर तथा अपने सभी रिश्तेदारों के साथ वर के पिता के घर भ्रमता है वहा पर वर का पिता एक या दो भोज उन लोगों को देता है ।

§ ऐसा ही है । §

अगर वर का पिता मंगनी के बाद तय की गयी शर्तों को पुरा करने से इन्कार कर देता है तो जो पैसा उसने दिया वह वापस नहीं ले सकता है लेकिन अगर वधु के पिता मंगनी के बाद लड़की की शादी बिना वर के पिता से पूछे दूसरे से कर देता है तो लड़की के पिता को लड़के के पिता का साठ रुपये देना पड़ता है ।

§ रुपये की मात्रा ज्यादा है §

अगर किसी निम्न जाति का व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति के स्त्री के साथ किसी निम्न जाति का व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति के स्त्री के साथ भाग जाता है तो जो व्यक्ति लेकर भागता है अथवा उन लोगों को जो भी व्यक्ति

जिले रहने के लिए आश्रय देता है किसी को भी एक सौ पच्चीस रुपया देना होता है या तो औरत तथा जिसके साथ वो भागी दोनों को पुनः गांव जाना होता है लेकिन अगर उन लोगों के बीच कोई पुर्ण संबंध पाया जाता है तो उसे केवल समाने के माध्यम से पच्चीस रुपया देना होता है । और अगर उच्च जाति का व्यक्ति उच्च जाति के स्त्री का अपहरण कर देता है तो उसे दण्ड स्वरूप केवल साठ रुपये देने होते है ।

‖ दण्ड की रकम, 10,000 तक भी हो सकती है ‖

जब कोई बच्चा पैदा होता है माता - पिता सामर्थ्य के अनुसार दान दिया करते है और अगर कोई विपत्ति मे है तो उसके शिष्टेदार सहायता स्वरूप बकरा और एक रुपया देते है ।

‖ अब दान तो कोई कोई देते है किन्तु

सहायता कोई किसी को नहीं करता है ‖

कृय विक्रय या किसी का सौदा इस प्रकार किया जाता है। इसके लिए कोई उल्लिखित दस्तवेज नहीं होता है सभी कुछ मौखिक ही तय किया जाता है। अगर कोई लिखना जानता है तो शर्तों को लिखता है और अगर इस संबंध को कोई झगडा उत्पन्न होता हैतो इस प्रकार सुल्झाया जाता है ।

अगर कर्जदार व्यक्ति अपने कर्ज से इन्कार कर देता है तो साहुकार को अपने दृष्टके नामसे सौगंध लेनी पड़ती है और अगर कर्जदार कर्ज का कुछ हिस्सा कबूल करता है तथा बाकी इन्कार करता है तो साहुकार को कबूल की गई रकम देनी पड़ती है तथा बाकी के लिए साहुकार को सौगंध लेनी पड़ती है ।

‡क़य विक़य लिखित होने लगा है किन्तु

दृष्ट की सौगन्ध का वैसे ही महत्व है । ‡

ब्याज के बारे में निम्नलिखितमान्यताये निर्धारित है । कर्जदार जब तक मूल धन लौटा न देता है तब तक उसे साहुकार को एक स्वयं के लिये कटनी के समय आठ पुक्का आनाज देना होता है। और अगर कर्जदार दिवालिया हो जाता है तब साहुकार केवल अपना मूल धन लेकर ब्याज की कर्ब माफ़ कर देता है और अगर कर्जदार सूद नहीं दे सकता और ज्यादा आनाज देना चाहता है तो साहुकार उसे मूलधन के दोगना आनाज लेता है ।

‡इस समय ब्याज 25% सलाना है ‡

आनाज संबंधी कर्ज के लिए निम्नलिखित मानदण्ड है। आनाज लेने के बाद अगर साल भर बाद लौटाया जाता है तो उसे $1\frac{1}{2}$ आनाज लौटाना पड़ता है। तथा साल भर बाद अगर वह पुरा नही लौटाया तो फिर अगले साल बचे हुए आनाज का ढेड गुना लौटाना होता है ।

‖ इस समय ऐसा ही कही कही पर
मात्रा निर्धारित नही है । ‖

और अगर कर्जदार निर्धन हो गया है तो साहूकार उससे कुल आनाज का त्रिगुना लेता है ।

इस जिले सबसे ज्यादा महत्व दृष्ट महासू ‖ के सौगंध
का माना जाता है। कली बोले बेनोली आदि के नाम से सौगंध का भी
विशेष महत्व है ।

‖ ऐसा ही है । ‖

इस जिले में और भी रीति रिवाज है जो इस प्रकार है । झगडे के संबंध
में लॉग में दृष्ट के मंदिर पर छूट के पत्थर तथा अपने घरों से कीचड़ ले जा कर चटाते

ये और वह घर दूस्ट का घर होता है और उसके गिर जाने पर कोई व्यक्ति उसे नहीं ले सकता है। ज्यादातर विवादों में दूस्ट जमीन और घर मुक्त कर देने की आज्ञा देते हैं। दूस्टों का यह संदेश मालीयों के द्वारा बताया जाता है जो कि गढ़वाल से आये हैं। सरकार ने इस परंपरा को अनुचित समझकर उद्द कर दिया ।

‡ कहीं कहीं सामाजिक मान्यता है ‡

उंची जातियों के अलावा - छोटी जातियों जैसे बटई, बजगी कोली, लोहार, सोनार चमार भी रहते हैं। लेकिन ये अपने काम से मतलब रखते हैं इन्हें इनके काम की मजदूरी मिलती है प्रत्येक जमींदार सोनार, बजगी तथा बटई, को चार पय असमाज देते हैं चमार अपने मालिक की सेवा करता है जिसके बखले उसे अन्य वस्त्र तथा परिवार के लिए थोड़ी सी जमीन मिलती है ।

‡ अब कार्य दैनिकमजदूरी के रूप में करते हैं यह सारी आन्योआक्रिया समाप्त हो गई है । ‡

‡ ‡ मालिक और नौकर के बीच सारे विवाद मध्यस्थों द्वारा सुलझाया जाता है ।

अगर कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी आदि चुरा कर बेच देता है या मार कर खा जाता है और अगर उसकी चोरी साबित हो जाती है तो प्रत्येक के बदले उससे सात लिये जाते हैं। और अगर वह नहीं देता है तो उसे आगे कचहरी जाना होता है और चोर के रूप में उसे सजा दी जाती है ।

॥ ऐसा ही है ॥

अगर कोई गंभीर समस्या जैसे हत्या आदि उत्पन्न होती है तो परम्परानुसार इसका फैसला पंचायत करती थी लेकिन अब यह इन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है और इस तरह के मामले अब जिला पदाधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है ।

॥ ऐसा ही है ॥

अगर कोई झगडा होता है तो लोग आपस में सुझला लेते हैं अथवा सयाना के द्वारा सुलझा दिया जाता है लेकिन इसके बाद अगर विवाद खत्म न हो तो उसे मामले कोदण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

॥ सयाने की जगह ग्राम प्रधान ने ले ली है ॥

उपरोक्त वर्णित परम्पराओं को छोड़कर कुछ परम्पराएं निम्नलिखित छूट के जैसे
 घुरधादी, मुलेधा, कोयल, रंगोर छुरी पुर देयास दुसरे छूटों से भिन्न पाये जाते हैं ।
 इन सब छूटों के सयाना का पूरा परिवार विसौता पाने का अधिकारी होता है
 उन्हीं में एक को सदर सगान नियुक्तकर दिया जाता है सदर सयाना का दुसरे
 छूटों में जो अधिकार है वही अधिकार इन छूटों में सयाना के पूरे परिवार के पास
 होता है सदर सयाना के बाद उसका बड़ा लड़का सदर सयाना बनता है ।
 इन सब छूटों के सारे किसान गैर मौसमी हैं किसी को भी खेत बेचने का अधिकार
 नहीं है सयाना के पास अधिकार है कि वह खेती करने दे अथवा उनसे खेत ले ले ।
 कलसी के छूट में जैसे हुरीपुर, बेयास एक परम्परा जो सारे जौनसार से भिन्न
 है इस छूट में राजस्व सामर्थ्य के अनुसार नहीं ली जाती है। यहां पर कृषी
 योग्य भूमि काफी है। समाना बचे हुए जमीन को भूटाई ॥ ॥
 स्वरूप ले लेता है बाकी सारे रिवाज परगना भर में समान है ।

॥ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है तथा वो
 वोट प्रणाली द्वारा देश के अन्य भागों की तरह
 ही वैधानिक से चुनते हैं सयाना नहीं होते हैं ॥

अध्याय - पाँच

संदर्भ - ग्रंथ

सन्दर्भ ग्रन्थ

- 1- विष्ट, बी०एस० 1990 द प्रोसेस आफ कल्चरल ट्रान्सफोरमेशन अर्मा
द ग्रेटवुल्ड ट्राइव कम्युनिटीज आफ उत्तराखण्ड,
आर०पी० यू० जी० सी० देहली ।
- 2- ब्रीफाल आर० 1927 दि म्दर, लन्दन ।
- 3- कोहन, बी०एस 1961 द चैसिंग स्टेट आफ डिस्टेटस आफ डिस्ट्रिक्ट कास्ट, बिलेज
इण्डिया ॥ सम्पा० ॥ एम० मेरिज, बम्बई, एशिया
पब्लिशिंग हाउस ।
- 4- दुबे, एस०एम० 1968 रइक्वेशन आकूपेशनल मोबिलिटी एण्ड द राइज
आफ प्रोफेशनस इन ए डेवलीपिंग सिटी ॥ पेपर फार
द सेमीनार आन सोसियोलोजी आफ डेवलपमेण्ट,
बार्गनाइज्ड बाई यूनेस्को इन देहली फ्राम नव 25
दू सितम्बर 4, 1967 ॥
- 5- दुखीम ई० 1965 रइक्वेशन उण्ड सोसियोलोजी ट्रायसलेटेडबाई
एस०डी०पुब्लिश द प्री प्रेस ।

- 6- मजूमदार डी०एन 1955 'सेज एण्ड कल्पर्स आफ इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे ।
- 7- माल्कस टी०आर० 1998 ऐन ऐसे आन प्रिन्सिपल्स आफ पौपुलेसन, कैम्ब्रिज ।
- 8- मार्क्स कार्ल 1935 द पौपर्टी आफ फिलोसाफी मास्को ।
- 9- री विलियम एल 1968 द न्यू चौहान्स ए कास्टमोपील्टी मूवमेन्ट इन नार्थ इण्डिया इन द कास्ट सिस्टम इन इण्डिया कम्प्रेटिव स्टडीज इन सोसाइटी एण्ड हिस्ट्री सप्लीमेंट 3, दे ह्ये यू
- 10- शर्मा, के०एन० 1961 आक्यूपे शनल मोबिलिटी आफकास्ट इन ए नार्थ इण्डियन विलेज, साउथ बेस्टर्न जर्नल आफ एन्थोपलोजी, वाल्यूम 17 नं० 2 ।
- 11- श्रीवास्तव आर०पी० 1963 ट्राइब कास्ट मोबिलिटी एण्ड द केस आफ बुमाउ भोटियाज, यूनीवर्सिटी आफ लन्दन ।
- 12- स्टूमिलेन एम जी 1924 द इकानोमिक सिग्नी फिकेन्स आफ द पीपुल्स एड्युकेशन, लेनिनग्राड ।
- 13- शुल्ज टी० डब्लू 1964 द सोर्स आफ इकानोमिक ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट एण्ड द आल्टरनेटिक्स विफोर यू०एस० पेरिस ।
- 14- बेल्मन टी 1922 द थोरी आफ लेबर कलास द बिक्रीग प्रेस न्यूयार्क ।
- 15- फी, राबर्ट सी० 1967 एड्युकेशनल प्लानिंग एण्ड इकानोमिक क्राइटे रिया इन इण्डियाज कान्टेक्स इन एड्युकेशन एस इवेस्टमेण्ट {सम्पा} बलजीत सिंह मेरठ ।

16. Bhandari N.S. 1946 "Snowballs of Garthwal" in D.N. Majumdar (ed) Snowballs of Garhwal Lucknow Universal Printing Press.
17. Chak. B.L. 1975 Kumaon and Garhwal hill Districts. New Delhi. Publication Division.
18. Dabral S.P. 1959 Uttar Khand Ka Itihas Dagadda (Garh) Neergatha Prakashan. Vol. 5.
19. Fonseca, A.J. (Ed) 1971 Challenge of Poverty in India Delhi Vikas.
20. Ghurye G.S. 1950 Cast and class in India Bombay. Popular Book Depot.
21. India Govt. of 1975 Report of Development of Tribal Areas in the Hill Districts of North-Western U.P. Journal of Lal Bhadar Shastri National Academy of Administration Mussorie.
22. Govt. U.P. 1960 Report of Kotta Enquiry Commission Lucknow. Directorate of Harijan & Social Welfare.

23. Hasan, Amir 1971 A Bunch of Wild Flowers and other Essay and Lucknow, Ethnograph and Falk culture society.
24. Hasnain Nadeem 1974 "Januasar Bawar ! Jahan Draupadi Adarshhai" in Naujivan Jan. 13 Lucknow.
25. Hasnain, Nadeem 1982 Bonded for ever a study of the Kolta Harmam Publications New Delhi-2.
26. H. Nadeem 1975 The Kilita: A study in the Tthnography of the Poor" The Estern Anthropologist Vol. 24. No. 4.
27. Issacs Harold 1965 India's Exuntouchables. Bombay Asia Publishing House.
28. Majumdar, D.N. 1963 Himalayan Polyandry Bombay. Asia Publishing house.
29. -do- 1965 Races and Cultures of India Bombay Asia Publishing House.

30. Pant S.D. 1935 The Social Economy of the Himalayas
London George Allen & Unwin Ltd.
31. Parmar , Y.S. 1975 Polyandry in the Himalayas Delhi
Vikas Publication House.
32. Rao Prasad 1971 "Shaukar and Tribal Society"
Tribe Vol. 8 No. 3-4.
33. Saksena, R.N. 1962 Social Economy of a Polyandrous
People. London Asia Publishing
House.

Economic serfdom Amof the Kolta
of Jounsar- Bawcier Agra, Institute
of Social Sciences.
34. Sankratyayan, Rahul 1961 Jaunsar-Dehradun Allahabad
Vidyarthi Granthaya.
35. Sanwal, R.D. 1976 Social Stratification in Rural
Kumaon. Delhi Oxford University
Press.
36. Verma, K.C. 1960 Kolta Jeevan Kijhanki Vauyajati
Vol. 8 No. 4.

37. Polyandry in India/ Manish Kumar Raha & Palash Chandra Coomar
Gaim Publications.
38. Hindus of Himalaya - Berreman G.D.
Berkley University of Carlifornia- 1972.
39. Polyandrous village of Jaunsar Bawar J.S. Bhandari
Bulletin of Anthropological survey of India
No.-12 No-1, Page 9-19, 1973.
40. Case of Jaunsaries as a Scheduled tribe K.S. Bhoria.
The Administrator Vol. 20 No.-2 P. 273: 197.
41. Polyandry among the hills tribes of Jaunsar Barar.
Biswas P.C. 1953. Vanyajari Vol. 1, Pp. -9-11.
42. A demographic study of the Polyandrus hilltribe of Jaunsar
Barar- Memo Vol. 2, pp. 78-82.
43. The Dhyantis of Jaunsar Barar Bose Uma.
Main India Vol. 1 No. 2 29-30- 1953.
44. Culture patterns of a polyandrus society D.N. Majumdar
Man in India Vol. 20 No.1-2 82-83, 1940.

45. Patterns of Polyandrus societies with Particular reference
of Tribal crime - A Mukerjee.
Man in India Vol. 30 No.2-3 pp. 56-65, 1950.
46. Marriage among the Jaunsaras - B. Mukerjee .
Bullot A.S.I. Vol. 9 No. 2 , 1960.
47. Status of women in polyandrus society - S.B. Nandi.
Man in India Vol. 57, No.2, pp. 137-151, 1977.
48. The Khasa of Jaunsar Bavar- Dr. S. Pratap.
Vanyajati Vol. 30N. 9, pp. 20, 1982.
49. Marriage and divorce in Jaunsar Bavar. -Vanyajati Vol1 Pp. 94.
50. Acculturation and the Khasa of Jaunsar Bavar.- S. Sethea
Vonyajati 15 No. 1 pp. 40-44 , 1962.
- THE EASTERN ANTHROPOLOGIST VOL. 1- 1947
51. Jain S.C.- Some features of fraternal Polyandry in Jaunsar
Bavar Nos. 3 pp. 27.

52. Jain S.C.- Jaunsar Bawar No. 4- 29.

VOL VI- 1952.

53. Biswas P.C.- Comparative studies of the whord on Head Hair
of Boatias, Rai is Kanets, Jaunsari and Tehri
Garhwals of N.W. Himalayas. No.2 pp. 106.

VOL VIII- 1954

54. Majumdar D.N.- Family and Marriage in a Polyandrus village
No. 2 pp. 84.
55. M.D.N.- Demographic structure in a polyandrus village
No. 3 pp. 161.

VOL X - 1956

56. Majumdar D.N. & S.K. Anand - The functioning of school
system in a polyandros society- in Jaunsar
Bawar- Dehradun- U.P. No-3 pp. 182.
57. Sen, D.K.,. Some Notes on the fertility of Jaunsari Women.
No.1 pp. 60.

VOL. XVI- 1963

58. Mukherjee, B.- Comparative study of the Kinship systems
of two polyandrus communities No.2. pp. 75.

5

VOL. XVIII

59. Jha, Jaichand & B.B. Chatterjee- Changing family in a Poly-
andrus community No.2 pp. 64.

VOL. XX- 1967

60. Phillips W.S.K- Social Distance (A study of the attitudes
of the upper cast towards Lower castes).

VOL XXXI- 1978

61. Bhatt G.S.- From cast structure to Tribe a case of Jaunsari
Bawar No.3- pp. 251- 258.

Journal of Social Research R.U. Ranchi.

62. Joshi, P.C. Concept and consation Ethnomedicine in Jaunsar
Bawar Vol. XXIII No-II, 1980.
63. Bhatta, G.S.- Polyandry in western-Himalaya: Some Notes and
Observations, Vol. XXIV. No. II, 1981.

64. Prasad, R.R.- 1981- Tribal Stratification in Central Himalaya
Vol. XXIV. No. 11.
65. Upreti H.C.- 1967- The Position of Woman among the Khasas of
Kumaon - Vol. X No.1.
66. Majumdar D.N. - 1940- The racial composition of the Polyandrus
people of Jaunsar Bawar in the Dehradun This.
United Provinces. Journal of the United Provinces
Historical society Vol. 13. 35-50.
67. M.D.N. 1940f- Some aspects of the life of the Khasas of the
Cis-Himalayan region- JRAS Vol. 6.1-44.
68. M.D.N. - 1953k- Tribal economy of the cis- Himalayas- The
Indian Journal of Social work Vol. 14: 1-3.
69. M.D.N.- 1956-57a- A little community: a polyandrus village
Jadi in the chakrata Tehsil, Dehradun dis-
sociologist Jour. of the sociology association
Christ-Church college Kanpur pp. 1-4.
70. M.D.N. 1958-59.- A village school in the context of tribal
Education in Jaunsar Bawar' Mansar Darpana Vo.3;
1-8.

71. M.D.N.- N.D.(g) Jaunsar Bawar Ki Khasa Jati- H.V. Vol. 2:
1155-62.
72. Beereman G.D. Hindus of Himalayas, University of California Press 1963.
73. Bhatt G.S. - Women in Polyandry Rawat Publication, Jaipur-4.
1990.
74. N.M. Vyas- Bondage and exploitation in Tribal India- 60.
Rawat- Publications Jaipur- 1990.
75. Joshi L.D.- The Khasa Family Law pp. 78-81. , 1929.
76. M.D.N. The fortunes of Primitive Tribes , 1944, pp. 144, 159,
163 and 19 166.
77. Dubey S.C. Manav Aur Sanskriti Raj Kamal Prakashan , Delhi-1960
78. S.G. Deogaonkar, Tribal Exploitation , Internxxx India Publicat
ion New Delhi- 15.
79. B. Chaudhuri (ed) Tribal Development in INDIA/ I.I.P., N.D.-15.

NEW LIBRARY
 Acc. No. 103375
 Acc. No. 103375
 Date
 Class by
 Sub. heading by
 Enter by
 Transcribed by



1:- प्राकृतिक आपदा के समय अन्य उपसमूहों ने आपकी कितनी और किस प्रकार की मदद दी ?

2:- अ:- आप अन्य उपसमूह वाले मित्रों के घर कितनी बार जाते हैं -

दिन में कई बार सप्ताह में माह में वर्ष में

ब:- अन्य उपसमूह वाले मित्र आपके घर कितनी बार आते हैं -

दिन में कई बार सप्ताह में माह में वर्ष में

3:- आप अन्य उपसमूहों के लोगों को मित्र बनाना पसन्द करेंगे ।

अ:- अपने से उच्च समूह

ब:- अपने से निम्न समूह

4- आपके धार्मिक स्थल पर किन लोगों का प्रवेश वर्जित है -

अ:- अपने समूह में कौन लोग वर्जित हैं :-----

किस कारण से : -----

ब:- दूसरे समूह के लोग जो आपके धर्मस्थल पर वर्जित हैं ।

स:- आपके लिए दूसरे समूहों के कौन से धार्मिक स्थल वर्जित हैं :-

5- किन अवसरों पर आप ब्राह्मण सम्प्रदाय को निमन्त्रित करते हैं, क्यों करते हैं उनकी कार्यों के बदले में आप क्या देते हैं ।

अ:- धन -

ब:- अनाज ---

स:- अन्य कुछ क्या ---

6- क्या आपने अन्य समूह में विवाह किया है -

कहाँ/कब

अ:- यदि न तो भविष्य में करेंगे -

7- किन अवसरों पर उपसमूह के लोगों की मदद आपने की किसकी-पक्ष किस प्रकार की ---

8- क्या आप बीमार हैं/या कभी बीमार रहे हैं, इस बीमारी में परम्परागत रूप से किस मदद लेते हैं ।

किस प्रकार की बीमारी

चिकित्सा सरकारी/व्यक्तिगत

कष्ट/दया

परिणाम---

9:- आपने अन्य उपसमूहों के धार्मिक संस्कारों में कब भाग लिया ----

किस प्रकार से -----

10- उपसमूहों के झगड़ों/झगड़े में दिये गये दण्ड के प्रति आपकी राय- गाँव की पंचायत/ तत्संबन्धित न्यायालय

1- बहुत कम न्याय होता है ----

2- कम न्याय होता है -----

3- औसत न्याय होता है -----

4- सिर्फ न्याय होता है -----

11- आपने उपसमूहों में किसी से कर्ज लिया है-

सूद की दर

क्यों ---

कितना -----

कितना वापस किया

कितना वापस करना है